प्रभात

अंदर के पन्नों में...
★ चुनावी पार्टियों का वर्गीय चरित्र 6
★ शहीद स्मृति सप्ताह 11
★ विश्व आदिवासी दिवस 15
★ प्रेस वक्तव्य 17
★ ईरान परमाणु समझौता 20
★ नुलकातोंग नरसंहार की निंदा 23
★ राजनीतिक बंदियों के अधिकार 26
★ उत्तर कोरिया–अमेरिका 31

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का तिमाही मुख–पत्र
वर्ष–31 अंक–3 जुलाई–सितंबर 2018 सहयोग राशि–15 रुपए

फर्जी छग विधान सभा चुनावों का बहिष्कार करें!

जन विरोधी, देशद्रोही, साम्राज्यवादपरस्त, ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी संघ परिवार की भाजपा को मार भगाएं!

वोट मांगने आने वाली अन्य संसदीय पार्टियों को जन अदालत के कटघरे में खड़ा करके जवाब–तलब करें!

क्रांतिकारी जनताना सरकारों को चुनें व मजबूत करें! उनका विस्तार करें!

छत्तीसगढ़ विधान सभा के चुनाव नजदीक पहुंच गए हैं. प्रभात का यह अंक जब तक आप लोगों के हाथ में पहुंचेगा, तब तक चुनावों की घोषाणा हो चुकी होगी. ऐसे में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी छत्तीसगढ़ के झूठे विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करते हुए जन विरोधी, देशद्रोही, साम्राज्यवादपरस्त, ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी संघ परिवार की भाजपा जोकि केंद्र में पिछले चार सालों से और राज्य में पिछले 15 सालों से सत्तासीन है, को चुनाव बहिष्कार के पहले निशाने पर लेते हुए चुनाव प्रचार के लिए आने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ(आरएसएस–संघ) परिवार के तमाम संगठनों सहित भाजपाइयों को गांव–गलियों, कस्बों से मार भगाने, खदेड़ने, वोट मांगने आने वाली अन्य तमाम संसदीय पार्टियों को जन अदालत के कटघरे में खड़ा करके जनता की मूलभूत समस्याओं, दमन(गांवों पर हमलों, झूठी मुठभेडों, महिलाओं पर अत्याचारों, गिरफ्तारियों, झूठे केसों, लंबी/आजीवन कारावास की सजाओं, गांव–घर दहन), विस्थापन, देशी–विदेशी कॉरपोरेट घरानों द्वारा संसाधनों की सस्ती लूट, जल–जंगल–जमीन पर जनता के अधिकार, दलितों व आदिवासियों के अस्तित्व, अस्मिता व आत्मसम्मान एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों, पिछड़ा वर्ग के लोगों के अधिकारों विशेषकर ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी हमलों, क्रांतिकारी जनताना सरकारों द्वारा अमल में लायी जा रही सुधार कार्यक्रमों आदि मुद्दों पर उनके जन विरोधी विचार व व्यवहार के बारे में जवाब–तलब करने जनता का आह्वान करती है. स्पेशल जोनल कमेटी यह भी आह्वान करती है कि चूंकि भाजपा फिर से सत्तारूढ़ होने के लिए 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत' नारे के साथ बूथ कमेटियां बनाकर जबरन वोट डलवाने, फर्जी वोट डलवाने की साजिश रच रही है इसलिए चुनाव बहिष्कार अभियान के तहत ऐसी बूथ कमेटियों के लोगों को उचित सबक सिखावें. वोटों के लिए बुर्जुआ पार्टियों की ओर से गांवों में पैसा या शराब बांटने वाले दलालों और जन विरोधियों का पर्दाफाश करें और जन अदालत के कटघरे में खड़ा करके जनमत के अनुसार उन्हें सजा दें. साथ ही जनयुद्ध को तेज करके प्रतिक्रांतिकारी रणनीतिक दमन योजना–'समाधान' को हराने, अपनी मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए जन आंदोलनों व जन प्रतिरोध में गोलबंद होने, जनता की असली जनवादी राज्यसत्ता–जनताना सरकारों को चुनने, उन्हें मजबूत करने व उनका विस्तार करने में सक्रिय भागीदारी निभाने जनता से अपील करती है.

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी) यह मानती है

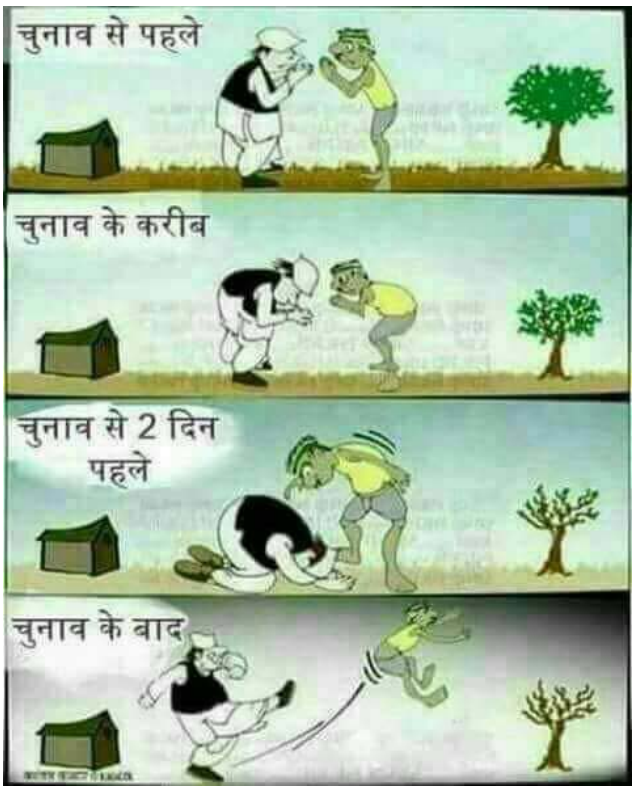

कि केंद्र में हो या राज्य में, हर पांच साल में एक बार यह फैसला करने के लिए कि शासक वर्गों का किस गुट जनता पर शासन व उनका शोषण करेगा, चुनावी प्रहसन होता है. हमारे देश में यह सिलसिला 1952 से जारी है. हालांकि तथाकथित आजादी के काफी पहले से ही अंग्रेजों ने इस नौटंकी को शुरु किया था लेकिन हमारा देश का संसदीय लोकतंत्र फर्जी है और चुनाव बहुत बड़ा धोखा है.

क्योंकि, दरअसल भारत की सामाजिक, आर्थिक व राज्य व्यवस्था अर्ध औपनिवेशिक, अर्ध सामंती है. 1947 की आजादी नाममात्र की है जो सारतत्व में झूठी है. अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के बाद हमारे देश पर सामंती, दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्गों की सत्ता ही कायम हुई. अब कई साम्राज्यवादी ताकतों का अप्रत्यक्ष शासन, शोषण व नियंत्रण जारी है. सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की क्यों न बनती हों, इन्हीं शोषक–शासक वर्गों का ही प्रतिनिधित्व करती हैं और इन्हीं के हित में तमाम नीतियां बनाती हैं.

पिछले 66 सालों के दौरान केंद्र एवं राज्यों में कई चुनाव हुए और कई संसदीय दलों की सरकारें आयीं, गयीं लेकिन देश की आम जनता की तमाम मौलिक समस्याएं जस की तस हैं. इसीलिए हमारी पार्टी कहती है कि हमारे देश की उत्पीड़ित जनता की वास्तविक मुक्ति इस अलोकतांत्रिक व्यवस्था में, इन फर्जी चुनावों से संभव नहीं है. वह सिर्फ और सिर्फ शोषक–शासक वर्गों – सामंती व दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग के संयुक्त अधिनायकत्व वाली वर्तमान भारतीय राज्यसत्ता जो साम्राज्यवाद की सेवा करती है, को जनयुद्ध के जरिए उखाड़ फेंककर चार उत्पीड़ित वर्गों–मजदूर वर्ग के नेतृत्व में किसान, निम्न पूंजीपति व राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग की संयुक्त मोर्चा वाली नवजनवादी राज्यसत्ता की स्थापना से ही संभव है.

दिल्ली में मोदी के जुमलों–'सबका साथ, सबका विकास', 'अच्छे दिन आएंगे.' का असली मकसद है–कॉरपोरेट का साथ और कॉरपोरेट का विकास. बड़े सामंतियों, देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के लिए अच्छे दिन. देश की बाकी जनता के लिए बुरे दिन.

मोदी के जनाकर्षक नारे व उनकी तमाम योजनाएं – 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', 'स्किल इंडिया', सौ स्मार्ट शहरों का निर्माण, बुलेट ट्रेन, सूपर हाइवेज, औद्योगिक गलियारें, एसईजेड, विनिवेशीकरण, एफडीआई को बेरोकटोक बढ़ावा देना, जनधन खातें, नोटबंदी, जीएसटी, बैंकों का पुनर्पूंजीकरण आदि देशी, विदेशी बड़े औद्योगिक घरानों के फायदे के लिए ही आम आदमी की बर्बादी की कीमत पर अमल में लायी जा रही हैं. किसानों के उत्थान के नाम पर की गयी रुर्बन मिशन, ई–मंडियां, 22 हजार ग्रामीण हाटों को कृषि बाजारों में विकसित करना, वन धन विकास आदि तमाम घोषणाएं जनधन से देशी, विदेशी कॉरपोरेट कृषि व्यापार(एग्रि बिजिनेस) के लिए अनुकूल बुनियादी ढांचा का निर्माण करने की कवायद के सिवाय, इन योजनाओं से किसानों को मिलने वाला फायदा कुछ नहीं है.

मोदी के शासन के एक साल में ही यानी 2014 में 32 अरबपतियों की संपत्ति 40 प्रतिशत बढ़ गयी थी. इससे यह अंदाजा लगाना आसान होगा कि मोदी सवा सौ करोड़ भारतवासियों के नहीं बल्कि मुट्ठीभर कॉरपोरेट घरानों के प्रधान सेवक हैं.

मोदी द्वारा आए दिन प्रवचित, प्रस्तावित व प्रचारित नया भारत दरअसल पूरी तरह कॉरपोरेटपरस्त, उच्च वर्गीय, उच्च जातीय व हिंदू धर्मोन्मादी प्रभुत्व वाला, अंधराष्ट्रवादी, ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी भगवा भारत होगा जोकि आदिवासी, दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग व महिला विरोधी एवं किसी भी तरह के विरोध को सहन न करने वाला होगा. वह भुखमरी, महंगाई, कालाबाजारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अस्वस्थता, आवासहीनता व भीषण गरीबी एवं भ्रष्टाचार व घोटालों से त्रस्त भारत होगा. एक देश, एक माल, एक कर से आगे बढ़कर एक भारत, श्रेष्ठ भारत, आखिर अखंड हिंदू राष्ट्र होगा. इस तरह की भड़काऊ, भटकाऊ व उन्मादी सोच एवं व्यवहार को हमें मिलकर हराना होगा.

राज्य में पिछले 15 सालों के भाजपा के शासनकाल में वादे तो बहुत किए गए. सस्ती लोकप्रियता की घोषणाएं की गयी व योजनाएं भी बहुत बनायी गयी. लेकिन ये सभी

कॉरपोरेट घरानों की लूट में तेजी लाने, उसे आसान बनाने एवं उसे जायजता प्रदान करने के लिए ही किया गया. मुख्यमंत्री का जब भी मुंह खुलता है, 'गांव, गरीब, किसान' की ही बात निकलती है. लेकिन सरकारी खजाना तो पूंजीपतियों के ही लिए खुलता रहा है.

जनता के आक्रोश व गुस्से को शांत करने के लिए ही लूट के एक छोटे हिस्से को झूठन की तरह विकास के नाम पर फेंका गया. 'लोक सुराज', 'रमण के गोठ', 'जनदर्शन' आदि तमाम कवायदें मात्र जनाकर्षक ही हैं. जनदर्शन में तीन बार आश्वासन मिलने के बावजूद नौकरी नहीं मिलने की वजह से मुख्यमंत्री के घर के सामने आत्मदाह करने वाले योगेश साहू का मिसाल काफी है, रमण के वादों के खोखलेपन को समझने के लिए. राज्य भर में अप्रैल–मई महीनों में केंद्र सरकार के ग्राम स्वराज अभियान को संचालित करके 7 लोक–लुभावनी योजनाओं–प्रधान मंत्री उज्जवला, उज्जवला, जन धन, सौभाग्य, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा, मिशन इंद्र धनुष आदि जो वास्तव में कॉरपोरेट कंपनियों के फायदे के लिए ही बनायी गयी थी, को अमल में लाया गया.

उत्पीड़ित जनता के एक तबके को आकर्षित करके लुटेरी वर्गों के लिए सामाजिक आधार बनाने एवं क्रांतिकारी आंदोलन की ओर जाने वाली जनता खासकर युवा वर्ग को दिग्भ्रमित करने के मकसद से विस्तार की गयी विभिन्न झूठी सुधार/विकास योजनाओं, सस्ती लोकप्रियता की योजनाओं में पूना बीजापुर, हमचो जगदलपुर, आस्था, निष्ठा, प्रयास, आकांक्षा जिला, बीपीओ, आजीविका–गुजर बसर कॉलेज, आदिवासी इंटरप्रेन्यूरशिप कॉन्फरेंस आदि के अलावा कम्युनिटी पुलिसिंग, पुलिस व अर्ध सैनिक बलों द्वारा सस्ता सामान वितरण करने के सिविक एक्शन प्रोग्राम आदि शामिल हैं. इन सभी के असली मकसद से जनता अवगत हों, मुठ्ठी भर लोगों का विकास नहीं, बल्कि तमाम उत्पीड़ित वर्गों व तबकों के लोगों के असली विकास के लिए चुनाव बहिष्कार करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होंवें.

केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, अंत्योदय आदि जन कल्याणकारी गतिविधियों से लगातार हाथ खींचने, बजट आबंटन में कटौती करने, शिक्षा और स्वास्थ्य के निजीकरण, विभिन्न विभागों में मौजूद रिक्त पदों की भर्ती न करने, अस्थायी, संविदा, केजुअल, दैनिक वेतनभोगी नियुक्तियों तक सीमित होने, तेंदुपत्ता सहित वनोपजों का उचित समर्थन मूल्य न देने की वजह से राज्य के दलितों, आदिवासियों, खेत मजदूरों, भूमिहीन, छोटे व गरीब किसानों का जीना दूभर हो गया है. राज्य में गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, अस्वस्थता, आवासहीनता, शुद्ध पेयजल का अभाव, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है. इन्हीं वजहों से राज्य से सालाना लाखों लोग शहरों व दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं जहां वे लूट, अपमान, मारपीट, यातनाओं व आखिर हत्याओं का शिकार हो रहे हैं. समस्याओं का समाधान, पलायन नहीं, चुनाव भी नहीं–सशस्त्र संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है.

राज्य में बेरोजगारों को रोजगार की बात तो दूर, घोषित बेरोजगारी भत्ता भी नसीब नहीं हो रही है. दसियों हजार सरकारी नौकरियां रिक्त हैं लेकिन भरने का नाम नहीं. सिर्फ और सिर्फ सशस्त्र बलों में भर्ती को ही बढ़ावा दिया जा रहा है. इज्जत से जीने की नौकरी के लिए चुनावों का बहिष्कार करके लड़ने के सिवाय बेरोजगारों के सामने कोई चारा नहीं बचा है.

केंद्र, राज्य सरकारों द्वारा अपनायी गयी किसान विरोधी, कॉरपोरेटपरस्त कृषि नीति के चलते व्याप्त कृषि संकट ने ग्रामीण बेरोजगारी को बेतहाशा बढ़ा दिया है. धान की लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य व बोनस न देना, खाद, बीज, कीटनाशकों की कीमतों का आसमान छूना, किसानों को दी जाने वाली सब्सिडियां बंद या कम करना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का खोखलापन, सूखा राहत का मृगमरीचिका बनना, कर्जा व बिजली बिल माफ न करना, सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के प्रति घोर लापरवाही, सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में कटौती, फसल चक्र परिवर्तन नीति, रबी फसल उगाने पर पाबंदी आदि घोर किसान विरोधी नीतियों व योजनाओं का ही नतीजा है, राज्य गठन से लेकर अब तक के 18 हजार से भी ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं. हर साल हजारों किसान खेती छोड़ने बाध्य हो रहे हैं. कॉरपोरेट खेती बढ़ रही है. अब किसानों की आय को दोगुनी करने के लोकलुभावनी वायदे के साथ किसानों को ठगकर वोट पाने व एक बार और सत्ता हथियाने की भाजपा सरकार की साजिश का भंडाफोड़ करके कृषि क्रांतिकारी रास्ते में कदम बढ़ाएं.

नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला, कोयला ब्लॉक आबंटन घोटाला, प्रियदर्शिनी बैंक घोटाला सहित कई अन्य घोटालों के अलावा इनमें मुख्यमंत्री के सगे–संबंधियों खासकर उनके संसद पुत्र अभिषेक सिंह के नाम खुल गए हैं. अपने मंत्रियों के अनैतिक, अय्याशीपूर्ण, भ्रष्ट आचरण का वे बेशर्मी से समर्थन कर रहे हैं.

राज्य की 3 हजार शालाओं व आश्रमों को बंद करने व मदरसों को अनुदान बंद या घटाने की वजह से दलित, आदिवासी व मुसलमान बच्चें शिक्षा से वंचित हो रहे हैं. दूसरी ओर पोटाकेबिन, गुजर–बसर कॉलेज, छू लो आसमान, एजुकेशनल हब के नाम पर जनता को गुमराह करके आदिवासी छात्र–छात्राओं को पुलिस थानों व कैंपों के नजदीक, सशस्त्र बलों की सख्त निगरानी में, सदा चलने

वाली जांच–पड़ताल व पूछताछ से डरी–सहमी अवस्था में, मुखबिर बनने व पुलिस में भर्ती होने के निरंतर दबाव में पढ़ने बाध्य कर रह हैं. उन्हें अपने गांव–घर के नजदीक स्वेच्छापूर्ण व खुले वातावरण में पढ़ने से वंचित करने व क्रांतिकारी आंदोलन से दूर करने की साजिश के तहत यह घृणास्पद नीति अपनायी गयी है.

पिछले 15 सालों से शिक्षाकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं व सहायिकाएं, मितानिन, जूनियर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, डाक कर्मी, संजीवनी–108/102 के कर्मचारी, रसोइए, हर विभाग के कर्मचारी सड़कों पर हैं. करीबन 54 विभागों के अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में स्थायीकरण, समान वेतनमान एवं अन्य कई जायज मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन आयोजित किया. लेकिन सरकार अपने तमाम वादों को भुलाकर इनके मांगों का जवाब लाठी, जेल, निलंबन, बर्खास्तगी से दे रही है. चौथी पारी में जीत हासिल करने के चक्कर में, सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए भाजपा सरकार उनकी मांगों को आंशिक रूप से ही सही, मानने मजबूर हो गयी. सभी सरकारी कर्मचारियों को समस्याओं के सही समाधान के लिए चुनावों का बहिष्कार करके संगठित, समरशील, संयुक्त संघर्षों के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए.

राज्य में खासकर आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का घोर अभाव है. सरकारों की सारी योजनाएं जैसे स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान भारत शासकीय अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध कराने की बजाए कॉरपोरेट अस्पतालों को अथाह मुनाफा पहुंचाने वाली ही हैं. आयुष्मान भारत योजना की धज्जियां उड़ाते हुए राज्य के गृह मंत्री राम सेवक पैकरा ने बेशर्मी से कह दिया कि पीलिया से मौतें ईश्वरीय हैं. जन स्वास्थ्य के प्रति सरकारों के रवैए का असली परिचायक है, पैकरा का कथन.

जन धन से विकसित राज्य के तमाम औद्योगिक इलाकें मजदूरों के निर्मम शोषण के चारागाह बने हुए हैं जहां न्यूनतम वेतन कानून भी अमल नहीं होता है. सरकारों की मजदूर विरोधी नीतियों, श्रम कानूनों में पूंजीपतिपरस्त फेरबदल व मौजूदा श्रम कानूनों के अमल के प्रति श्रम विभाग व सरकार की आपराधिक लापरवाही के चलते मजदूरों का जीना मुश्किल हो गया है. चुनाव नहीं, जुझारु संघर्ष ही मजदूरों का असली मार्ग है.

राज्य में बैलाडीला के लौह अयस्क व अतिरिक्त बिजली का भंडार होने के बावजूद छोटे व मंझोले पूंजीपतियों को सस्ते में न कच्चा माल मिलता है और न ही सस्ती बिजली. नतीजा, 150 से ज्यादा मिनी इस्पात संयंत्रों, रोलिंग मिलों, स्पंज आइरन उद्योगों का बंद होना और 50 हजार मजदूरों की छंटनी. जबकि जापान, कोरिया और चीन सहित एस्सार को कौड़ियों के भाव कच्चा माल की आसान आपूर्ति की जा रही है.

राज्य की रमण सरकार सत्तारूढ़ होने के तुरंत बाद ही 2004 में नई औद्योगिक नीति बनायी जोकि पूरी तरह कॉरपोरेट अनुकूल थी. पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप–सार्वजनिक व निजी भागीदारी) नीति के तहत खनन नीति बनायी. छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने मिलकर राज्य के बड़े खदानों की बंदरबांट की. रावघाट, बैलाडीला खदानों के कई डिपॉजिटों को टाटा, जिंदल, एस्सार, नेको जायसवाल आदि दलाल पूंजीपतियों को लीज पर दिया गया है. 2004 से लेकर अब तक राज्य के संसाधनों को मिट्टी के मोल देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हवाले करते हुए सैकड़ों एमओयु किए गए. इसे संयोग नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश ही कहा जाए कि टाटा और एस्सार के साथ एमओयु करने के दूसरे ही दिन सलवा जुडुम दमन अभियान शुरु किया गया था. इसीलिए हमारी पार्टी कहती है, संसाधनों की सस्ती लूट की सैन्य रणनीति थी, सलवा जुडुम. एक और साजिश यह थी कि उसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून भी बनाया गया था. संसाधनों को लुटाने का खेल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, राज्योत्सव, और भी कई नामों से अब भी बेरोकटोक जारी है. राज्य की लौह अयस्क, बाक्साईट, कोयला, युरेनियम, चूना पत्थर, हीरा आदि खनिज संपदा को टाटा, जिंदल, मित्तल, एस्सार, नेको जायसवाल, लायड, वेदांता, रायपुर एलायज, गोदावरी इस्पात, बजरंग इस्पात, पुष्पा स्टील्स, प्रकाश इंडस्ट्रीज, वंदना एनर्जी, आग्रो सिनेर्जी, कुसुम मिनरल्स, मोनेट इस्पात आदि दलाल पूंजीपतियों व टीपीजी, डीबियर्स, बीएचपी बिलिटन, रियो टेंटो जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को 22 से लेकर 99 साल तक लीज़ पर दिया गया है.

उपरोक्त खेल के तहत राजनांदगांव–कांकेर सरहदी इलाकों में स्थित पल्लामाड़ डोंगरबोड़, कलवर, महामाया विस्तार, आरी डोंगरी सहित करीबन तीन दर्जन खदानों, हाहलादी, रावघाट, चारगांव, बरबसपुर, बुधियारी माड़, कुव्वे, आमदाई, तुलाड़, बैलाडीला विस्तार, डिलमिली परियोजनाओं, इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित बोधघाट बहुउद्देश्यीय बांध व मेंढकी बांध परियोजनाओं को शुरु करने सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है. तमाम अंतर्राष्ट्रीय कायदे–कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए 'अबूझ'माड़ के 1/4 इलाके को सैन्य प्रशिक्षण शाला के लिए आवंटित किया गया है. संसाधनों की सस्ती लूट व सशस्त्र बलों की सरल आवाजाही के लिए दल्ली–रावघाट–जगदलपुर रेल लाइन बिछाई जा रही है. इन तमाम परियोजनाओं के खुल जाने से आदिवासी अवाम का भयानक विस्थापन होगा. सैकड़ों गांव, दसियों हजार जनता के साथ ही एक लाख

एकड़ से भी ज्यादा की जंगल–जमीन, जल स्रोत, जलप्रपात, झरनें, नदी–नालें, फसलें, पर्यावरण तबाह हो जाएंगे. कुलमिलाकर कहा जाए तो राज्य एवं देश की सार्वजनिक संपत्ति, जल, जंगल, जमीन व संसाधन खासकर आदिवासी अस्तित्व, अस्मिता सब खतरे में पड़ जाएगा. विस्थापन के विरोध में और अपने अस्तित्व, अस्मिता, आत्मसम्मान और अधिकार के लिए आदिवासी अवाम को आगे बढ़ना होगा.

लेकिन सरकारें लाखों की संख्या में सशस्त्र बलों को तैनात करके, भीषण दमन चलाते हुए इन तमाम परियोजनाओं को प्रारंभ करने की जी तोड़ कोशिश कर रही हैं. संसाधनों की लूट के रास्ते में सशस्त्र संघर्ष के जरिए आड़े आने वाले क्रांतिकारी आंदोलन के सफाए के लिए ही सलवा जुडुम की हार के बाद ऑपरेशन ग्रीनहंट अगस्त 2009 से शुरु किया गया था. ग्रीनहंट की पाशविकता का नतीजा है, मुठभेडों, झूठी मुठभेडों, दर्जनों नरसंहारों में 700 आदिवासी ग्रामीणों व माओवादी कार्यकर्ताओं की हत्या, कई गांवों व सैकड़ों घरों का दहन, सैकड़ों को जेल की सजा, हजारों की बेदम पिटाई, सौ से ज्यादा युवतियों व महिलाओं का बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, कइयों की हत्या. दमन की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करने वाले पत्रकारों, लेखकों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिला संगठनों, आदिवासी सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के अलावा कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, आप पार्टी, जोगी कांग्रेस आदि विपक्षी दलों को डराना–धमकाना, पिटाई, जगदलपुर व छग से बहिष्कार व प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रांतिकारी गुंडा गैंग–सामाजिक एकता मंच, महिला एकता मंच, नक्सल पीड़ित संघ, अग्नि आदि द्वारा उन्हें अपमानित करना व आतंकित करने का प्रयास करना. हालांकि तमाम प्रगतिशील–जनवादी ताकतों ने इस आतंक का डटकर मुकाबला किया था. जन आंदोलनों, खुले व कानूनी आंदोलनों, जन प्रतिरोध व जनयुद्ध की बदौलत ग्रीनहंट के तीसरे चरण के तहत संचालित मिशन–2016 और मिशन–2017 भी नाकाम साबित हुई. नतीजतन सरकारें अब एक और बड़ा देशव्यापी दमन अभियान 'समाधान' पर अमल कर रही हैं जिसे उत्पीड़ित जनता अवश्य हरा देगी.

भाजपा सरकारी संरक्षण, पुलिस सहयोग व सहभागिता के साथ गरीब मुसलमानों, ईसाइयों का घर वापसी के नाम पर जबरन हिंदूकरण कर रही है. दलितों, आदिवासियों पर हमलें कर रही है. गोमांस पर पाबंदी लगायी गयी. गिरिजा घरों, बौद्ध मंदिरों को तोड़ा जा रहा है. उनकी संस्कृति, रीति–रिवाज, परंपराओं, आचार–व्यवहार को नीचा दिखाया जा रहा है. वाट्स एप जैसे सोशल मीडिया पर गंदी व अश्लील टिप्पणियां की जा रही है. एक शब्द में कहा जाए तो केंद्र में भाजपा के सत्तारूढ़ होने के बाद से हिंदुत्व ताकतें बेलगाम हो गयी हैं. अपने दलित, आदिवासी, मुसलमान, ईसाई, पिछड़ा वर्ग और महिला विरोधी चरित्र को कदम–कदम पर उजागर कर रही हैं. आज ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवाद उपरोक्त उत्पीड़ित सामाजिक तबकों की जनता के अस्तित्व, अस्मिता, आत्मसम्मान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है.

आदिवासियों को प्रदत्त ग्रामसभाओं के संवैधानिक अधिकार संबंधी पत्थलगड़ी आंदोलन पर छग सरकार द्वारा पाशविक दमन जारी है. दमन को जायज ठहराने के लिए इस आंदोलन के पीछे आदिवासियों के धर्मांतरण–ईसाईकरण के मकसद के अलावा माओवादियों के हाथ होने का झूठा प्रचार किया गया. राज्य के उस आदिवासी अवाम जो पत्थलगड़ी व ग्राम सभाओं के आंदोलन से जुड़ा है, को तथाकथित संवैधानिक अधिकारों–पांचवीं अनुसूची, ग्राम सभाओं या छठवीं अनुसूची तक सीमित न होकर देश की तमाम आदिवासी जनता की वास्तविक स्वायत्तता की गारंटी देने वाली नवजनवादी राज्यसत्ता वाले नवजनवादी भारत के निर्माण के लिए भाकपा(माओवादी) के नेतृत्व में जारी सशस्त्र वर्ग संघर्ष–जनयुद्ध की राह पर आगे बढ़ना चाहिए, उसका हिस्सा बनना चाहिए, तथाकथित संवैधानिक ग्राम सभाओं को जनता की असली जनवादी राज्यसत्ता के संगठन–क्रांतिकारी जन कमेटियों यानी क्रांतिकारी जनताना सरकारों के रूप में तब्दील व विकसित करना चाहिए जो जनता के जल, जंगल, जमीन, अस्तित्व, अस्मिता, आत्मसम्मान को बचाए रखने, असली स्वायत्तता कायम करने एवं असली जन विकास के नमूने पर अमल करते हुए आदिवासी अवाम के सर्वांगीण विकास हासिल करने कार्यरत हों.

रमण सरकार द्वारा अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए दो चरणों में विकास यात्रा जिसके दूसरे चरण को अटल विकास यात्रा का नाम दिया गया था, आयोजित की गयी. जनता खासकर आदिवासी, दलित एवं किसानों ने कई जगह इसका बहिष्कार करके, अधिकारियों को बंधक बनाकर अपना जोरदार विरोध जताया. विकास यात्राओं में भीड़ जुटाने के लिए प्रशासन ने एक ओर छत्तीसगढ़ी नाचा का भी सहारा लिया तो दूसरी ओर जन विरोध के डर से पुलिस ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए युवतियों की काली चुन्नी तक उतरवा दी. करोड़ों रुपयों के जन धन को पानी की तरह फूंका गया.

राज्य के क्रांतिकारी आंदोलन के इलाके में एक ओर दमन में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी करते हुए सूचना आधारित हमलों के तहत तड़पाला के बाद आइपेटा, तिम्मेनार, नुल्कातोंग में नरसंहारों को अंजाम देकर दसियों की संख्या में क्रांतिकारियों व क्रांतिकारी जनता की पाशविक हत्या की गयी.

चुनावी पार्टियों के वर्गीय चरित्र को जानें व समझें!

आएं! छत्तीसगढ़ के आगामी झूठे विधानसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में चुनावी पार्टियों के वर्गीय चरित्र व उनके कामकाज पर नजर डालते हैं!

आगामी विधान सभा चुनावों में अपनी किस्मत आजमाने छोटे–बड़े सभी संसदीय दल अपने–अपने हिसाब से तैयार हो रहे हैं. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी) के चुनाव बहिष्कार के आह्वान के मद्देनजर चुनावी पार्टियों – भाजपा, कांग्रेस के अलावा छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी, सीपीआई, बसपा, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी (आप), गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, आल इंडिया अंबेड्करा‌इट पार्टी, जय छत्तीसगढ़ पार्टी के वर्गीय चरित्र, उनके कामकाज पर एक नजर डालते हैं.

जनविरोधी, देशद्रोही, ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी भारतीय जनता पार्टीः

भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को उसकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जोकि भारत में ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवाद का व्यवस्थीकृत सांगठनिक रूप है, में देखना होगा. 1920 में बनी हिंदू महासभा बाद में 1925 में आरएसएस का रूप ले लिया. उसी की मानस पुत्री है – भारतीय जनता पार्टी. पहले 1951 में आरएसएस ने अपनी राजनीतिक इकाई के रूप में भारतीय जन संघ का गठन किया था. आरएसएस ने इस संसदीय राजनीति के आवरण में देश के कई इलाकों में अपनी जमीन बड़े पैमाने पर तैयार व मजबूत करने में सफल रहा. भारतीय जन संघ कई राज्यों में काम करते हुए आखिर 1977 में गठित जनता पार्टी में शामिल हुई थी और उसी आवरण में पहली बार केंद्र में सत्तारूढ़ हुई. उसके कुछेक नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवानी केंद्रीय मंत्री भी बने. जनता पार्टी के विघटन के बाद भारतीय जन संघ अपना नाम बदलकर सन् 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन गयी. भाजपा को आरएसएस से विरासत में हिंदुत्व विश्व दृष्टिकोण जोकि भाववादी, मनोगतवादी व पितृसत्तात्मक है, मिला. वह वैज्ञानिक, भौतिकवादी, हेतुवादी, द्वंद्वात्मक सोच–विचार का घोर विरोधी है. हालांकि वह कुछेक राज्यों में पहले ही सत्तारूढ़ हुई थी लेकिन पहली बार 1996 में सिर्फ 13 दिनों, 1998–99 में 13 महीनों के लिए फिर अक्टूबर, 1999 में केंद्र में सत्तारूढ़ होकर 5 साल तक सत्ता में रही. इस दौरान कुछेक क्षेत्रीय पार्टियों के साथ उसका गठबंधन रहा. आरएसएस, उसके 60 से अधिक अनुषांगिक संगठन व भाजपा ने अपने संसदीय मंजिल तक पहुंचने के लिए कई खुले व गुप्त हिंसात्मक तौर–तरीकों को बेरोकटोक अपनाया. मुसलमानों व ईसाइयों पर भीषण हमलें किए. हिंदू धर्मोन्माद को फैलाया. बाबरी मसजिद को गिराया. कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के दो जनविरोधी कार्यकालों के दौरान पनपे जन असंतोष का फायदा उठाकर और सामाजिक विभाजन के बलबूते 2014 में फिर से उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन–राजग ने फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल की. हालांकि अब अकेली भाजपा का भी बहुमत है. वर्तमान में भाजपा देश के 21 राज्यों में

प्रधान मंत्री, गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक के हालिया दंतेवाडा दौरों के पीछे का मकसद है, क्रांतिकारी आंदोलन को खत्म करने के अभियानों का जायजा लेना, उन्हें प्रोत्साहित व प्रेरित करना तथा साथ ही भाजपा की गिरती साख को बचाना.

राज्य में पहली बार पुलिस परिवारजनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना, प्रदर्शन, रैलियों के साथ बड़ा आंदोलन किया. लेकिन सरकार ने अपने सुरक्षा बलों की मांगों के समर्थन में गोलबंद हुए पुलिस परिवारजनों के साथ हाथापाई, उन पर लाठीचार्ज सहित आंदोलन का निर्माण करने वाले विद्रोही पुलिस वालों पर गिरफतारी, निलंबन, बर्खास्तगी का कहर बरपाया.

छत्तीसगढ़ सहित देश भर में दर्ज जबर्दस्त विरोध के सामने झुककर एससी, एसटी अत्याचार निवारण कानून को कमजोर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए केंद्र सरकार को अध्यादेश लाने मजबूर होना पड़ा.

उपरोक्त बातों से यह साफ जाहिर होता है कि राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा की रमण सरकार के 15 साल का शासन हो या केंद्र की मोदी सरकार, ये राज्य और देश के चार उत्पीड़ित क्रांतिकारी वर्गों–मजदूर, किसान, पेटि बुर्जुआ व राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्गों के हितों के खिलाफ हैं, उनके दुश्मन हैं, और देश के शोषक–शासक वर्गों–सामंतवादियों, दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों एवं साम्राज्यवादियों के हितैषी हैं, उनकी सेवा व गुलामी करने वाली हैं.

तमाम संसदीय राजनीतिक पार्टियां शोषक–शासक वर्गों की सेवा करने वाली ही हैं और उनका ही प्रतिनिधित्व करने वाली हैं. चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों न बनती हो, यही काम करती हैं. इसीलिए इन चुनावों से अमूलचूल परिवर्तन संभव नहीं है. इसीलिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी) राज्य की तमाम उत्पीड़ित जनता से इन चुनावों का बहिष्कार करने, हथियारबंद संघर्ष की राह पर चलकर शोषक वर्गों की राज्यसत्ता को ध्वस्त करने, लुटेरी सरकारों की बजाए क्रांतिकारी जनताना सरकारों को चुनने, उन्हें मजबूत करने व उनका विस्तार करने की अपील करती है. ❍

सत्तासीन होकर अपनी जनविरोधी नीतियों की वजह से देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों व बड़े जमींदारों की पसंदीदा, मजबूत व बड़ी पार्टी बन गयी.

भाजपा वर्तमान शोषणमूलक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था, ब्राह्मणीय जातिवादी सामंती व्यवस्था का संरक्षक है. उसके संरक्षण, प्रत्यक्ष मदद व सहभागिता के साथ संघ परिवार के नेतृत्व में हिंदुत्व फासीवाद संगठित व्यवस्थीकृत व आतंकी बन गया है. वह भारत की उत्पीड़ित वर्गों व तबकों की जनता खासकर दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों (विशेषकर मुसलमानों, ईसाइयों व बौद्धों), पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के हितों व आकांक्षाओं पर कुठाराघात करने वाली पार्टी है. उसके पिछले चार साल का शासन इसका गवाह रहा है. ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी भाजपा की केंद्र, राज्य सरकारों का कार्यकाल देश की सार्वजनिक संपदाओं, संसाधनों व श्रम शक्ति को कौडियों के भाव तेजी से बेच डालने, अपनी मातृ संस्था आरएसएस के हिन्दू राष्ट्र के एजेण्डे को आगे बढ़ाने के प्रयासों व विरोध करने वालों पर पाशविक दमन के दौर का ही रहा है. मोदी देश के प्रधान मंत्री की हैसियत से देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के प्रधान सेवक की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं.

कांग्रेस के दो कार्यकालों यानी 2004–14 के दौरान अपनायी गयी जनविरोधी नीतियों व राज्य कांग्रेस इकाई में मौजूद अंतहीन गुटबाजी का फायदा उठाते हुए राज्य में पिछले 15 सालों से भाजपा की रमण सिंह सरकार शासनरत है. रमण सिंह छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक संपदाओं व संसाधनों को देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हवाले कर रहे हैं. इस कार्यकाल में केंद्र की मोदी सरकार के ही नक्शेकदम इन्हीं नीतियों पर अमल के लिए 'मेक इन छत्तीसगढ़', 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट' जैसे आकर्षक नारा दिया गया है व आयोजन किया गया है. साथ ही रमण सिंह का शासन पाशविक दमन व मजदूर, किसान, कर्मचारी, शिक्षक विरोधी एवं दलित, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक, व महिला विरोधी नीतियों का गवाह रहा है. विशेषकर रमण राज आदिवासी अवाम के पाशविक दमन का रहा जिसमें फर्जी मुठभेडें, मुठभेड़ें, नरसंहार, महिलाओं का बलात्कार, सामूहिक बलात्कार व हत्याएं, गृहदहन, गांव दहन, मार–पीट, लूट–खसोट आम बात बन गयी थी. स्वच्छ छवि का दंभ भरने वाली रमण सरकार के भ्रष्टाचार व घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं. नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला, कोयला ब्लॉक आबंटन घोटाला, प्रियदर्शिनी बैंक घोटाला सहित कई अन्य घोटालों के अलावा इनमें मुख्यमंत्री के सगे–संबंधियों खासकर उनके संसद पुत्र अभिषेक सिंह के नाम खुल गए हैं. अपने मंत्रियों के अनैतिक, अय्याशीपूर्ण, भ्रष्ट आचरण का बेशर्मी से समर्थन कर रहे हैं. 15 साल का रमण राज का मतलब है, जनविरोधी, देशद्रोही, अत्यंत जनदमनकारी, भ्रष्ट व फासीवादी शासन. भाजपा चौथी बार यदि सत्तारूढ़ होती है तो वह वर्तमान लूट व जनदमनकारी नीतियों पर और तेजी से एवं बेरोकटोक ढंग से लागू करेगी.

तथाकथित आजादी के पहले से शोषक–शासक वर्गों के हित में सेवारत कांग्रेसः

वर्तमान में कांग्रेस (आई–इंदिरा) के नाम से प्रचलित यह पार्टी भारत मे सबसे पुरानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विरासत वाली है. अंग्रेज सरकार के गृह विभाग के अधिकारी एओ ह्यूम की देखरेख में 1885 में बनी यह पार्टी आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करते हुए उस पर पानी फेरता रहा. देश के बड़े जमींदारों व दलाल पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस आजादी के आंदोलन के साथ गद्दारी की. 1947 के सत्ता हस्तांतरण के बाद से लेकर, ठोस रूप से कहा जाए तो 1952 से लेकर 1977 तक केंद्र एवं राज्यों में उसी की सरकारें रही. अपनी जनविरोधी सत्ता के खिलाफ उठे जनाक्रोश को दबाने के लिए कांग्रेस की तत्कालीन इंदिरा सरकार ने जून, 1975 में देश में 20 माह तक आपातकाल लागू किया था. 1977 में उसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, हालंकि 1980 में उसे फिर से केंद्रीय सत्ता मिली. ऐतिहासिक तेलंगाना किसान सशस्त्र संघर्ष, नक्सलबाड़ी और श्रीकाकुलम सहित कई किसान आंदोलनों, पंजाब, कश्मीर सहित उत्तरपूर्वी राष्ट्रीयताओं के आंदोलनों को खून की नदी में डुबोने का बर्बर इतिहास रहा, कांग्रेस का. तथाकथित आजादी के बाद से उसने देश को न सिर्फ अंग्रेज बल्कि कई साम्राज्यवादी देशों की लूट का अड्डा बना दिया.

देश में साम्राज्यवादपरस्त एलपीजी नीतियों को 1990 के दशक में इसी ने शुरु किया था. 2004–14 के बीच कांग्रेस पार्टी ने देश को सभी क्षेत्रों में बर्बाद कर रखा था. यूपीए सरकार ने 2जी स्प्रेक्ट्रम, कामनवेल्थ गेम्स, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी, कोयला घोटाला जैसे कई महाघोटालों के जरिए लाखों करोड़ रुपयों के जनधन को पूंजीपतियों के हवाला किया और इसके एक हिस्से को उसके नेताओं ने डकार लिया. वह विदेशी प्रत्यक्ष पूंजीनिवेश के लिए सारे दरवाजे खोलकर देश में दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों को तेजी से लागू करती रही है. वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली तमाम जनविरोधी नीतियां उसकी पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत यूपीए सरकार की ही हैं. यद्यपि उन नीतियों के नाम बदल दिए गए हैं और उन पर अभूतपूर्व तेजी से आक्रामक ढंग से अमल किया जा रहा है. वह देश की खनिज सम्पदाओं को कार्पोरेट संस्थाओं के हवाले करते हुए जनता को विस्थापित करती रही.

अपने दो कार्यकालों के दौरान अपनायी गयी, देश की संपत्ति व संसाधनों को लुटाने वाली कॉरपोरेटपरस्त नीतियों व दमनकारी नीतियों की वजह से 2014 के संसदीय चुनावों में लज्जाजनक हार का सामना करने

वाली कांग्रेस अब अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है.

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद के तीन साल कांग्रेस सत्ता में रही. तब निजीकरण की नीतियों पर अमल करती रही. बस्तर में सीआरपीएफ को कांग्रेस सरकार ने ही 2003 में तैनात कराया था. 2005 से 2009 तक भाजपा सरकार द्वारा जारी फासीवादी सलवा जुडुम अभियान तत्कालीन कांग्रेस की केंद्र सरकार के मार्गदर्शन व भरपूर मदद से राज्य की कांग्रेस के खुंखार नेता महेंद्र कर्मा के नेतृत्व में ही चलाया गया था. बाद के ग्रीनहंट को तो कांग्रेस ने ही माओवादी आंदोलन एवं विस्थापन विरोधी आंदोलनों के सफाए के लिए देशव्यापी दमन अभियान के तौर पर शुरु किया था.

तथापि कांग्रेस राज्य विधानसभा में पिछले 15 सालों से और संसद में पिछले चार सालों से प्रमुख विपक्षी दल की हैसियत से है. कांग्रस पार्टी सिर्फ अपने स्वार्थपूर्ण राजनीतिक हितों को साधने के लिए केंद्र व राज्य की भाजपा सरकारों की कुछेक जनविरोधी नीतियों का सतही तौर पर विरोध कर रही है. कुछेक जन समस्याओं को लेकर छोटे–मोटे आंदोलन कर रही है. जनता के दबाव में और अपनी साख बढ़ाने वह आदिवासियों के नरसंहारों, फर्जी मुठभेड़ों, विस्थापन के खिलाफ आवाज उठा रही है. अब कांग्रेस राज्य में पिछले 15 सालों से जारी रमण सरकार की जनविरोधी नीतियों से त्रस्त जनता के असंतोष का फायदा उठाकर, सत्ता हथियाने व यूपीए नमूने को राज्य में अमल करने के लिए उत्सुक हो, चुनाव में कूद रही है. यह सत्ता में आती है तो राज्य में लागू लूट और दमन नीतियों को वैसी ही या नाम बदलकर जारी रख सकती है.

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी–सीपीआई:

सीपीआई का जन्म 1925 में हुआ था. उसने कई किसान व मजदूर आंदोलनों का नेतृत्व किया लेकिन उसके नेतृत्व ने आजादी के आंदोलन के समय सही रणनीति–कार्यनीति नहीं अपनायी और पार्टी कांग्रेस की पूंछ बनकर रह गयी. महान तेलंगाना ऐतिहासिक किसान सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सीपीआई ने 1951 में उसे बंद करके भारत की जनवादी क्रांति के साथ गद्दारी की. 1956 से उसने हथियारबंद वर्ग संघर्ष के रास्ते को छोड़कर शांतिपूर्ण परिवर्तन का रास्ता अपनाया. 1952 से ही उसने चुनाव में भाग लेना शुरु किया. इस तरह वह संशोधनवादी पार्टी बन गयी.

बस्तर और कुछ अन्य इलाकों में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने वाली संशोधनवादी सीपीआई सतही तौर पर ही सरकारी नीतियों की आलोचना करती है. विस्थापन के मुद्दे पर वह कार्पोरेट लूटखसोट की नीतियों का पूर्ण विरोध न करते हुए, उसके खिलाफ दृढ़ता से न लड़ते हुए 'विस्थापन से पहले व्यवस्थापन' की दिवालिया नीति अपना रखी है. यानी पहले पर्याप्त मुआवजा देकर जमीनें छीनी जा सकती हैं. एक ओर सीपीआई सलवा जुडूम और आपरेशन ग्रीनहंट जैसे दमन अभियानों, आदिवासियों पर जारी सरकारी हिंसा, फर्जी मुठभेडों, गिरफ्तारियों, महिलाओं पर अत्याचारों का विरोध कर रही है और समय–समय पर जन गोलबंदी की कोशिश करती है. साथ ही इसका वह चुनावी फायदा उठाने भरसक प्रयास करती है. वहीं दूसरी ओर वह यह कहते हुए कि आदिवासी दो पाटों के बीच पिस रहे हैं और माओवादियों को हिंसा छोड़कर चुनाव के रास्ते में आना चाहिए, अपनी संशोधनवादी लाइन की वकालत कर रही है. वह अपने चरित्र के ही अनुरूप जनयुद्ध और जन प्रतिरोध के औचित्य पर सवालिया निशान लगा रही है तो दूसरी ओर यह झूठा और वाहियात बयान देने लगी है कि माओवादी चुनावों में सीपीआई को हरा रहे हैं और भाजपा को जिता रहे हैं. हमारी पार्टी किसी को जिताने या हराने चुनाव बहिष्कार का नारा नहीं देती है, बल्कि जनयुद्ध के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए चुनावों व चुनावी पार्टियों का बहिष्कार करती है.

यहां यह बताना लाजिमी होगा कि हाल ही में सीपीआई ने घोषणा की थी कि वह 'विकल्प संगम मंच' के नाम पर माओवादियों और सरकार के बीच शांति वार्ता कराने पदयात्रा का आयोजन करेगी. यह उसकी संशोधनवादी एवं वर्ग समरसता की दिवालिया राजनीति का परिचायक है. वर्ग संघर्ष/जनयुद्ध को कब का छोड़ चुकी सीपीआई वोटों व कुछेक सीट पाने के लिए इस तरह के सस्ते दांव–पेंच पर काम कर रही है. आज के समय की मांग शांति वार्ता की नहीं, असली शांति की स्थापना के लिए लड़ने की है जोकि भाकपा(माओवादी) कर रही है. शोषक वर्गों के शोषण व शासन को खत्म करने से ही वह संभव है. देश के मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित तमाम उत्पीड़ित जनता पर जारी शोषक–शासक वर्गों व उनका प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारों की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सभी प्रकार की हिंसा को खत्म करने के लिए ही भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी) सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनायी हुई है.

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)–सीपीआई(एम):

सीपीआई की संशोधनवादी लाइन से नाता तोड़कर उससे अलग होकर 1964 में बनी सीपीआई(एम) तुरंत ही नया संशोधनवादी लाइन को अपनाते हुए पश्चिम बंगाल में 1965 में संयुक्त मोर्चा सरकार में शामिल हुई. चुनावों में शामिल होने लगी. महान नक्सलबाड़ी किसान सशस्त्र संघर्ष से लेकर कई जन आंदोलनों का दमन करती रही. सीपीएम के नेतृत्व वाले 'वाम' मोर्चे द्वारा पश्चिम बंगाल में दशकों तक चलाया गया सामाजिक फासीवादी शासन और उसके द्वारा अमल कार्पोरेट–परस्त तथा जन विरोधी नीतियों का अनुभव खुली किताब की तरह देश के सामने

मौजूद है. लंबे समय तक आतंक के सहारे सत्तारूढ़ रही सीपीआई(एम) 2011 में पश्चिम बंगाल व इस साल त्रिपुरा की सत्ता से बेदखल हुई. कभी केंद्र की कांग्रेस नीत यूपीए सरकार का बाहर से समर्थन, कभी तीसरे मोर्चे, कभी वाम मोर्चे के बनते–बिगड़ते संसदीय समीकरणों में उलझकर दिवालिया राजनीति करने वाली सीपीआईएम का हालांकि राज्य में कोई खास प्रभाव नहीं है. 25 मई, 2013 वाली पीएलजीए की कार्रवाई में जब सलवा जुडूम का सूत्रधार, हत्यारा और बस्तरिया जनता का दुश्मन महेन्द्र कर्मा समेत कुछ अन्य कांग्रेसी नेता मारे गए थे, सीपीआई(एम) और सीपीआई ने उसका खण्डन कर अपने जन विरोधी चरित्र को उजागर किया. इस तरह दोनों ने यह साबित किया कि वे अपनी आत्मरक्षा और अस्तित्व के लिए संघर्षरत जनता के पक्षधर नहीं हैं, बल्कि शोषक शासक वर्गों के ही पक्षधर हैं. यूपीए सरकार का बाहर से समर्थन देकर उसने उसकी तमाम जनविरोधी व कॉरपोरेट अनुकूल नीतियों एवं जन दमनकारी नीतियों का ही समर्थन करती रही. पश्चिम बंगाल की 1990 के दशक के उत्तरार्ध में तत्कालीन सीपीआई(एम) सरकार अपने इस मत कि दलितों पर हिंसा जातीय आधार पर नहीं हो रही है, एससी, एसटी कानून के तहत केसेस दर्ज नहीं कर रही थी. इससे उसके दलित विरोधी चरित्र भी उजागर होता है. हम चाहते हैं कि क्रांतिकारी लाइन से कब का नाता तोड़ चुकी और मार्क्सवाद की रट मात्र ही लगाने वाली संशोधनवादी सीपीआई और नवसंशोधनवादी सीपीअई(एम) के असली चरित्र और हमारे रुख के बारे में जनता स्पष्ट रूप से समझें.

छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जोगी):

राज्य गठन के बाद के तीन साल तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके अजित जोगी 2003 के चुनावों में हार के बाद भाजपा विधायकों को खरीदने के चक्कर में कांग्रेस से निलंबित हुए थे. उसके बाद हालांकि वे कांग्रेस में फिर से कुछ समय के लिए सक्रिय हो गए थे लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी के चलते वे उसमें हाशिए पर चले गए. भाजपा के रमण सिंह के साथ उनकी नजदीकी को लेकर राजनीतिक गलियारों में तीखी चर्चा होती रहती है. आखिरकार उन्होंने अपनी अलग पार्टी–छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जोगी) बना ली. कांग्रेस, भाजपा के कुछ असंतुष्ट, उनके पुराने चेले–चपाटी और आदिवासी इलाकों के कुछ छोटे–मोटे नेता उनकी पार्टी का आधार हैं. अपने शासनकाल में जनविरोधी, निजीकरण, दमनकारी नीतियों को अंजाम देने वाले अजित जोगी आदिवासी इलाकों में अपनी पैठ बनाने व बढ़ाने के लिए और तद्वारा कुछेक सीटें हासिल करने के फिराक में वर्तमान भाजपा की जनविरोधी, आदिवासी विरोधी व दमनकारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं. यहां यह बताना वाजिब होगा कि अजित जोगी के ही मुख्य मंत्रित्व काल में 2003 में पहली बार बस्तर के संघर्षरत इलाकों में सीआरपीएफ को तैनात किया गया था. कुछेक समस्याओं को लेकर जनता को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं. इन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों की घोषणा की. छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का बहुजन समाज पार्टी के साथ अप्रत्याषित गठबंधन होने की संभावना जतायी जा रही है.

बहुजन समाज पार्टी:

खुद को बहुजनों–दलितों और अन्य उत्पीड़ित तबकों का प्रतिनिधि व डॉ. अंबेडकर की वारिस बताने वाली बीएसपी वास्तव में सामंती और दलाल बुर्जुआ वर्गों का ही प्रतिनिधि है, यह बात काफी पहले ही यानी बसपा के पहले सरकारी कार्यकाल के दौरान ही साफ हो चुकी है. उत्तरप्रदेश में उस पार्टी की नेता मायावती के शासनकाल में बेरोकटोक लागू जन विरोधी, फासीवादी–दमनकारी और कॉरपोरेट अनुकूल नव उदारवादी नीतियां इस बात का साफ सबूत हैं. 1997 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने बदलते राजनीतिक समीकरणों व उच्च जातियों के उच्च वर्ग के लोगों के साथ स्वार्थी गंठजोड़ के चलते पुलिस को आदेश दिया था कि जिलाधीश के अनुमोदन के बगैर एससी एसटी कानून के तहत केसेस दर्ज न करें. यह बसपा व उसकी सुप्रीमो के 'दलित प्रेम' को समझने के लिए काफी है.

छत्तीसगढ़ में इस पार्टी की कोई खास ताकत नहीं होने के बावजूद कुछ सीटों पर वह चुनाव लड़ सकती है. सदियों से दमन, उत्पीड़न और भेदभाव का शिकार रहे दलितों और अन्य शोषित तबकों के बहुत कम लोगों के अंदर ही सही बीएसपी पर अभी भी कुछ भ्रम मौजूद हैं जिनका फायदा मायावती उठाने की कोशिश कर रही है. उन्हें दूर करने की जरूरत है. अजित जोगी की पार्टी के साथ बसपा के गठबंधन की सुगबुगाहट सुनायी दे रही है.

आम आदमी पार्टी:

कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी व उनके गठबंधनों से त्रस्त व तथाकथित संसदीय लोकतंत्र से लोगों का भरोसा उठने के हालात में जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए कि इसी संसदीय लोकतंत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव है, स्वयं को कांग्रेस व भाजपा के विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी का उद्भव हुआ. जन असंतोष को भ्रष्टाचार के खिलाफ में परिवर्तित करने वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से एवं गैर सरकारी संगठनों की राजनीति से संसदीय राजनीति का रास्ता तय करके आप बनी. दिल्ली व केंद्र सरकारों की जनविरोधी नीतियों से ऊब चुकी दिल्ली की जनता को अपने लोकलुभावन वादों से आकर्षित करने में सफल आप पार्टी पहले 2013 में कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बनायी. बाद में जन लोकपाल बिल पास न करा पाने का बहाना करके इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव में जाने वाली आप अत्यधिक बहुमत के साथ सत्ता

में वापस आयी. सत्तासीन होते ही उसके अंदर की गुटबाजी, सैद्धांतिक मतभेद, भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण खुलकर सामने आने लगी हैं. पुरानी संसदीया पार्टियों से यह भिन्न नहीं है. भागीदारी जनवाद का ढोंगी नारे के पीछे असली मकसद वर्तमान व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाना. यह भी शोषक–शासक वर्गीय पार्टी ही है. छत्तीसगढ़ में इसकी नेत्री सोनी सोढ़ी अमानवीय पुलिस अत्याचारों, एसिड हमले का शिकार रहीं. राज्य में आप पार्टी आदिवासियों पर जारी सरकारी दमन का विरोध करती है. फर्जी मुठभेडों, बलात्कारों के मामलों में जांच–पड़ताल करके सच्चाई को सामने लाती है और कानूनी लड़ाई लड़ती है. लेकिन वह वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की ही हिमायती है. 2016 में सोनी सोढ़ी के नेतृत्व में आप पार्टी ने बस्तर संभाग के दंतेवाडा से गोंपाड़ तक तिरंगा यात्रा निकालकर, 2018 में पीएलजीए के हमले की निंदा करके अपने असली चरित्र को उजागर किया. माओवादी आंदोलन के संदर्भ में अपनी यह राय बताकर कि बस्तरिया माओवादियों को नहीं बल्कि तेलुगु माओवादियों जैसे रामन्ना, गणेश उइके को मुठभेडों में मार दिया जाए, आप नेत्री सोनी सोढ़ी ने अपने जनविरोधी, प्रतिक्रांतिकारी चरित्र को स्वयमेव उजागर किया है. आप का राज्य में जनाधार नाममात्र का ही है.

जय छत्तीसगढ़ पार्टीः

बस्तर के बुजुर्ग आदिवासी नेता और पूर्व कांग्रेसी सांसद व मंत्री अरविंद नेताम तथा पूर्व भाजपा सांसद सोहन पोटाई द्वारा 2018 में बनायी गयी जय छत्तीसगढ़ पार्टी का फिलहाल कोई जनाधार नहीं है. लेकिन चूंकि दोनों बस्तर के स्थानीय आदिवासी नेता हैं, इसीलिए शायद ये उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें कुछ सीटें मिल जाएं. कांग्रेस में हाशिए में चले जाने के बाद नेताम नेशनल पीपुल्स पार्टी में शामिल हो गए थे. बाद में उससे बाहर आकर लंबे इंतजार के बाद नयी पार्टी की घोषणा की. सोहन पोटाई को भाजपा ने संसद प्रत्याशी नहीं बनाया, इसी कारण वे रुष्ट हैं, अन्यथा भाजपा की आदिवासी विरोधी नीतियों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. ये दोनों नेता अपनी स्थिति मजबूत करने के चक्कर में भाजपा सरकार की दमनकारी नीतियों व विस्थापन के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं और जन गोलबंदी के दौरान पहुंच रहे हैं. ये लोग वोटों और सीटों के लिए ही आदिवासी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि आदिवासियों के असली मुद्दों पर, जल–जंगल–जमीन पर अधिकार के मुद्दे पर इनका कोई स्पष्ट राय नहीं है. ये दोनों परालकोट इलाके में आदिवासी–बंगाली अंतरविरोध को जानबूझकर शत्रुतापूर्ण अंतरविरोध में बदलकर अपना उल्लू सीधा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं. चुनाव जैसे–जैसे नजदीक आएंगे, ये अपनी मूल पार्टियों में घर वापसी भी कर सकते हैं. यह पंक्तियां लिखे जाने तक अरविंद नेताम अपनी मूल पार्टी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं.

गोंडवाणा गणतंत्र पार्टीः

गोण्डवाना गणतंत्र पार्टी सिर्फ नाम के वास्ते ही आदिवासियों की पार्टी है लेकिन उसने आदिवासियों के वास्तविक मुद्दों पर स्पष्ट रुख के साथ आंदोलन कम ही चलाए. मुख्य रूप से आदिवासियों पर जारी फासीवादी सरकारी दमन के खिलाफ उसने कभी दृढ़तापूर्ण रुख नहीं अपनाया. आदिवासियों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बने विस्थापन के मुद्दे पर इसने जनता को गोलबंद करने और आंदोलन खड़ा करने की कहीं कोशिश की हो, ऐसा तो दिखाई नहीं देता. जैसे–तैसे कुछ सीटें हासिल कर किसी न किसी पार्टी का पिछलग्गू बन जाना ही इसका लक्ष्य दिखाई पड़ता है. हालांकि अस्मिता के मुद्दे पर इस पार्टी ने कुछेक बार आदिवासियों को गोलबंद किया.

आल इंडिया आंबेडकराइट पार्टीः

यह पार्टी डॉ. अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की बात करती है और दलित व आदिवासियों यानी बहुजनों को गोलबंद करके चुनावों के माध्यम से सत्ता हथियाने की वकालत करती है. हालांकि यह दलितों व आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का समर्थन करती है और आदिवासियों पर जारी सरकारी दमन का विरोध करती है. यह ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवाद का विरोध करती है. लेकिन शोषक–शासक वर्गों के खिलाफ वर्ग संघर्ष या जनयुद्ध इसे नहीं सुहाता है. यह संवैधानिक दायरे में ही सामाजिक परिवर्तन को संभव मानती है. राज्य में फिलहाल इसका कोई खास जनाधार नहीं है. वह अपनी पैठ बढ़ाने में लगी है.

इन पार्टियों के अलावा और भी कुछ छोटी–मोटी पार्टियां चुनावी दंगल में अपना भविष्य आजमा सकती हैं. इन पार्टियों का कांग्रेस और भाजपा से अलग न कोई स्वतंत्र कार्यक्रम है न ही कोई अलग एजेण्डा है. जन समस्याओं के हल के लिए इनके पास कोई नया समाधान भी नहीं है.

चूंकि तमाम संसदीय पार्टियां एक ही थैले के चट्टे–बट्टे हैं, इसलिए पार्टी चाहे जो भी हो, छोटी हो या बड़ी, चाहे जो भी जीते, चाहे जो भी सरकार बनाएं, अकेली पार्टी या गठबंधन, राज्य की आम जनता/उत्पीड़ित जनता के जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. आम जनजीवन में कोई आमूलचूल परिवर्तन आने वाला नहीं है. सारतत्व में सारी पार्टियां शोषक–शासक वर्गीय पार्टियां ही हैं. उन्हीं का प्रतिनिधित्व करने वाली और उन्हीं के हित में काम करने वाली हैं. इसलिए इन चुनावों का बहिष्कार करें, इस चनावी राजनीति को ही सिरे से खारिज करें. अमूलचुल परिवर्तन के लिए सशस्त्र संघर्ष की राह पर चलें. जनता की असली जनवादी राज्यसत्ता की स्थापना के लिए कमर कसने के सिवाय और कोई नजदीकी रास्ता नहीं है. ❍

क्रांतिकारी जोश के साथ मना, शहीद स्मृति सप्ताह!

हर साल की भांति इस साल भी 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त, 2018 तक पूरे दंडकारण्य के गांव–गांव में शहीद स्मृति सभाएं एवं रैलियां आयोजित की गयी. इस दौरान देहाती, कस्बाई इलाकों में व्यापक प्रचार अभियान संचालित किया गया. इन सभाओं में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के संस्थापक नेताद्वय कामरेड चारु मजुमदार एवं कन्हाई चटर्जी सहित उनकी राह पर चलते हुए जनयुद्ध में जान कुरबान करने वाले तमाम वीर शहीदों को प्रत्येक के नाम पर विनम्र श्रद्धांजली अर्पित की गयी. इस दौरान सभाओं में क्रांतिकारी जनता ने जनयुद्ध को तेज करके रणनीतिक दमन योजना 'समाधान' को हराने, सभी स्तरों के पार्टी नेतृत्व को बचाने एवं क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया.

कॉ.चारु मजुमदार कॉ.कन्हाई चटर्जी

भारतीय क्रांति के महान नेता, हमारी पार्टी के संस्थापक, शिक्षक और अमर शहीद कामरेड चारू मजुमदार और कामरेड कन्हाई चटर्जी के दर्शाये दीर्घकालीन जनयुद्ध की राह पर भारत वर्ष में नवजनवादी क्रांति को, अंत में समाजवाद–साम्यवाद को सफल बनाने के लक्ष्य से अगस्त 2017 से मई 2018 तक पार्टी, पीएलजीए, क्रांतिकारी जनसंगठन और क्रांतिकारी जन कमेटियों के विभिन्न स्तरों के 180 से ज्यादा नेतृत्व व कैडर एवं क्रांतिकारी जनता ने अपने अनमोल प्राणों को न्योछावर कर दिया. इनमें पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड देव कुमार सिंह उर्फ अरविंद /सुजीत/निशांत, सेन्ट्रल रीजनल ब्यूरो के दायरे के स्टाफ, सेन्ट्रल रीजनल कमान के दायरे के 10 कामरेड, दण्डकारण्य के 125, बिहार–झारखण्ड के 17, तेलंगाना के 4, आंध्र–ओडिशा सीमा इलाके के 7, ओड़िशा के 12, महाराष्ट्र–मध्यप्रदेश–छत्तीसगढ़ के 5, पश्चिमी घाटियों के ट्राई–जंक्शन इलाके के एक कामरेड शामिल हैं. इनमें से 69 महिला नेतृत्व–कैडर और ग्रामीण महिलाएं शामिल हैं.

भाकपा (माओवादी) और क्रांतिकारी आंदोलन को 'देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा' मानकर, उसका पूरे तौर पर उन्मूलन करने के लक्ष्य से भारत के शोषक–शासक वर्गों द्वारा संचालित ऑपरेशन ग्रीनहंट की रणनीति मई 2017 तक जब नाकाम हो गयी, तब नयी 'समाधान' रणनीति (2017–22) सामने लायी गयी. इसके तहत दिन–ब–दिन तेज होते जा रहे दुश्मन के पाशविक हमलों में इस साल दण्डकारण्य के माड़–इरपानार, कल्लेड़ा, कसनूर–तुमिरिगुंड़ा, आयपेटा, तेलंगाना में ताड़पाल, बिहार–झारखण्ड के बड़गांव, एओबी के कोरापुट, ओड़िशा के खोजरूगुड़ा जैसे जगहों पर दुश्मन द्वारा अंजाम दिए गए जनसंहारों में पार्टी को गंभीर नुकसान झेलने पड़े.

ताड़पाल के दुश्मन के घेराबंदी हमले में सीआरबी के स्टाफ कामरेड दंडाबोइना स्वामी उर्फ प्रभाकर, दण्डकारण्य में कसनूर–तुमिरिगुंड़ा के दुश्मन के हमले में दक्षिण गढ़चिरोली के डीवीसी सचिव कामरेड विजेंद्र उर्फ श्रीनू, डीवीसी सदस्य कामरेड्स वासुदेव आत्रम उर्फ नंदू, डोलेश आत्रम उर्फ साइनाथ, ओड़िशा के डीवीसी सदस्य कामरेड संजु शहीद हुए.

इसी तरह इस साल शहीद हुए महिला एसी/पीपीसी सदस्यों में दण्डकारण्य की कामरेड मड़काम राजे उर्फ सोनी, कामरेड ओयम सुक्की उर्फ क्रांति, सीआरसी की कंपनी–2 की कामरेड्स सोढ़ी पांडे उर्फ रामे, कुहडम कोसी, तेलम रामे, तेलंगाना की कामरेड कुम्मा प्रमीला, महेरी वड्डे उर्फ लता, मंगली पद्दा उर्फ शांति, चंद्राकला, राधा पल्लो, लिमी मट्टामी, जमुना इचामी, ललिता नैताम, ओड़िशा की कामरेड वनीला आदि शामिल हैं.

इस साल फर्जी मुठभेड़ों में 85 कामरेड, मुठभेड़ों में 88, बूबीट्रैप दुर्घटना में एक कामरेड, हाथियों के हमले में एक कामरेड, बीमारी से 4, सांप के काटने से तीन कामरेड शहीद हुए. शहीद कामरेडों में से एक हमारी पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य, एक आरसी सदस्य, जेडसी/डीसी/डीवीसी सदस्य 6 कामरेड, सबजोनल कमेटी सदस्य दो कामरेड, एसी/पीपीसी सदस्य 26 कामरेड, पार्टी/पीएलजीए सदस्य 96 कामरेड, जीपीसी सदस्य एक कामरेड, विभिन्न आरपीसीयों के नेता तीन कामरेड, जनसंगठन के नेता और सदस्य 7 कामरेड, मिलिशिया कमांडर और सदस्य 25 कामरेड, क्रांतिकारी जनता 12 कामरेड जिनमें दो बालक हैं, शहीद हो गए.

इन अमर शहीदों ने जनता और पार्टी के हितों को ही अपने हित के रूप में लेकर निजी स्वार्थ को त्याग दिया. उच्चतम कम्युनिस्ट मूल्यों, आदर्शों, साहस, समर्पण, वचनबद्धता को प्रदर्शित किया. अमर शहीदों के स्मृति उत्सव के अवसर पर अरविंद सहित इन सभी अमर शहीदों को दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी एवं प्रभात सिर

झुकाकर विनम्रतापूर्वक श्रद्धासुमन अर्पित करती है. अमर शहीदों के परिवारजनों और बंधु–मित्रों के दुख में शामिल होते हुए उन्हें तहे दिल से प्रगाढ़ सहानुभूति व्यक्त करती है.

इस मौके पर पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने विश्व समाजवादी क्रांति के तहत जारी भारत की नवजनवादी क्रांति को जीतने के लिए इन अमर शहीदों द्वारा दर्शाए गए सुर्ख रास्ते पर अंत तक संघर्ष करने की शपथ लेने का पार्टी, सेना और संयुक्त मोर्चा की सभी कतारों का आह्वान किया था. साथ ही उसने आह्वान किया था कि पहलकदमी, धैर्य व साहस, आत्मबलिदान की चेतना, बोल्शेविक दृढ़ता के साथ आंदोलन को और एक कदम आगे बढ़ाएं. शहीद स्मृति सप्ताह के अवसर पर इन सभी अमर शहीदों के व्यवहार से सीख लें. उनके आदर्शों को पार्टी कतारों व जनता के सामने रखकर क्रांति में अपना हिस्सा निभाने के लिए प्रेरणा दें. केंद्रीय कमेटी के इस आह्वान को आत्मसात करते हुए इस साल शहीद स्मृति सप्ताह का आयोजन किया गया था.

इस साल के 28 जुलाई–3 अगस्त के बीच शहीद स्मृति सप्ताह के अवसर पर शहीदों के त्यागों व आदर्शों को ऊंचा उठाते हुए जनता के अंदर दुश्मन के प्रति वर्गीय घृणा बढ़ायी गयी. राज्यहिंसा के खिलाफ निडर होकर लड़ने की जनता में चेतना को बढ़ाने की कोशिश की गयी. शोषण, उत्पीड़न और दमनकारी राजनीति और प्रतिक्रांतिकारी 'समाधान' रणनीति का भण्डाफोड़ करते हुए, जनता को सरकारों की झूठी सुधार योजनाओं के भ्रम से बाहर लाने शिक्षा दी गयी. प्रतिक्रांतिकारी मुखबिरों को पकड़कर सजा देने की जिम्मेदारी और पार्टी, पीएलजीए, क्रांतिकारी जन कमेटी और क्रांतिकारी जनसंगठनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी जनता की है, इसके बारे में जनता के अंदर व्यापक रूप से प्रचार किया गया. यथासंभव सभी पद्धतियों से प्रतिरोध करने के लिए जनता को प्रेरित किया गया. जनता की चेतना के मुताबिक उचित तरीकों को अपना कर अमर शहीदों के स्मारक निर्माण कर क्रांतिकारी परंपराओं के साथ अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के कार्यक्रम पर अमल किया गया. हालांकि दुश्मन शहीद स्मृति सप्ताह को विफल करने की नाकाम कोशिशें की, गश्त अभियानों को संचालित किया, स्मारकों को गिरा दिया, लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश की. इन सबके बावजूद पीएलजीए के तीनों बलों की सुरक्षा घेरा व पहरेदारी में कइयों जगहों पर शहीदों की अमर स्मृति में नए स्मारकों का निर्माण किया गया. पुराने स्मारकों का रंग–रोगन किया गया. चेतना नाट्य मंच के गीतों, नृत्यों व नाटकों के प्रदर्शन के द्वारा शहीदों को न सिर्फ याद किया गया बल्कि उनकी वीरता, आदर्शों व बलिदानों को जनता के सामने प्रस्तुत किया गया. अमर शहीदों के परिवारों को जनसभाओं में आमंत्रित कर उनके द्वारा स्मारकों का अनावरण करवाया गया, झंडा फहराया गया, उन्हें वक्तव्य देने के लिए कहा गया. कई शहीदों के परिजनों ने प्रेरणादायी भाषण दिए. शहीदों के असहाय परिवारजनों को आर्थिक और हार्दिक मदद देने जनता को प्रोत्साहित किया गया. हमारे शहीद योद्धाओं के बलिदानों को ऊंचा उठाते हुए व्यापक रूप से पोस्टर, पर्चा, बुकलेट, फोटो कैलेंडर, शहीदों के फोटो वितरित कर प्रचार किया गया. बांस आदि से अस्थायी स्मारकों का निर्माण कर सड़क किनारे के गांवों, कस्बाई इलाकों में लगाया गया था. वाट्स एप जैसे सोशल मीडिया में शहीद स्मारकों, पोस्टरों को रखा गया था.

पर्चो, पोस्टरों, पुस्तिकाओं, आम सभाओं के जरिए शहीद सप्ताह के अवसर पर केंद्रीय कमेटी के द्वारा जारी संदेश के निम्नांकित सारतत्व को कैडरों व जनता तक ले जाने की कोशिश की गयी.

बीते साल भर से भाजपा के मोदी नेतृत्वाधीन एनडीए की केन्द्र सरकार व विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 'समाधान' रणनीति के तहत क्रांतिकारी आंदोलन पर फासीवादी हमले और तेज हो गये हैं. शोषक–शासक वर्ग सभी तरह के संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए, पुलिस, अर्धसैनिक और कमांडो बलों के साथ–साथ पूरे सरकारी तंत्र को इस हमले में झोंक रही हैं. क्रांतिकारी इलाकों में नयी बटालियनों को तैनात कर रही हैं. कार्पेट सुरक्षा को दिन–ब–दिन बढ़ा रही हैं. जिन आदिवासी इलाकों में क्रांतिकारी आंदोलन मजबूत है, उन इलाकों में आदिवासी बटालियनों को तैनात कर रही हैं. खुफिया तंत्र कई गुना बढ़ी है. पार्टी के नेतृत्व पर मुख्य रूप से केन्द्रित करने के साथ–साथ, पार्टी की विभिन्न कमेटियों, पीएलजीए बलों, क्रांतिकारी जन कमेटियों और जनमिलिशिया पर हमले बढ़े हैं. दुश्मन की पाशविकता का कोई सीमा नहीं रह गया है.

एनडीए सरकार की सभी क्षेत्रों में अमेरिकी साम्राज्यवादियों के साथ सांठगाठ जारी है. वह दक्षिण एशिया में अमेरिकी लूट के हितों को पूरा करने एक वफादार दलाल के रूप में कार्यरत है. अमेरिकी साम्राज्यवादियों और कार्पोरेट घरानों के लिए देश को पूरी तरह गिरवी रख रही है. भारत के शासक वर्ग अपने इन जनविरोधी नीतियों के अमल में किसी तरह का रुकावट पैदा न हो – इस तरह रास्ते को सुगम बनाने के लिए, वे पहले से ही भड़काने वाली हिंदू धर्मांधता को अब 'हिंदू राष्ट्र' की स्थापना करने के लक्ष्य से हिंदुत्व फासीवाद के रूप में परिवर्तित कर चुके हैं. भारत के शासक वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में मोदी–मोहन भागवत–अमित शाह गुट द्वारा अमल की जाने वाली सभी हिंदुत्व फासीवादी नीतियां सिर्फ साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाही पूंजीवाद और बड़े सामंती

वर्गों के हितों को ही पूरी करने वाली हैं और ये देश की व्यापक जनता के जीवन को दूभर बना देंगी. दरअसल देश के मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक, उत्पीड़ित राष्ट्रीयता, महिला, कर्मचारी, छात्र–युवा, शिक्षक, प्राध्यापक, डॉक्टर आदि उत्पीड़ित तबकों द्वारा अपनी समस्याओं के हल के लिए संचालित जुझारू आंदोलनों को कुचलने के लिए यह गुट हिंदुत्व फासीवाद को भड़का रहा है. देश को धर्म के आधार पर विभाजित कर देश की जनता को बली का बकरा बनाकर साम्राज्यवादियों के हितों को और देश के दलाल नौकरशाही पूंजीपति एवं बड़े सामंती वर्ग के हितों को पूरा करने पर तुला हुआ है. इसके लिए यह गुट देश को 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे से भ्रमित कर रहा है. झूठा व अंधराष्ट्रवाद, झूठी देशभक्ति और पाकिस्तान व चीन के प्रति नफरत, युद्धोन्माद भड़का रहा है.

मोदी सरकार द्वारा कई मजदूर कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन करने, एल.पी.जी. नीतियों के अमल में तेजी लाने के कारण मजदूरों पर शोषण और उत्पीड़न और तेज हो रहा है. इसके खिलाफ मजदूर वर्ग जुझारू संघर्ष कर रहा है. देश में कृषि संकट को हल करने का वादा कर मोदी सरकार द्वारा सामने लायी गयी रुर्बन मिशन, ई–बाजार, 22 हजार ग्रामीण साप्ताहिक बाजारों को कृषि बाजारों के रूप में विकसित करना, वन धन विकास आदि सभी योजनाएं देशी–विदेशी कार्पोरेट कृषि और व्यापार हेतु अनुकूल बुनियादी सुविधाएं निर्माण के लिए, अनुकूल परिस्थिति तैयार करने के लिए इस्तेमाल करने के सिवा और कुछ नहीं है. इन योजनाओं से किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुक सकती हैं, कम से कम उनकी फौरी समस्याओं का भी हल नहीं हो सकता है. इससे देश के कृषि संकट और बढ़ने के कारण किसान देश भर में अपनी मांगों को लेकर लम्बे आंदोलन के लिए तैयार हो जाने की स्थिति पैदा हो रही है.

शासक वर्गों द्वारा साम्राज्यवादी और पितृसत्तात्मक सामंती संस्कृति को बेरोकटोक प्रोत्साहन देने के कारण युवा उसका शिकार हो रहे हैं. विशेषकर, महिलाएं अत्याचारों और हत्याओं का शिकार हो रही हैं. महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ देश भर में महिलाएं संघर्ष कर रही हैं.

आदिवासियों द्वारा विस्थापन समस्या, पेसा कानून की अमल आदि संवैधानिक मांगों के लिए जुझारू रूप से संघर्ष करने के बावजूद सरकारें अनसुना कर रही हैं. इस बीच कई राज्यों में जल–जंगल–जमीन पर अधिकार के लिए जारी 'पत्थलगड़ी' आंदोलन इसका उदाहरण है.

मोदी सरकार के शासन में गोरक्षा, लव जिहाद, घर वापसी आदि के बहाने दलितों और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले आम बात बन गए हैं. मोदी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले जारी रखने के तहत तीन तलाक समस्या के बहाने इस्लाम धर्म के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के लिए तीन तलाक बिल लायी है. अयोध्या में राममंदिर निर्माण की बात फिर से जोर पकड़ रही है. आरक्षण को रद्द करने का प्रस्ताव दलितों और पिछड़ी जातियों पर तेज होते हमलों का संकेत मात्र है. ये सब जनता के बीच की एकता पर चोट पहुंचाकर, उनके बीच धार्मिक आधार पर कभी नहीं बुझने वाली आग लगाकर फूट डालो–राज करो की नीति पर अमल कर अपने शोषणकारी हितों को पूरा करने के सिवा और कुछ नहीं है. इससे दलित और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने ही तरह के आत्मरक्षा संघर्षों के लिए तैयार हो रहे हैं. सहारनपुर में दलितों का प्रतिरोध और भीमा–कोरेगांव में संघ परिवार के हमले के खिलाफ महाराष्ट्र में उभार की तरह उठे दलितों का विरोध, उना में दलितों का ऐलान कि वे अब मरे हुए मवेशियों को नहीं हटाएंगे और उनका बौद्धधर्मांतरण, एससी–एसटी अत्याचार रोकथाम कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सफलतापूर्वक आयोजित बंद जैसी कई घटनाओं में उनका तीव्र आक्रोश व्यक्त हुआ.

भारतीय सेना द्वारा सैकड़ों कश्मीरी युवकों की हत्या कर उस इलाके में आतंक मचाने के बावजूद, कश्मीर राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन 'आजादी' के नारे को लेकर रोज–रोज जुझारू रूप ले रहा है. पढ़े–लिखे युवा हथियारबंद संघर्ष के रास्ते पर निकल रहे हैं. सरकारी सशस्त्र बलों के पाशविक अत्याचारों और हत्याकांडों के विरोध में एक तरफ जुझारू जन प्रतिरोध और दूसरी तरफ सशस्त्र कार्रवाइयां तेज होती जा रही हैं.

उत्तरपूर्व की राष्ट्रीयताओं की जनता की राष्ट्रीयमुक्ति आकांक्षाएं कम नहीं हुयी हैं. विभिन्न लड़ाकू संगठन विभिन्न रूपों में संघर्ष कर रहे हैं.

इस तरह आज मोदी सरकार के हिंदुत्व फासीवादी नीतियों के खिलाफ सभी उत्पीड़ित वर्ग और उत्पीड़ित तबके सड़कों पर उतर रहे हैं.

'समाधान' रणनीति का मुकाबला कर हराने के लक्ष्य से देश भर विभिन्न गुरिल्ला जोनों में और लाल प्रतिरोध इलाकों में माओवादी पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए बलों द्वारा दुश्मन के बलों पर इस साल कई साहसिक कार्यनीतिक जवाबी हमले किए गए. दुश्मन के बलों को उल्लेखनीय मात्रा में नष्ट किया गया. इसके बावजूद दुश्मन के हमलों में हमें भी गंभीर नुकसान झेलने पड़े. युद्ध में नुकसान, शहादत अनिवार्य हैं. लेकिन युद्ध का लक्ष्य होता है, हमारे बलों को यथासंभव बचाना और दुश्मन बलों को यथासंभव नष्ट करना. इस माओवादी उसूल पर सही तरह अमल करने से कई नुकसानों से हम बच सकते हैं.

तिमेनार मुठभेड़ में शहीद हुए तमाम लाल योद्धाओं को जोहार!

19 जुलाई 2018 को बीजापुर जिले के तिमेनार गांव के पास पुलिस बलों द्वारा एक गुरिल्ला शिविर का घेराव कर अंधाधुंध गोलीबारी की गयी. इस मुठभेड़ का मुकाबला करते हुए 8 कामरेडों ने अपनी जान की कुरबानी दी. शहीदों में 1. कामरेड उरसा जैनी, एरिया कमेटी सदस्य, भैरमगढ़ केएएमएस एरिया कमेटी अध्यक्षा, ग्राम–केशकुतुल, जिला – बीजापुर 2. कामरेड मिच्चा सुगुना 13 पीएल सदस्या, ग्राम – सागमेट्टा, जिला – बीजापुर 3. कामरेड हपका सनकु जनमिलिशिया कमांडर, ग्राम – पुलगट्टा, जिला – बीजापुर 4. कामरेड ओडी भीमे पीएम, 13 पीएल ग्राम – नेंडूम, जिला – बीजापुर 5. कामरेड पुजारी चंदरू 13 पीएल ग्राम – संतोषपुर, जिला – बीजापुर 6. कामरेड कोवासी मासे पीएम ग्राम – गुम्मनेर जिला – बीजापुर 7. कामरेड माडवी बुदरी पीएलजीए सदस्य ग्राम – आकवा, जिला–बीजापुर 8. कामरेड माडवी शांति, पर्टी सदस्य ग्राम–पुरगेल, जिला–दन्तेवाड़ा शामिल थे.

जनता के लिए अपने प्राण न्योछावार करने वाले इन क्रांतिकारियों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे. जिस रास्ते पर उनका खून बहा उस पर आगे बढ़ते हुए शहीदों के सपनों को पूरा करेंगे. ❍

दुश्मन के हमले की स्थिति का सही अध्ययन कर, तय कार्यनीति पर अमल कर, दुश्मन की बदलती कार्यनीति का मुकाबला करने सही समय पर नयी कार्यनीति तय कर अमल करने द्वारा नुकसानों को बहुत हद तक कम कर सकते हैं. दुश्मन लगातार कूंबिंग और सर्चिंग करते हुए हमें चोट पहुंचाना चाहता है. इसलिए हमें हमेशा सतर्कता बरतानी होगी. जैसा कि माओ ने कहा था, प्रतिकूल परिस्थितियों में हवा और पानी के बहने की तरह जल्द से जल्द बदलना होगा. लगातार लचीली स्थिति में रहते हुए दुश्मन पर दबाव लाते हुए, उसकी कमजोरियों को पहचान कर उस पर चोट पहुंचाने के लिए हमें पहल करना होगा. हमारे आंदोलन के इलाकों में कई जगहों पर जब दुश्मन द्वारा ऑपरेशन चलाया जाता है, पार्टी के नेतृत्व में क्रांतिकारी जनता लगातार सतर्कता बरतते हुए अपने आप बचते हुए, पार्टी, पीएलजीए, आरपीसी, जनसंगठन और मिलिशया यूनिटों को आंख की पुतली की तरह बचा रही है.

लेकिन हम दुश्मन के धेखेबाजीपूर्ण युद्ध की कपटता पर चोट पहुंचाने वाली नयी कार्यपद्धति को विकसित करने में, विकसित कार्यपद्धति को अमल करने में, गुरिल्ला युद्ध नियमों का सख्ती से पालन करने में अपेक्षित बदलाव ला नहीं पाने के कारण बहुत नुकसान झेल रहे हैं.

शोषक–शासक वर्गों द्वारा अपनायी जाने वाली साम्राज्यवादपरस्त, जनविरोधी नीतियों के कारण व्यापक जनता के अंदर तीव्र आक्रोश बढ़ रहा है और क्रांति के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं. जनता के अंदर संघर्षशीलता बढ़ रही है. इस परिस्थिति को सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा. हमें सक्रिय और गतिशील रहना चाहिए. सभी नेतृत्वकारी कमेटियों को आंदोलन के लिए मदद और साहसिक मार्गदर्शन देना चाहिए. परिस्थितियों के पूंछ पकड़कर नहीं चलना चाहिए. सक्रिय और जीवंत नेतृत्व प्रदान कर कमी–कमजोरियों को सुधारा जा सकता है. ज्वार–भाटों का सामना किया जा सकता है.

चाहे जितनी भी अनुकूल क्रांतिकारी परिस्थिति मौजूद हो, मजबूत क्रांतिकारी पार्टी और सही नेतृत्व के बिना जनता के अंदर क्रांतिकारी शक्ति को कायम नहीं रख सकते. मजबूत पार्टी, सेना और संयुक्त मोर्चा के बिना क्रांति सफल नहीं हो सकती. भारतीय क्रांति को वर्तमान कठिन दौर से बाहर लाना होगा. अंत में दुश्मन की हार निश्चित है. उसके पतन को कोई नहीं रोक सकता. संघर्षों, नुकसानों, सफलताओं, आत्मबलिदानों और धोखे का सामना करने के क्रम में ही जनता फौलदी होगी. चीन में लांगमार्च के दौरान कई कष्टों को झेलकर जीत की तरफ क्रांति आगे बढ़ी थी. मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद अपराजेय है. इसलिए जितना भी दमन बढ़े, क्रांति की प्रगति नहीं रुकेगी. लेकिन जीत हासिल करने के लिए मुख्य रूप से चेतनापूर्वक, योजनाबद्ध ढंग से, दृढ़संकल्प के साथ, हिम्मत और जागरूकता से किए जाने वाले आत्मगत प्रयास करनी होगी. पार्टी की सभी कतार एकजुटता से खड़े होकर कठिन परिस्थितियों का सक्रिय रूप से मुकाबला करते हुए ही आत्मगत शक्तियों को और आंदोलन को बचा सकते हैं.

दुश्मन हमारे शहीदों को भौतिक रूप से जनता से दूर करने के बावजूद, उनके द्वारा स्थापित राजनीति, आदर्श और त्याग की परंपराओं का सफाया नहीं कर सकता है. आइये! हमारे प्रिय अमर शहीदों के अरमानों और आकांक्षाओं को साकार करने के लिए आज के दुश्मन की परिस्थिति और आंदोलन की परिस्थिति के मुताबिक संघर्ष करें. दीर्घकालीन लोकयुद्ध के रास्ते पर धीरज के साथ आगे बढ़ते हुए जीत–हार–फिर जीत–फिर हार, अंत में संपूर्ण जीत हासिल करने के लिए जनयुद्ध को आगे बढ़ाएं. ❍

अगस्त 9 – विश्व मूलवासी(आदिवासी) दिवस के मौके पर जल–जंगल–जमीन व संसाधनों पर आदिवासी जनता के अधिकार का ऐलान करें!

यह जगजाहिर है कि दुनिया भर के आदिवासियों के आंदोलनों व सशस्त्र विद्रोहों की लड़ाकू विरासत रही. हमारे देश में भी पराया शासन व शोषण के खिलाफ 1947 के पहले व बाद में अदम्य साहस के साथ लड़ते हुए गेंद सिंह, सड्मेक बाबूराव, वीर नारायण सिंह, गुंडाधूर, डेबरी धूर, कोमरम भीम, बिरसा मुंडा जैसे हजारों आदिवासी वीर योद्धाओ ने आत्मबलिदान दिया. दुनिया भर के उन संघर्षों के फलस्वरूप विभिन्न देशों की सरकारों ने एक ओर अपने संविधानों में आदिवासियों के लिए विशेषाधिकार मुहैया किए. जबकि दूसरी ओर उन अधिकारों की घोर अवहेलना करती रही हैं. इसी सिलसिले में 23 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अगस्त 9 को विश्व मूलवासी(आदिवासी) दिवस घोषित किया था. पहले 1994–2004 के दशक को बाद में एक और दशक को मूलवासी अधिकार व विकास के आत्मसम्मान दशक घोषित किया था. इस दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया भर में निवासरत मूलवासियों के लिए 46 अनुच्छेदों के साथ बढ़िया घोषणा पत्र जारी किया था. लेकिन खेद इस बात का है कि वह घोषणा पत्र सरकारी कागजों में ही सिमटकर रह गया है.

यहां यह गौर करने वाली बात है कि 1957 में जेनेवा में आयोजित आईएलओ की 107वीं महासभा में आदिवासियों को मूलवासी दर्जा देने वाले भारत की कांग्रेस सरकार ने विश्व मूलवासी/आदिवासी दिवस की घोषणा के संदर्भ में यह लिखित ऐलान किया था कि भारत में कोई मूलवासी/आदिवासी ही नहीं है जिनकी यूएनओ चिंता कर रहा है. यह तो रही कांग्रेस सरकार की बात. जबकि वर्तमान हिंदुत्ववादी आरएसएस की भाजपा सरकार तो आदिवासी अस्तित्व को ही नकारता है. वह आदिवासी/मूलवासी शब्दों की जगह वनवासी इस्तेमाल करती है.

यूएनओ के घोषणा पत्र के बावजूद सच्चाई यही है कि आज भी दुनिया भर के खासकर अमेरिका, अफ्रीका व एशिया महाद्वीप के मूलवासियों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं.

दुनिया में सबसे विकसित होने व दुनिया को सभ्यता सिखाने का दंभ भरने वाले अमेरिका सहित विकसित पूंजीवादी–साम्राज्यवादी देशों में काले राष्ट्रीयता के लोगों के साथ रंगभेद का अमानवीय व्यवहार आज भी बदस्तूर जारी है. उन पर जानलेवा हमलें बेरोकटोक जारी हैं. अधिकांश काले लोग डाउन टाउंस(भारत के गांवों में दलितों की बहिष्कृत बस्तियां नुमा) में रहने/जीवनयापन करने बाध्य हैं. यह वर्तमान पूंजीवाद–साम्राज्यवाद का शर्मनाक, पाशविक, बर्बर व फासीवादी पहलू है.

पूंजीवाद–साम्राज्यवाद अब स्वेच्छा, समानता, भाईचारा सहित आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक बराबरी का घोर विरोधी है. वह मुनाफा, मुनाफा सिर्फ मुनाफे के लिए मजदूरों का निर्मम शोषण करता है. तमाम उत्पीड़ित जनता के जीवन को दूभर बनाता है. वह अब दुनिया भर के आदिवासी अवाम के अस्तित्व को खत्म करने पर तुला हुआ है.

हमारे देश में जब से केंद्र में हिंदुत्व धर्मोन्मादी संघ परिवार की भाजपा सरकार सत्तारूढ़ हुई तब से देशी, विदेशी बड़े पूंजीपतियों को देश की सार्वजनिक संपत्ति व संसाधनों को कौड़ियों के भाव लुटाने की कवायद विगत की सरकारों की तुलना में अभूतपूर्व तेजी से जारी है. सरकारों का यह खेल पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सहित खनिज संसाधन बहुल सभी राज्यों के आदिवासी बहुल वन इलाकों में जोरों पर चल रहा है.

बहुराष्ट्रीय व पारराष्ट्रीय कंपनियों यानी देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों की कंपनियों को स्थापित करने, उन कंपनियों के लिए आवश्यक कच्चा माल की आपूर्ति के लिए बड़ी खनन परियोजनाओं सहित बड़ी बहुउद्देश्यीय बांध परियोजनाओं, पाइप लाइन परियोजनाओं, रेल लाइनों, लंबी–चौड़ी सड़क परियोजनाओं, मोबाइल टावरों व केबल परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए जनता खासकर आदिवासी जनता को उनके जल–जंगल–जमीन व संसाधनों से बेदखल करने पर सरकारें तुली हुई हैं. सैकड़ों एमओयू के साथ लाखों एकड़ जमीन जबरन अधिग्रहित करने पर तुली हुई हैं. जन विरोध के बावजूद अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून को और क्रूर बनाने नित नई कोशिशें जारी हैं. केंद्र की भाजपा सरकार की कोशिशों को जनता ने एक बार नाकाम कर दिया. फिर भी छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने उसे दोहराया और मुंह की खायी. अब झारखंड की भाजपा सरकार एक बार फिर उसी राह पर है.

यह निश्चित है कि बड़ी खनन परियोजनाओं व संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से भावी पीढ़ियों के लिए

संसाधनों के घोर अभाव की स्थिति उत्पन्न होगी. इन खनन परियोजनाओं से ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण कुल मिलाकर पर्यावरणीय प्रदूषण बड़े पैमाने पर होगा. रावघाट खदानों के खुलने से मानसूनी बारिश बुरी तरह प्रभावित होगी.

कच्चा माल की धुलाई से नदी–नाले प्रदूषित होंगी. दल्ली व बैलाडीला की खदानें इसका जीवंत उदाहरण हैं.

लौह अयस्क परिवहन के लिए बनायी गयी पाइप लाइनों के कारण बस्तर संभाग का पानी बंगाल की खाड़ी में बहाया जा रहा है. इससे भूगर्भ जल स्रोत नष्ट हो रहे हैं.

बस्तर संभाग सहित छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित भारी खनन, बांध, औद्योगिक, वायु सैनिक अड्डों, सड़क, रेल लाइन, अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क परियोजनाओं के शुरु होने से आदिवासियों की लाखों एकड़ जमीन व जंगल छीने जाएंगे. सैकड़ों गांव तबाह होंगे. लाखों लोग विस्थापित होंगे. इस तरह आदिवासी विशेषकर माड़िया जैसी प्राचीनतम आदिवासी जनजातियों के अस्तित्व ही खत्म होने के कगार पर है.

अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए व विस्थापन के विरोध में आवाज उठाने वाली आदिवासी अवाम पर सरकारों द्वारा भीषण दमन जारी है. भारत के संविधान द्वारा आदिवासियों को प्रदत्त अधिकारों खासकर पांचवीं अनुसूची, आत्मनिर्णय संबंधी ग्राम सभाओं के अधिकार, स्वशासन–स्वायत्तता संबंधी छठवीं अनुसूची के अधिकारों के अमल के लिए आवाज उठाने पर भी लाठी–जेल–गोली का शिकार होना पड़ रहा है. उत्तर छत्तीसगढ़ में पत्थलगड़ी आंदोलन के नेताओं की अवैध गिरफ्तारी, ग्राम सभाओं के गठन पर काम करने की वजह से सुरजू टेकाम की गिरफ्तारी सहित कइयों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करना छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की आदिवासी विरोधी दमनकारी नीति का जीता जागता उदाहरण है. विगत के सलवा जुडुम जिसकी वजह से 700 गांव वीरान हो गए हैं और लाखों आदिवासी बस्तर से पलायन कर गए हैं, हजारों आदिवासियों की निर्मम हत्याएं हुई हैं, से हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं. बाद के ऑपरेशन ग्रीनहंट के दौरान बेकसूर छात्रों, आदिवासी किसानों, युवकों सहित महिलाओं की फर्जी मुठभेड़ों में हत्याओं व महिलाओं पर अत्याचारों–सामूहिक अत्याचारों व हत्याओं से भी हम भली भांति परिचित हैं. 2016 में सर्व आदिवासी समाज द्वारा मड़काम हिडमे की हत्या के खिलाफ दिए गए बस्तर संभाग बंद के आह्वान को मिली अभूतपूर्व सफलता ने सरकार के आदिवासी विरोधी रवैए को जगजाहिर कर दिया. माओवादी आंदोलन के सफाए के नाम पर विस्थापन के विरोध में, अपने अस्तित्व के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए जारी आदिवासी आंदोलनों के सफाए पर तुली हुई हैं, ये सरकारें. यह भाजपा सरकार के लिए शर्म की बात है कि सरकारी सशस्त्र बल आज बस्तर में आदिवासी युवतियों को माओवादी न होने के सबूत के तौर पर अपनी छातियों से दूध निचोड़कर दिखाने पर मजबूर कर रहे हैं.

अपने गठन के समय से ही देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के एजेंडे पर कार्यरत आरएसएस एवं उसके परिवार के दर्जनों संगठन केंद्र एवं अधिकांश राज्यों में भाजपा के सत्तासीन होने के बाद से बेलगाम हो गए हैं. आदिवासियों, दलितों व धार्मिक अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमलें बढ़ गए हैं. आदिवासियों, दलितों व मुसलमानों की संस्कृति की अवहेलना व अपमान आम बात हो गयी है. एससी/एसटी अत्याचार निवारण कानून के आदिवासी व दलित अनुकूल पहलुओं को कमजोर करते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. गोमांस खाने वालों पर, गोरक्षा के नाम पर हिंदुत्व धर्मोन्मादी संगठनों एवं उनके उकसावे पर उन्मादी भीड़ द्वारा मुसलमानों व दलितों की पीट–पीटकर हत्याएं की जा रही हैं. प्रगतिशील–जनवादी–देशभक्त ताकतों पर जानलेवा हमलें किए जा रहे हैं. गोविंद पनसरे, नरेंद्र दाभोलकर, एमएम कलबुर्गी, गौरी लंकेश की हत्या ने देश को झकझोर दिया है.

यह एक सच्चाई है कि हमारे देश के मुसलमानों व ईसाइयों के 98 प्रतिशत लोग विगत में आदिवासी या दलित ही थे. ब्राह्मणीय हिंदुत्व जातिवाद की पाशविक, बर्बर व अमानवीय विवक्षा से निजात पाने देश के दलित, आदिवासी एवं कुछेक अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों ने इस्लाम व ईसाई धर्म अपना लिया था. अब संघ परिवार पुलिस–प्रशासन की मदद से दबाव–धौंस–हमलों के जरिए घर वापसी के नाम पर जबरिया उन्हें फिर से हिंदुत्व जाति प्रथा में ढकेला जा रहा है. ब्राह्मणीय हिंदुत्व ताकतों की जोर आजमाइश व घुसपैठ इस कदर काम कर रही है कि कुछेक आदिवासी अपने रीति–रिवाजों, आचार–व्यवहारों, देवी–देवताओं को भुलाकर हिंदू संस्कृति को अपनी संस्कृति मानने लगे हैं और स्वयं को हिंदू समझ रहे हैं. यहां हमें इस बात से वाकिफ होना चाहिए कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को प्रकृति धर्मी और उनके धर्म को प्राकृतिक धर्म की मान्यता दी थी. लेकिन 1947 के बाद से विशेषकर 1951 की जन गणना से लेकर अब तक आदिवासियों को उनकी सहमति के बिना ही हिंदू का दर्जा दिया गया है.

आदिवासी इलाकों में इलाज की सुविधाओं का घोर अभाव है. जानलेवा बीमारियों की वजह से हर साल हजारों की संख्या में आदिवासी मौत के आगोश में समाए जा रहे हैं. शिशु व माता मृत्यु दर लगातार बढ़ रहा है. नसबंदी के कारण शिशु जन्म दर कम हो रहा है. सरकारों की

प्रेस वक्तव्य **30 अगस्त 2018**

सामाजिक कार्यकर्ताओं पर फर्जी आरोपों में छापेमारी, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी की कोशिश और नजरबंदी की निंदा करें!
भीमा–कोरेगांव मामले में फंसाये गये सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के खलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने और उन्हें रिहा करने की मांग करें!
ब्राह्मणीय हिंदुत्व–फासीवाद के खिलाफ देशव्यापी जनांदोलन को तेज करें!

28 अगस्त को महाराष्ट्र पुलिस ने केन्द्रीय खुफिया संस्थाओं और पांच राज्यों की पुलिस की सांठगांठ से देश के कई जाने–माने सामाजिक कार्यकर्ताओं के घरों पर समन्वय के साथ सिलसिलेवार छापेमारी की. भीमा–कोरेगांव मामले के पीछे तथाकथित माओवादी संबंधों तथा प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की तथाकथित माओवादी साजिश की तहकीकात की आड़ में ये छापेमारी की गयी. लेकिन ये आरोप हिंदुत्व आतंकी और हिंदू–बहुसंख्यवादी भारतीय राज्य के आतंक का विरोध करनेवाली आवाजों को दबाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) व मोदी–शाह–भागवत शासकीय गुट के इशारे पर महाराष्ट्र पुलिस द्वारा तैयार की गयी मनगढ़ंत कहानी के अलावा और कुछ नहीं. इन्हीं आरोपों के आधार पर पहले ही पांच अन्य जाने–माने सामाजिक कार्यकर्ताओं रोना विल्सन, शोमा सेन, सुरेंद्र गाडलिंग, सुधीर ढावले और महेश राऊत को 6 जून से नाजायज तरीके से जेल में बंद रखा गया है. इनकी गिरफ्तारी को तीन महीने हो चुके हैं, फिर भी उनके खिलाफ आरोप तय नहीं किए गए हैं. यह गैर जनवादी व तानाशाहीपूर्ण रवैए के अलावा और कुछ नहीं कि पूणे कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल करने पुलिस को और तीन महीने का समय दिया है.

28 अगस्त की यह पुलिस कार्रवाई शुरू हुई हैदराबाद के क्रांतिकारी कवि वरवर राव, उनके परिजन प्रोफेसर सत्यानारायण और पत्रकार एन वेनु गोपाल, रांची के फादर स्टेन स्वामी, मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता वर्नन गोंजलवेज और वकील अरुण फरेरा, बिलासपुर हाईकोर्ट की वकील सुधा भरद्वाज और नयी दिल्ली के नागरिक अधिकार कार्यकर्ता व पत्रकार गौतम नवलखा के घर पर छापेमारी से. सभी नियमों का उल्लंघन कर पुलिस ने उनके घरों की तलाशी ली और उनके कंप्यूटर और हार्ड–डिस्क व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया. उसके बाद वरवर राव, वर्नन गोंजलवेज, अरुण फरेरा, सुधा भरद्वाज और गौतम नवलखा को सभी कानूनी प्रक्रियाओं का माखौल उड़ाते हुए गैर–कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) की अलग–अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया. लेकिन पुलिस द्वारा इन गिरफ्तारियों का कोई जायज

आदिवासी विरोधी नीतियों व बेरोजगारी की वजह से, आजीविका के अभाव में लगातार बढ़ रहे पलायन और गांवों पर हमलों की वजह से आदिवासी अपने घर बार छोड़कर जाने मजबूर हो रहे हैं. इन कारणों के चलते आदिवासी आबादी लगातार घट रहा है जोकि चिंताजनक बात है.

केंद्र एवं छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों की भाजपा सरकारें एक ओर जन विरोधी व देश द्रोही नीतियों पर अमल करते हुए देश की संपदाओं को लुटा रही हैं और दूसरी ओर अपनी संपदाओं को बचाने वाली जनता पर देश विरोधी, सरकार विरोधी होने का ठप्पा लगा रही हैं. देश की आबादी का 85 प्रतिशत हिस्सा आदिवासी, दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग का है जबकि अगड़ी जातियों का हिस्सा जिसका प्रतिनिधित्व भाजपा करती है, सिर्फ 15 प्रतिशत है. उसमें भी गरीब लोगों का हिस्सा अधिक है. भाजपा सरकार इतनी कम संख्या वाली अगड़े वर्ग व जाति की आबादी के वर्चस्व को कायम करने पर तुली हुई है. वह देश में ब्राह्मणीय हिंदुत्व धर्मोन्माद का एकछत्र राज स्थापित करने पर तुली हुई है. देश में पनप रहे तमाम विरोध–जनवादी, प्रगतिशील, देशभक्त, विस्थापन विरोधी, मानवाधिकार आंदोलनों की आवाजों को बंद करने पर तुली हुई है. संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण के अधिकार को समाप्त करने पर तुली हुई है. संविधान से धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी शब्दों को ही हटाने पर तुली हुई है. इन सबके द्वारा वह देश के जल–जंगल–जमीन सहित तमाम सार्वजनिक संपदाओं व खनिज संसाधनों को देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने पर आमादा है. यह खतरे का वक्त है. जागने का वक्त है. जागृत होने का वक्त है. चुप बैठने का वक्त नहीं है. चुप रहना अब शब्दहीन पाप है. हर किसी को अपनी शक्ति के मुताबिक यथासंभव संघर्ष करने की कोशिश करना चाहिए. आदिवासी अस्तित्व, अस्मिता, आत्मसम्मान व अधिकार के लिए आगे आना होगा. इस अग्रगति में दलितों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों सहित तमाम उत्पीड़ित वर्गों व तबकों की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का वक्त है. ❍

कारण नहीं दर्शा पाने और नियमों का खुला उल्लंघन करने के कारण अदालतों ने अंतिम दो कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की इजाजत नहीं दी. बाकी तीनों को पूणे ले जाया गया और 29 अगस्त को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया.

इन छापेमारी और गिरफ्तारियों की खबरें सार्वजनिक होने के बाद देशभर में आक्रोश और विरोध उमड़ पड़े. अलग–अलग विचारधाराओं के जनसंगठनों, राजनीतिक दलों और व्यक्तियों ने एक स्वर में इस फासीवादी दमन का विरोध किया और देश की अलग–अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन आयोजित किये गये. कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी इस तरीके से राजनीतिक विरोधियों के नागरिक व जनवादी अधिकारों के हनन का जोरदार खंडन किया. केवल संघ परिवार और उसके दलाल ही अपने जाने–पहचाने तरकिबों और झूठों के जरिए इस फासीवादी पुलिस कार्रवाई को सही ठहराते रहें. इससे देश की जनता के सामने इनके फासीवादी चरित्र का फिर एक बार पर्दाफाश हुआ.

इस जन–आक्रोश के दबाव में सर्वोच्च न्यायालय इन गिरफ्तारियों को चुनौती देते हुए दायर पांच बुद्धिजीवियों की याचिका पर अगले ही दिन सुनवायी को राजी हुआ, जिससे सामाजिक कार्यकर्ताओं को तत्काल जेल में ठूंसने की सरकार की साजिश विफल हो गयी. इन गिरफ्तारियों के पक्ष में दी गयी सरकारी दलीलों को खारिज करते हुए न्यायालय ने चेतावनी दी कि किसी भी गणतंत्र में असहमति का अधिकार एक 'सेफ्टी वाल्व' होता है. अगर इसे दबाया या कुचला गया तो डेमोक्रसी का 'प्रेशर कुकर' विस्फोट होकर मौजूदा व्यवस्था को ही ध्वस्त कर देगी. देश के शासक वर्गों के लिए न्यायालय का यह एक इशारा था कि देश की जनता को अगर ऐसे ही फासीवादी तरीके से वे उत्पीड़ित करते रहेंगे तो जनता हमेशा इसे सहन नहीं करेगी और जरूर आज नहीं तो कल उन्हें उखाड़ फेंकेगी. दरअसल, भीमा–कोरेगांव घटना की तहकीकात के नाम पर किया गया यह दमन इतना नाजायज व खुलेआम था कि उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसी सरकारी संस्थाओं को भी इन उल्लंघनों को स्वीकारते हुए सरकार व पुलिस को फटकार लगानी पड़ी.

सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के इस घिनौनी साजिश का नाकाम होना हिंदू फासीवादियों के मुंह पर एक तमाचा है और फासीवादी ताकतों के खिलाफ जनता के एकताबद्ध संघर्ष की एक जीत है, चाहे यह जीत जितना ही आंशिक या तात्कालिक क्यों न हो. इसने प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों और उनके सबसे प्रभुभक्त सेवक आरएसएस–भाजपा को एक तीखी चेतावनी दी है कि देश की जनता उनके फासीवादी आतंक को चुपचाप सहन नहीं करती रहेगी. इससे यह भी साबित होता है कि देश को एक फासीवादी 'हिंदू राष्ट्र' में तब्दील करने की योजना का जनता हर कदम पर प्रतिरोध करेगी और सभी तरीकें उपयोग कर हिंदुत्व एजेंडा को विफल करेगी.

पिछले चुनाव के दौरान मोदी द्वारा दिखाये गए 'अच्छे दिन' का सपना तेजी से एक ढकोसला साबित हो रहा है. मोदी सरकार की फासीवादी, देशद्रोही व जनविरोधी नीतियों की वजह से उसके खिलाफ जनाक्रोश बढ़ रहा है. यह जनाक्रोश देश के सभी हिस्सों में मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं, महिलाओं, छात्रों, युवाओं और बुद्धिजीवियों आदि के संगठित जुझारू संघर्षों का रूप ले रहा है. इसकी वजह से भाजपा–आरएसएस सभी विरोधियों और असहमति की आवाजों को फासीवादी तरीके से दबाकर सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने की जी–जान से कोशिश कर रही हैं. पिछले चार सालों में सभी क्षेत्रों में विफल होनेवाली मोदी सरकार अगले साल होनेवाले संसदीय चुनावों को ध्यान में रखकर अब 2022 तक एक 'नया भारत' के निर्माण का भ्रम फैला रही है. इससे केवल सामंती–दलाल शासक वर्गों और उनके मालिक साम्राज्यवादियों को ही फायदा होनेवाला है. इस हिंदू फासीवादी 'नया भारत' के निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है संघर्षों से हासिल जनता के सभी जनवादी अधिकारों का हनन करना और उसके सभी जनवादी संघर्षों का सफाया करना. इसलिए भाजपा सरकार पिछले दिनों हुए किसानों का जुझारू आंदोलन, भीमा–कोरेगांव हिंसा और अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न रोकथाम कानून के कमजोर करने के खिलाफ दलितों का आंदोलन, छोटानागपुर–संथाल परगना काश्तकारी कानूनों में छेड़छाड़ के खिलाफ और आदिवासियों का पत्थलगड़ी आंदोलन, कश्मीर और पूर्वोत्तर के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन आदि में जनता जिस तरह भाजपा–आरएसएस व उनकी सरकारों के खिलाफ उठ खड़ी हुई, उसे रोकना चाहती है.

इस हिंदू–फासीवादी 'नया भारत' के निर्माण के एक अभिन्न अंग के रूप में भाजपा सरकारें और संघ परिवार देश के माओवादी आंदोलन का 2022 तक उन्मूलन करना चाहती हैं. मई 2017 से लागू 'समाधान' प्रतिक्रांतिकारी योजना का यही प्रमुख लक्ष्य रखा गया है. इस तथाकथित 'समाधान' का मतलब है बड़ी संख्या में जनसंहार और देश के आदिवासी इलाकों में लाखों लोगों का विस्थापन. इस क्रूर अभियान का परिणाम माओवादी संघर्ष इलाकों में हाल ही के सिलसिलेवार जनसंहारों में देखा जा सकता है जिसमें शामिल हैं, कल्लेड़ा, बढ़गांव, तड़पाल, आयपेटा, कसनूर–तुमीरगुंडा, तिम्मेनार और नुलकातोंग जैसे जनसंहार. इस अभियान के तहत माओवाद पर लगाम लगाने के नाम पर शहरी इलाकों में जनवादी और प्रगतिशील आवाजों को

ओरछामेट्टा के पास गोलीबारी–साधारण ग्रामीणों की मौत

10 सितंबर को नारायणपुर से निकले 800 से अधिक पुलिस बलों जिनमें एसटीएफ और डीआरजी गुंडें शामिल थे, ने रातों–रात माड़ डिविजन के ओरछा मेट्टा, हित्तापारा, कुड़मेल, आदेर, बटवेडा, कोरोवाई के अलावा आस–पास के 15–20 गांवों को घेर लिया. एंबुश लगाकर 12 सितंबर को ओरछा बाजार से वापस जा रहे आम जनता पर आदेर और ओरछामेट्टा के बीच में सशस्त्र बलों ने अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें तीन साधारण ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुए. घायल अवस्था में ही तीनों लोग घटनास्थल से भाग निकले थे. उनमें से ताडोपारा गांव के 14 वर्षीय किशोर बोड़ंगा गोटा की कुछ ही दूर जाने के बाद मौत हुई. बाद में, 26 सितंबर को सालसेर गांव के डोलु की भी मौत हुई. उसी अभियान के दौरान 12 सितंबर, 2018 की दोपहर को हमारी पीएलजीए की एक टीम पर किए गए हमले में पीएलजीए योद्धा सुकमा जिले के करीगूडेम वासी कामरेड भीमा ने शहादत को पाया.

बोड़ंगा गोटा का फाइल फोटो

इसी दौरान बाजार जाने वाले कुड़मेल के चार ग्रामीणों जिनमें दो महिलाएं और दो पुरूष शामिल हैं, को अपनी गिरफ्त में ले लिया और ओरछा मेट्टा गांव के दो युवकों, बटवेडा गांव के 6 लोगों को पकड़कर नारायणपुर ले गए. डोंड्रीबेड़ा गांव के छात्र जो ओरछा आश्रम में पढ़ता है, को भी डरा–धमका कर उसके मोबाईल फोन और पैसे भी पुलिस जवानों ने लूट लिए.

❍

दबाने की कोशिश की जा रही है, ताकि देश के अंदरूनी इलाकों में चल रहे इन जनसंहारों का कोई विरोध करने का साहस न दिखा सके. लेकिन कोई संदेह नहीं कि अतीत में जिस तरह जनता ने जनजागरण अभियान, सलवा जुडूम और सेंद्रा जैसे शासक वर्गों के फासीवादी मुहिमों को हराया और फासीवादी ग्रीन हंट अभियान के खिलाफ अनगिनत बलिदानों से एक दीर्घकालीन संघर्ष के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया, उसी तरह ग्रामीण और शहरी इलाकों में अपने एकताबद्ध जुझारू संघर्षों से सभी तरह के सरकारी आतंक का सामना करते हुए अपने बलिदानों के जरिए जनता जरूर इस 'समाधान' हमले को भी हराएगी. इससे हिंदू फासीवादी ताकतों के खिलाफ जारी देशव्यापी जनांदोलन को भी मजबूती मिलेगी.

सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनवादियों पर इस सरकारी दमन की हमारी पार्टी की केन्द्रीय कमेटी कड़े शब्दों में निंदा करती है और साथ–साथ इस फासीवादी पुलिस कार्रवाई को कुछ हद तक नाकाम बनाने वाले जनप्रतिरोध संघर्ष को लाल सलाम करती है. फासीवादी मोदी–फड़णवीस सरकारों, आरएसएस और उनके किराये के पुलिस बलों का हिम्मत के साथ सामना करते हुए कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को फौरी तौर पर रोकनेवाले देश के सभी जनवादी संगठनों, राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को हम क्रांतिकारी अभिवादन पेश करते हैं. लेकिन यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है. कार्यकर्ताओं की अन्यायपूर्ण नजरबंदी को खत्म करने और किसी भी बहाने भविष्य में उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए, खासकर इस संभावना को देखते हुए कि उन्हें फंसाने के लिए जब्त किये गये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में फर्जी दस्तावेज डालकर पुलिस नये 'सबूतों' के रूप में पेश कर सकती है. उसी तरह, जून महीने से ही जेल में बंद पांच अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए भी संघर्ष तेज किया जाना चाहिए. इसके साथ–साथ सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर लगे मुकदमों को वापस लेना भी इस संघर्ष का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए. केवल इस तरह के एक व्यापक जनांदोलन से ही फासीवादी सरकारों को आनेवाले दिनों में देश के और भी जनवादियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भीमा–कोरेगांव या इस तरह के अन्य फर्जी मामलों मे फंसाकर प्रताड़ित करने से रोका जा सकता है. देश के सभी क्रांतिकारी, जनवादी, प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष और देशभक्त संगठनों और व्यक्तियों, विभिन्न उत्पीड़ित वर्गों, समूहों और तबकों, बुद्धिजीवियों, वकीलों, पत्रकारों, लेखकों, कलाकारों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और व्यापक जनता से हमारी पार्टी अपील करती है कि वे एकजुट होकर संघर्ष के सभी रूपों के जरिए इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाएं. भारत की जनता के अंतरराष्ट्रीय मित्रों से हम आह्वान करते हैं कि प्रताड़ना का सामना कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं के पक्ष में अभियान चलाकर इस संघर्ष के समर्थन में खड़े होवें.

अभय

प्रवक्ता

केन्द्रीय कमेटी

भाकपा(माओवादी)

ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका की एकपक्षीय वापसी उसके तानाशाही रवैये का और एक मिसाल

मध्य–पूर्व प्रांत में पहले से जारी तनावपूर्ण माहौल को और बिगाड़ते हुए ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका बाहर आ गया. अमेरिका के इस कदम की दुनिया के ज्यादातर देशों द्वारा निंदा की गई. 14 जुलाई, 2015 को ज्वॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (जेसीपीओए) नाम पर हुए इस समझौते पर अमेरिका सहित संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यीय देशों के अलावा जर्मनी ने हस्ताक्षर किया था. तत्कालीन अमेरिका अध्यक्ष बराक ओबामा के कार्यकाल में हुए इस समझौते का पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप विरोध करते आ रहे थे. इसे खतम करने के अपने इरादे को कई बार प्रकट कर चुके थे. आखिर उन्होंने अपने मंसूबे को पूरा कर दिया.

दरअसल यह समझौता ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाने के मकसद से किया गया था. ढेरों परमाणु हथियारों को अपने कब्जे में रखने वाले, उन परमाणु हथियारों के बल पर पूरी दुनिया पर अपने प्रभुत्व को खड़ा करने की कोशिश करने वाले साम्राज्यवादी देशों को अन्य देशों खास कर पिछड़े देशों का परमाणु हथियारों से लैस होना कतई पसंद नहीं आता है. इसीलिए वो अन्य देशों के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के प्रयास करते हैं. ये प्रयास दुष्प्रचार, प्रतिबंधों के अलावा युद्ध के रूप में भी हो सकते हैं. ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विगत में ईरान व अमेरिका के बीच में युद्ध का माहौल बना था. इस परिप्रेक्ष्य में ईरान एक कदम पीछे हट कर उक्त समझौते के लिए सहमत हो गया. अब उस समझौते से अमेरिका के अलग होने पर फिर से पूर्व स्थिति निर्मित होने की संभावना है. विगत में उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के बहाने उस पर हमला करने की धमकी देने वाले अमेरिका ने हाल ही में उससे बातचीत की. इससे दोनों देशों के बीच में बना युद्ध का माहौल फिलहाल हट गया. अब फिर ईरान और अमेरिका के बीच में ऐसी स्थिति बन गई.

ईरान से अमेरिका की दुश्मनी का लंबा इतिहास रहा. अकूत तेल संपदा से लैस ईरान को अपने नियंत्रण में रखने के लिए अमेरिका पहले से कोशिश करता आ रहा है. 1979 के पहले वहां अमेरिका के कठपुतली शाह का शासन था. शाह शासन के खिलाफ वहां 1979 में इस्लामिक क्रांति सफल हुई. जो क्रांति शाह शासकों के खिलाफ थी, स्वाभाविक रूप से वह उनके आकाओं अमेरिका साम्राज्यवादियों के खिलाफ भी थी. इसीलिए 1979 में इस्लामिक क्रांति के नेता अयतुल्ला खोमाइनी के सत्तारूढ़ होने के बाद ईरान अमेरिका का दुश्मन बन गया. इस्लामिक क्रांति के दौरान ईरान की राजधानी टेहरान में स्थित अमेरिकी दूतावास पर भी हमलें हुए थे. उसके बाद से अमेरिका और ईरान के बीच में दौत्य संबंध नहीं हैं. दुनिया पर आधिपत्य के लिए अमेरिक और रूस के बीच में जो प्रतिस्पर्धा जारी है, इसकी वजह से जिन देशों के साथ अमेरिका की दुश्मनी रहती है, उन देशों से मित्रता के लिए रूस कोशिश करता है. इसी तरह वह ईरान का दोस्त बन गया. यह भी अमेरिका के लिए आंख की किरकिरी बन गई.

इस्लामिक दुनिया पर अपने आधिपत्य को खड़ा करने के लिए सुन्नी–शियाओं के बीच में जो अंतर विरोध आंग्लो–अमेरिकन साम्राज्यवादियों द्वारा पैदा किया गया, उसने इस्लामिक देशों को दो गुटों में विभाजित किया. बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमान देशों का सऊदी अरब प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो अल्पसंख्यक शिया देशों का ईरान प्रतिनिधित्व कर रहा है. इस तरह सऊदी अरब और ईरान आमने–सामने हो गए. पश्चिम एशिया में इज्रायल की गुंडागर्दी का भी ईरान पहले से विरोध करता आ रहा है. इज्रायल के खिलाफ जारी फिलीस्तीनी मुक्ति आंदोलन का ईरान सक्रिय समर्थक रहा. सऊदी अरब और इज्रायल अमेरिका के टट्टू देश हैं. इसलिए भी अमेरिका ईरान का विरोध करता है. इस विरोधिता तब और बढ़ गई जब ईरान ने साम्राज्यवादी देशों की चेतावनी को धता बताते हुए अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया. इस बहाने अमेरिका और युरोपीय देशों द्वारा ईरान पर कई बार बहुत ही नाजायज पाबंदियां लगाई गई. इन पाबंदियों के चलते ईरान के तेल व प्राकृतिक गैस के निर्यात बुरी तरह प्रभावित हो गए. भारत, पाकिस्तान, रूस और चीन आदि देशों को चेतावनी दी गई कि वे ईरान से तेल व गैस नहीं खरीदें. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान के सभी बैंकों और आर्थिक लेन–देन पर रोक लगा दिया गया. तेल विक्रय के बदले में अलग–अलग देशों से लगभग 400 करोड़ डालर की जो राशि ईरान को मिलनी चाहिए थी, उसे स्तंभित कर दिया गया. किसी भी देश से ईरान को कर्ज भी नहीं मिलने दिया. इस हालात में ईरान ने बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना किया. खाद्य और दवाई आदि अत्यंत आवश्यक सामग्री के लिए वह तरस गया. मुद्रास्फीति बढ़ गई. बेरोजगारी बढ़ गई. नतीजतन आम जनता की जिंदगी दूभर हो गई. इस तरह एक ओर पाबंदियां लगाते हुए दूसरी ओर परमाणु कार्यक्रम में कार्यरत कई वैज्ञानिकों की भी अमेरिका ने हत्या की. वायरस के जरिए परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करने की कोशिश भी की. इस तरह अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध का माहौल बना रहा. इस परिप्रेक्ष्य में ईरान ने अमेरिका

और अन्य देशों के साथ समझौता करने पर मजबूर हो गया.

पहले नवंबर 2013 में ईरान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों एवं जर्मनी के बीच में जेनीवा समझौता हुआ. इसके बाद और कई विचार–विमर्श होने के बाद जुलाई, 2015 में जेसीपीओए नाम पर और एक समझौता हुआ. इस समझौते की रूप रचना में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और वैज्ञानिकों की भागीदारी भी थी. इस समझौते के मुताबिक दोनों पक्ष कुछ हद तक राजी हो गए. ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह रोकने का अमेरिका का इरादा था. लेकिन इस समझौते ने केवल सैनिक जरूरतों के लिए संचालित ईरान परमाणु कार्यक्रम पर ही प्रतिबंध लगाया. नागरिक जरूरतों के लिए वह युरेनियम शुद्धि कर सकता है. ईरान परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के अधीन में रहेगा. इस समझौते के बाद ईरान को आर्थिक रूप से बढ़ी राहत मिली. उस पर विगत में लगाई गई पाबंदियां हट गईं. आयात–निर्यातें पुनःआरंभ हुए.

इस समझौते के पीछे अमेरिका का मकसद था, तेल सहित ईरान की आर्थिक व्यवस्था को अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लिए खोल कर रखना. मध्य–पूर्व में अमेरिका की प्रभुता को कायम करने में ईरान के सहयोग को पाना.

लेकिन अमेरिका का यह इरादा साकार नहीं हुआ. जेसीपीओए के पहले ही ईरान अध्यक्ष हसन रौहानी ने कहा कि देश की स्वाधीनता से संबंधित विषयों पर वे कोई समझौता नहीं करेंगे. अमेरिका की इच्छा के विपरीत ईरान सीरिया का मजबूत सहयोगी की भूमिका निभा रहा है.

इस कारण अमेरिका को इस समझौते में कोई मतलब नहीं दिख रहा है. ट्रंप का कहना है कि यह समझौता ईरान परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोक रहा है बल्कि इस परमाणु कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए करोड़ों डालरों की आपूर्ती कर रहा है. उनका यह भी कहना है कि अगर यह समझौता जारी रहेगा, तो ईरान परमाणु हथियार बनाएगा. चूंकि ईरान एक उग्रवाद प्रायोजक देश है इसलिए उसका परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए बड़ा खतरा है.

दरअसल इसका कोई सबूत नहीं है कि ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखा है. आईएईए–इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेन्सी (अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण) भी जेसीपीओए के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को साबित कर रहा है.

अमेरिका के इस कदम का रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाड़ा और चीन विरोध कर रहे हैं. इज्रायल और सऊदी अरब पहले से इस समझौते का विरोध कर रहे हैं, इसलिए ट्रंप के इस कदम का उन देशों ने हंसी–खुशी से स्वागत किया.

अमेरिका का इस समझौते से बाहर होने का मतलब है कि ईरान पर फिर से पाबंदियां लगाई जाएंगी. वहां की जनता की जिंदगियां और संकट में पड़ेंगी. ईरान के साथ व्यापारिक संबंध रखने वाली कंपनियों को उन संबंधों से बाहर आने के लिए तीन और छह महीने की मियाद अमेरिका द्वारा दी गयी. ट्रंप ने यह धमकी दी कि ईरान का सहयोग करने वाले हर किसी देश पर अमेरिका द्वारा पाबंदियां लगायी जाएंगी.

अमेरिका इस समझौते से अलग होने के बावजूद समझौते के अन्य भागीदार देशों ने इस समझौते पर अड़िग रहने का आश्वासन दिया है. लेकिन इस समझौते को जारी रखने के लिए उन देशों की ओर से कोई ठोस कदम उठाते नहीं दिख रहा है.

ईरान का कहना है कि अगर यह समझौता नाकाम होगा तो वह अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाएगा. दरअसल ईरान पश्चिम एशिया में संपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की वकालत करता है. ईरान में अमेरिकी मदद से ही परमाणु कार्यक्रम 1967 में शुरू हुआ था. लेकिन सत्तारूढ़ होने के बाद खोमाइनी ने उसे रोक दिया. ईरान ने एनपीटी पर भी हस्ताक्षर किया. ऐसे में उसने परमाणु कार्यक्रम को क्यों शुरू कर दिया? इस्लामिक क्रांति के बाद जब खोमाइनी का शासन शुरू हुआ तब से अमेरिका द्वारा ईरान पर दुष्प्रचार किया जा रहा है. लगातार पाबंदियां लगयी जा रही हैं. उसे दुष्ट देश का दर्जा देकर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है. ईरान के दुश्मन सऊदी अरब का अमेरिका सहयोग देश है. इज्रायल का साजीशानापूर्वक पैदाइश और अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम एशिया में उसकी गुंडागर्दी भी ईरान आदि देशों में असुरक्षित भावनाओं को पैदा करने वाली है. इज्रायल के पास अमेरिका द्वारा दिए गए परमाणु हथियार भी हैं. इस परिप्रेक्ष्य में अपनी सुरक्षा के लिए 2005 में ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को शुरू किया. एक संप्रभुतासंपन्न देश के तौर पर ईरान को परमाणु कार्यक्रम जारी रखने का अधिकार है.

परमाणु हथियार न सिर्फ मानव जाति बल्कि जीव जगत के अस्तित्व के लिए भी खतरा है. ऐसे में परमाणु हथियार बनाने के मकसद से जारी परमाणु कार्यक्रम का विरोध करने का अधिकार हर किसी को है. लेकिन परमाणु हथियारों के ढेर पर बैठने वाले, अपने चहेते देशों को परमाणु हथियारों की आपूर्ती करने वाले अमेरिका आदि साम्राज्यवादी देशों को इसका कोई अधिकार नहीं है.

अब अमेरिका ईरान परमाणु समझौते से बाहर आकर परमाणु कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए ईरान को मजबूर कर दिया.

दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते से एकतरफा अलग होना अमेरिका के लिए शर्म की बात है. पहले पॉरिस

समझौते से भी वह वैसे ही बाहर हो गया. ट्रंप के सत्तारूढ़ होने के बाद इस तरह कई आक्रामक निर्णय लिए जा रहे हैं. चीन के साथ व्यापारिक युद्ध चल रहा है. अपने मित्र देश भारत से अमेरिका में निर्यात होने वाले स्टील और एल्यूमीनियम पर कर बढ़ाए गए. अमेरिका में रहने वाले प्रवासियों के प्रति सख्त रवैया अपनाया जा रहा है. लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझने वाला अमेरिका अपने बोझ को अन्य देशों के कंधों पर डालने की कोशिश के तहत ये सब कर रहा है. अमेरिका के इस तरह के रवैये की पूरी दुनिया में निंदा होनी चाहिए. अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले, उनके अधिकारों का हनन करने वाले, उन पर अपने आधिपत्य को थोपने वाले, पुरी दुनिया की शांति के लिए खतरा बनने वाले साम्राज्यवादियों, खास कर अमेरिका साम्राज्यवादियों के खिलाफ दुनिया भर की शोषित जनता को एकजुट होना चाहिए. इस कठिन हालात में ईरान के प्रति एकजुटता जतानी चाहिए.

भारत का शर्मनाक रवैया

ईरान के प्रति अमेरिका के तानाशाही रवैये का भारत ने कभी विरोध नहीं किया. अमेरिका के सामने झुक कर विगत में परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर आईएईए में ईरान के खिलाफ भारत ने चार बार मतदान किया.

ज्ञात है कि लगभग 75 प्रतिशत तेल जरूरतों के लिए भारत आयातों पर ही निर्भर होता है. भारत को तेल निर्यात करने वाले देशों में ईरान दूसरा स्थान पर है. ऐसे में हम समझ सकते हैं कि ईरान भारत के लिए कितना खास है. तेल बाजार में दाम बढ़ने से भी पहले निर्णय किए गए कम दामों पर ही ईरान भारत को तेल बेच रहा है. ईरान–पाकिस्तान प्राकृतिक गैस पाइप लाइन निर्माण के लिए विगत में ईरान और भारत के बीच में एक समझौता प्रस्तावित था. इस पाइप लाइन भारत के लिए महत्वपूर्ण माना गया. क्योंकि ईरान इस पाइप लाइन के जरिए सस्ते में गैस बेचने के लिए तैयार था. लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण भारत इस प्रस्ताव को टुकरा दिया. इसकी जगह में अधिक दाम पर गैस खरीदने के और एक–तुर्कमिनिस्तान–आफ्गनिस्तान–पाकिस्तान पाइप लाइन समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर किया.

चाबाहार बंदरगाह जो ईरान के समुंदर के किनारे निर्माण हो रही है, भारत के लिए आर्थिक व सैनिक रूप से फायदामंद है. इस परियोजना में भारत महत्वपूर्ण भागीदार था. लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण भारत इस परियोजना से दूर हो गया. भारत को इस परियोजना में बनाए रखने के लिए ईरान द्वारा कूटनीतिक रूप से की गई कई कोशिशें विफल होने के बाद ईरान ने इसमें शामिल होने के लिए चीन का आह्वान किया.

अभी भी ईरान से व्यापारिक संबंधों को छोड़ने के लिए अमेरिका द्वारा जो धमकियां दी गईं, उन्हें स्वीकारने के लिए भारत तैयार हो गया है. 28 जून को तेल मंत्रालय ने ऑयल रिफाइनिंग कंपनियों से कहा है कि वे नवंबर तक ईरान से तेल आयात में 'भारी कटौती या आयात खत्म करने' के लिए तैयार हो जाएं. माना जा रहा है कि अमेरिका के कहने पर पहली बार भारत ईरान के साथ व्यापारिक संबंध खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. चीन के बाद भारत ही ईरान के तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है, ऐसे में भारत का यह कदम ईरान के लिए बहुत ही नुक्सानदेह है. ईरान और भारत के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है. केवल अमेरिका के आर्थिक हितों को साधने, अमेरिका के प्रति अपनी विधेयता जताने के वास्ते ही भारत ईरान के खिलाफ हो रहा है, जो भारत और ईरान दोनों देशों के लिए खासकर दोनों के आर्थिक हितों के लिए बहुत ही नुक्सानदेह है.

यह सर्वविदित है कि देश में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं और ये दिन–ब–दिन बढ़ रहे हैं. ईरान से तेल एवं प्राकृतिक गैस की आपूर्ति जोकि वर्तमान में अपेक्षकृत कम दामों पर हो रही है, यदि पूरी तरह बंद होती है तो अधिक दामों पर तेल खरीदने की मजबूरी सामने आएगी और देश की जनता के कंधों पर असहनीय बोझ बढ़ेगा. अमेरिका के प्रति भारत की इस तरह की गुलामी जोकि वर्तमान ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादियों के केंद्र में सत्तारूढ़ होने के बाद से लगातार बढ़ रही है, का देश की सारी जनता को जोरदार विरोध करना चाहिए. ईरान की जनता के प्रति सौहार्दता दिखानी चाहिए.

साम्राज्यवाद जब तक रहेगा तब तक दुनिया पर युद्ध का खतरा बना रहेगा. इसलिए दुनिया भर की उत्पीड़ित जनता को साम्राज्यवादियों और उनकी दलाली करने वाले अपने–अपने देशों के शासक वर्गों के खिलाफ मजबूत व लड़ाकू संघर्ष खड़ा करना चाहिए. ❍

यदि क्रान्ति करनी हो, तो उसके लिए एक क्रान्तिकारी पार्टी का होना अनिवार्य है. एक क्रान्तिकारी पार्टी के बिना, एक ऐसी पार्टी के बिना जिसका निर्माण मार्क्सवादी–लेनिनवादी क्रान्तिकारी सिद्धान्त के आधार पर और मार्क्सवादी–लेनिनवादी क्रान्तिकारी शैली मे हुआ हो, साम्राज्यवाद और उसके पालतू कुत्तों को पराजित करने के लिए मजदूर वर्ग और व्यापक जनता का नेतृत्व करना असम्भव है.

– कामरेड माओ त्से तुंग

मुठभेड़ के नाम पर नुलकातोंग में आम जनता के नरसंहार का कड़ा विरोध करो!
अपराधी पुलिस बलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए संघर्ष करो!

ताकिलोड, गोंपाडु, एड्समेट्टा आदि नरसंहारों की फेहरिस्त में अब और एक नाम – नुलकातोंग जुड़ गया है. समाचार पत्रों के मुताबिक डीजी नक्सल ऑपरेशन्स डीएम अवस्थी ने दावा किया कि गोल्लापल्ली क्षेत्र में नक्सलियों के कैंप करने की सूचना पर 5 अगस्त की शाम डीआरजी और एसटीएफ के करीब दो सौ जवान कोंटा थाना क्षेत्र के जंगल में घुस गए थे. 6 अगस्त की सुबह करीब छह बजे नुलकातोंग के जंगल में जवानों ने नक्सलियों के कैंप पर हमला बोल दिया. दोनों तरफ से करीब डेढ़ घंटे तक फायरिंग हुई, इसके बाद नक्सली जंगल की आड़ लेकर भाग खड़े हुए. घटनास्थल की सर्चिंग करने पर 15 नक्सलियों के शव बरामद किए गए. वहीं पैर में गोली लगने से घायल एक महिला नक्सली व भाग रहे गोंपाडु निवासी एरिया कमेटी कमांडर देवा को दबोच लिया गया. 16 हथियारों के अलावा विस्फोटक पदार्थ, आइईडी बनाने की सामग्री, डेटोनेटर, दवाइयां, पिट्ठू, नक्सल साहित्य समेत दैनिक उपभोग की सामग्रियां बरामद की गई हैं. पुलिस ने अपने दावे को सही साबित करने के लिए निहत्थे लोगों के शवों के पास हथियार रख कर एक वीडियो बना कर उसे सोशल मीडिया में जारी किया.

लेकिन इस तथाकथित मुठभेड़ के तथ्यान्वेषण करने वाले कई मानवाधिकार संगठनों और जन हितैषियों ने इसे फर्जी करार दिया. सच्चाई को उजागर करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया ने भी गोंपाडु व नुलकातोंग का दौरा किया. एक समाचार पत्र के मुताबिक उन्होंने बताया कि तीन अगस्त को ही उन्होंने पुलिस की ट्रकों को गांव की ओर जाते देखा था. काफी संख्या में पुलिस बलों की मौजूदगी एवं उनकी यातनाओं से बचने के लिए ग्रामीण खेतों की ओर भाग कर खेतों में मौजूद झोपड़ी में पहुंचे थे. वहां ग्राम गोमपाड, किंदेपाल, बेलपोचा व अट्टेगुड़ा के करीब 45 ग्रामीणों का जमावड़ा बना था. हालांकि उनमें से छह से सात लोग मिलिशिया सदस्य भी शामिल थे, लेकिन वे सब निहत्थे थे. पुलिस ने गांव को तीनों ओर से घेर कर अंधाधुंध गोलीबारी की. घटना में 15 लोग मारे गए. मारे गए लोगों में मिलिशिया सदस्य भी शामिल थे. बेला ने बताया कि पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया देवा पूर्व में गुरिल्ला दस्ते में काम किया था. लेकिन बाद में वह आंदोलन छोड़ कर घर गया. उन्होंने बताया कि इस कथित मुठभेड़ में घायल बताई गई महिला बुदरी के बारे में भी कई दिनों तक परिजनों को कोई खबर नहीं थी. यदि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, तो इसकी सूचना दी जानी चाहिए थी. बेला ने कहा कि पुलिस की मुठभेड़ का दावा पूरी तरह खोखला है. उन्होंने बताया कि इस घटना की स्वतंत्र एजेंसी अथवा राज्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जांच करवाया जाना चाहिए. एनएचआरसी की गाइड लाइन के अनुसार अगर आम नागरिक को पुलिस व सुरक्षा बलों के द्वारा झूठी मुठभेड़ में मारा जाता है तो उनके विरुद्ध भी हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें दंडित किया जाना चाहिए.

आम आदमी पार्टी की नेत्री सोनी सोढ़ी के मुताबिक मारे गए लोगों में छह नाबालिग थे, जिनकी उम्र 13 से 15 वर्ष के बीच थी.

इस फर्जी मुठभेड़ के खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है. इस सामूहिक हत्याकांड के विरोध में किस्टारम में अगले दिन महिलाओं ने जम कर विरोध प्रदर्शन किया.

दक्षिण बस्तर डिविजन कमेटी ने इस हत्याकांड का कड़ा विरोध करते हुए, इसके विरोध में 13 अगस्त को सुकमा बंद का ऐलान किया.

अकूत प्राकृतिक संपदाओं से लैस दंडकारण्य को देशी–विदेशी कार्पोरेट घरानों के हवाले करने के खिलाफ यहां जारी क्रांतिकारी जनयुद्ध व जनांदोलन के ऊपर केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा अभूतपूर्व ढंग से दमन चलाया जा रहा है. इसके तहत गुरिल्ला बलों के अलावा साधारण जनता पर भी भीषण दमन जारी है. गांवों के ऊपर हमलों, महिलाओं के साथ बलात्कारों, अवैध गिरफ्तारियों, मुठभेड़ों के नाम पर साधारण लोगों की हत्याओं, सामूहिक नरसंहारों आदि को अंजाम दिया जा रहा है. जल, जंगल, जमीन, अस्तित्व व आत्मसम्मान के लिए संचालित दंडकारण्य जनता के आंदोलन पर जारी इस भीषण दमन के खिलाफ देश के हर कोने से आवाज उठनी चाहिए. ❍

संशोधनवादियों को लेनिन मजदूर वर्ग के आन्दोलन की पांतों के बीच छिपे हुए साम्राज्यवाद के दलाल मानते थे. उन्होंने कहा कि ''..... साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष तब तक ढकोसला और बकवास होगा जब तक इसे अवसरवाद के खिलाफ संघर्ष के साथ अभिन्न रूप से न जोड़ दिया जाये.''

गांवों पर भीषण हमलों एवं कामरेड उइका माडाल और दूलोड ग्रामीण नूपो मुत्ताल की बर्बर हत्या की निंदा करो!

सीआरपीएफ, कोब्रा, डीआरजी और एसटीएफ ने 10 जुलाई को सुकमा–बीजापुर के सीमावर्ती मर्कागूडेम, दूलोड और मेट्टागूडेम गांवों पर संयुक्त हमलें किए. 9 जुलाई की रात को ही गांवों के नजदीकी जंगल में पहुंचने वाले ये बल अगले दिन सूरज उगने से पहले ही गांवों पर टूट पड़े थे. आम लोग एवं उनकी संपत्ति को निशाना बना कर किए गए इन हमलों में साधारण जनता के साथ बुरी तरह मार–पीट की गई. महिलाओं को बंधक बना कर न सिर्फ उन्हें मानसिक व शारीरक यातनाएं दी गई बल्कि उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया. इन बलों द्वारा जनता की संपत्ति की लूट–खसोट बेरोकटोक की गई. उपरोक्त गांवों में से 64 लोगों, जिनमें मछली पकड़ने के लिए गए 40 दूलोड ग्रामीण शामिल थे, को बंधक बना कर उन्हें बुरी तरह यातनाएं दी गई. पुलिस की यातनाओं का शिकार होने वाले दूलोड ग्रामीणों में 17 महिलाएं थीं जिनमें कुंजम बुदरी, सोडी सुक्की, सोडी बुदरी, कुंजम गदिमे, सोडी भीमे, सोडी पांडे, सोडी देवे, मडकम देवे, माडवी अडमे, मडवी देवे, मडकाम पोज्जे, सोडी मंगली, सोडी इडमे, सोडी भीमे, ताती लक्ष्मी, सोडी उंगी और सोडी अडमे शामिल थीं. इनमें से सोडी अडमे गर्भवती थी और उसके प्रसव का समय भी नजदीक आया हुआ था. पुरुषों में कोवासी बुधराम, सोडी पायकु, सोडी देवा, माडवी ऊरा, सोडी अंदा, सोडी सन्नू, सोडी उंगा, सोडी देवा, कोवासी इडमा, कुंजम देवा, कुंजम माडका, कुंजम गंगा, मडकम जोगा, मडकम सूला, मडकम लिंगा, सोडी गंगा, मडकम अडमा, मडकम सूला, कुंजम जोगा, मडकम कोसा थे. मेट्टागूडेम ग्रामीणों में से 9 महिलाएं पोडियाम उंगी, बाडसे सोमडी, मडकम देवे, पोडियम उंगी, माडवी देवे, पोडियम पोज्जे, वेट्टी उंगी, माडवी नंगी, मडकम सुकमती और माडवी काडा नामक एक पुरुष शामिल थे. इस तरह बंधक बनाए गए लोगों में से 7 लोगों – मरकागुडेम के माडवी सन्ना, दूलोड गांव के माडवी सोमडु, माडवी अंदा, मडकाम देवा, इसी गांव की और एक टोला के मडिपि दूलोड के नूपो मुत्ता और कडती गंगा, मेट्टागूडेम के स्कूली छात्र माडवी नंदा – को जबरन खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगे. इसी दौरान किसी काम पर गए हुए भाकपा(माओवादी) के कार्यकर्ता कामरेड उयके माडा, जो निहत्थे थे, को भी अपने साथ में ले जाने लगे. पुलिस के इस जुल्म को सहन न कर सकने वाले दूलोड के छात्र कडती रामु जो रायपुर में पढ़ता है, पुलिस अधिकारियों के साथ बात करने के लिए गया, तो पुलिस बलों ने उसे भी बंधक बना कर बुरी तरह यातनाएं दी. पुलिस बलों ने जब इन सभी को अपने साथ में ले जा रहे थे, मिनपा गांव के पास पीएलजीए ने उन पर हमला किया. इसमें डीआरजी का एक जवान घायल हुआ. पीएलजीए के इस हमले को बहाना बना कर पुलिस बलों ने अपनी गिरफ्त में रहने वालों में से भाकपा (माओवादी) कार्यकर्ता कामरेड उइका माडाल, दूलोड ग्रामीण नूपो मुत्ताल की हत्या की. पुलिस बलों ने अपनी असीम बर्बरता का प्रदर्शित करते हुए दोनों की लाशों की टुकड़े–टुकड़े कर दी. उनकी आंखे भी उखाड दी. मृतकों के खंडित शरीर सच्चाई का ऐलान करने के बावजूद हमेशा की तरह मुठभेड़ में दो माओंवादियों को मारने की कहानी पुलिस अधिकारियों द्वारा बेशर्मी से सुनाई गयी.

इस हिंसा–हत्याकांड के अलावा पुलिस ने बड़े पैमाने पर लूट–पाट व विनाश को भी अंजाम दिया. कुछ पीड़ित परिवारों के मुताबिक मेट्टागुडेम के माडवी सुकडाल के 33,000 रुपए, रव्वा बंडी के 28,000 रुपए, दूलोड गांव के किस्के जोगा के 17,000 रुपए, मरकागूडेम गांव के मडकाम जोगा के 30,000 रुपए, माडवी सोना के 10,000 रुपए सहित सभी घरों से 10 रुपए से लेकर 4,000 तक कुल मिला कर 2,50,000 से ज्यादा रकम पुलिस बलों द्वारा लूटी गयी. इसके अलावा दो सिलाई मशीनें, कपड़ा, खाद्य सामग्री, मुरगे, मछली आदि कई चीजें जिनका मूल्य लगभग 6 लाख तक आंका गया, लूट ली गईं.

इसके पहले 2 जुलाई को मरकागुडेम गांव पर हमला करने वाले पुलिस बलों ने दो साधारण ग्रामीणों बाड्से माडकाल और रव्वा भीमा की गोली मार कर हत्या की. इसके बाद एक सप्ताह ही नहीं बीता और एक बार इस हमले व हत्याकांड को अंजाम दिया गया.

जंगलू मंडावी की निर्मम हत्या

जंगलू मंडावी (23) नारायणपुर जिले के मोडोहनार पंचायत के मूसनार गांव का निवासी था. 20 जुलई की रात 11 बजे को जब वह अपने घर में सो रहा था, कोंडगांव से आई डीआरजी की एक छोटी टीम उसे पकड़ कर ले गई. जब उसकी जीवन साथी ने इसका विरोध किया, तो उसके साथ मार–पीट की गई. जंगलू की मां और अन्य परिजनों को बताया गया कि जंगलू के साथ बात करके तुरंत ही उसे वापस भेज दिया जाएगा. जंगलू को कोंडागांव जिले के कड़ियानार पुलिस कैंप ले जाया गया जहां बुरी तरह उसे यातनाएं दी गई. जब अगले दिन उसकी रिहाई के आग्रह के साथ परिजन कैंप गए, तो उन्हें भी बताया गया

मृतक जंगलू का फाइल फोटो

कि बाद में उसे घर भेज दिया जाएगा. लेकिन पुलिस ने कैंप में ही उसकी हत्या कर दी. 23 जुलाई को लाश को मोटार सायकिल से बांध कर उसिरी गांव के नजदीक ले जाकर फेंक दिया गया. बाद में मुठभेड़ में माओवादी को मारने और दो बंदूक बरामद करने का दावा पुलिस ने किया.

हालांकि जंगलू मंडावी पूर्व में लगभग एक वर्ष तक पेशेवर क्रांतिकारी के तौर पर पीएलजीए में काम किया था. बाद में वह आंदोलन छोड़ घर जाकर साधारण जिंदगी बिता रहा था. शासन–प्रशासन की नजर में जंगलू का कसूर यह था कि उसने आंदोलन जरूर छोड़ा था, लेकिन पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और डीआरजी जैसे गद्दारों के झुंड में भर्ती होकर जनता पर कहर बरपाने के लिए सहमत नहीं हुआ था. इसीलिए उसे मौत के घाट उतारा गया.

इस फर्जी मुठभेड़ के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने आवाज उठाई. उन्होंने ऐलान किया कि जब तक अपराधी पुलिस जवानों पर केस दर्ज नहीं होगी तब तक वे लाश नहीं ले जाएंगे. लेकिन शासन–प्रशासन ने जनता की आवाज को दबाने के लिए सारे हथकंडों को अपनाया. साजिशाना तरीके से परिजनों को अलग करके लाश सौंपी गई.

जनता के सामने ही कामरेड सोमा गावडे की हत्या

सोमा गावडे (40) नारायणपुर जिले के चिन्नारी गांव के दोबिनपारा निवासी थे. वे कुछ वर्षों से क्रांतिकारी जन संगठन में सक्रिय रूप से कार्यरत थे. वे शादीशुदा थे. साधारण जिंदगी बिताते हुए ही जनता में क्रांतिकारी राजनीतिक चेतना बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे. इसी प्रयास के तहत 2018 अगस्त 26 को 12 बजे कल्लेपाड गांव में जब वे जनता की बैठक ले रहे थे, मोटार सायकिल सवार डीआरजी गुंडों ने जनता के सामने ही उन्हें पकड़ा था. जनता की आंखों के सामने ही उन्हें निर्मम यतनाएं दी गई. उन यातनाओं का जब जनता ने प्रतिरोध किया, तो

मृतक सोमा गावडे का फाइल फोटो

डीआरजी गुंडों ने हवा में फायरिंग करके जनता को तितर–बितर करने की कोशिश की. तब भी जनता ने उन्हें बचाने की कोशिश किया, तो गुंडों ने उन्हें वहां से कुछ ही दूर ले जाकर गोली मारकर उनकी हत्या की.

❍

पीएलजीए प्रतिरोध

6 जुलाई 2018 को बीजापुर जिले के बासागुड़ा के साप्ताहिक बाजार में पीएलजीए की एक्शन टीम ने बाइक पर सवार पुलिस जवानों पर चाकू से हमला किया. इसमें सीआरपीएफ के दो जवान घायल हुए. इसके बाद पुलिस जवानों ने बाजार से एक ग्रामीण को पकड़ कर माओवादी बता कर उनकी निर्मम हत्या की.

कांकेर जिला, बांदे पखांजूर क्षेत्र के मरवेड़ा गांव में दिसंबर 2017 में बीएसएफ कैंप लगा दी गई. इस कैंप के बल इर्द–गिर्द के गांवों और जंगलों में गश्त करते हुए जनता पर जुल्म चला रहे हैं. उन्हें सबक सिखाने के लिए 8 जुलाई 2018 को ताडबाईल के नजदीक एंबुश करके बीएसएफ के दो जवानों को खतम किया गया.

सीआरपीएफ, कोब्रा, डीआरजी और एसटीएफ ने 10 जुलाई को सुकमा–बीजापुर के सीमावर्ती मर्कागूडेम, दूलोड और मेट्टागूडेम गांवों पर संयुक्त हमलें किए. गांवों में आतंक मचा कर 7 लोगों को अपने गिरफ्त में लेकर जब पुलिस बल वापस जा रहे थे, मिनपा गांव के पास पीएलजीए ने हमला किया. इसमें डीआरजी का एक जवान घायल हुआ.

15 अगस्त 2018 को राजनांदगांव जिले में झूठे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएलजीए ने पुलिस बलों को नुक्सान पहुंचाने मोहला क्षेत्र के हिड़कोटोला और मिसपी के जंगल में प्रेशर बम लगाया. इस दौरान सर्चिंग पर निकले जिला पुलिस बल और आईटीबीपी के जवान इसकी चपेट में आ गए. प्रेशर बम के फटने से आईटीबीपी के दो जवान घायल हुए.

2 सितंबर 2018 को सुकमा जिले के फूलबगड़ी थाना अंतर्गत केरलापाल इलाके में सर्चिंग कर वापस आते समय रबड़ीपारा में पीएलजीए द्वारा लगायी गयी आइईडी की चपेट में आकर डीआरजी का एक जावन मारा गया, जबकि तीन अन्य जवान घायल हुए.

21 सितंबर 2018 को बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में सर्चिंग कर लौट रहे डीआरजी और एसटीएफ के जवान पुसनार और बुरजी के बीच में पीएलजीए द्वारा लगाए गए प्रेशर बम की चपेट आ गए. इसमें डीआरजी का एक जावान घायल हुआ. ❍

राजनीतिक बंदियों का अधिकार दिवस मना!

13 सितंबर का दिन देश के जन संघर्षों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है. 13 सितंबर 1929 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों से राजनीतिक बंदी के दर्जे की मांग करते हुए लाहौर जेल में 63 दिनों तक भूख हड़ताल करके क्रांतिकारी जतीन दास शहीद हुए थे. तबसे उस समझौताहीन संघर्ष राजनीतिक बंदियों को अपने अधिकारों के लिए प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों के खिलाफ जेल संघर्ष चलाने के लिए प्रेरित करता आ रहा है. शहीद जतीन दास और उनके साथी शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव द्वारा स्थापित इस महान परंपरा को दसियों–हजार की संख्या में जेलों में बंद माओवादी क्रांतिकारी नक्सलबाड़ी के समय से ही ऊंचा उठाते आ रहे हैं. उनके बलिदान को याद करने और राजनीतिक बंदियों के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए हर साल 13 सितंबर को राजनीतिक बंदियों के अधिकार दिवस के रूप में मनाने का 2010 में भाकपा(माओवादी) की केंद्रीय कमेटी ने निर्णय लिया था.

हर वर्ष की तरह इस बार भी इस मौके पर भाकपा(माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी द्वारा पार्टी, पीएलजीए, क्रांतिकारी जनताना सरकारों व क्रांतिकारी जन संगठनों के सदस्यों, जनवादी और नागरिक अधिकार संगठनों तथा देश की जनता से अपील की गई कि 13 सितंबर को राजनीतिक बंदियों के समर्थन में अलग–अलग कार्यक्रमों का आयोजन करें. जेलबंदी पार्टी सदस्यों का आह्वान किया गया कि वे जेल की मौजूदा परिस्थितियों के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा बंदियों को शामिल कर इस दिवस को मनाने की पहलकदमी करें. राजनीतिक बंदियों के परिवारजनों, मित्रों और शुभचिंतकों से अपील की गई कि वे इस दिवस को आयोजित कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लें.

भारत की न्याय और जेल व्यवस्था के इतिहास से वाकिफ कोई भी व्यक्ति इस दिवस को मनाने के महत्व को आसानी से समझ सकता है. विदेशी शासकों के देश छोड़ देने और घरेलू शासकों द्वारा सत्ता की बागडोर संभालने के बाद भी पिछले 70 सालों में देश के जेल और जेलबंदियों की परिस्थिति में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया है. शोषणकारी औपनिवेशिक शासकों की तर्ज पर – जिनके खिलाफ कभी जतीन दास ने संघर्ष किया था – देश के वर्तमान सामंती–दलाल शासक भी उनकी प्रतिक्रियावादी सत्ता को बरकरार रखने के लिए राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े हजारों लोगों को हर साल जेलों में कैद कर रहे हैं. भारत के राजनीतिक बंदी कई उत्पीड़ित वर्गों और समूहों का, कई राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का प्रतिनिधित्व करते हैं. माओवादी आंदोलन से, कश्मीर, पंजाब, तमिल ईलम और पूर्वोत्तर के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों से, पृथक राज्य आंदोलनों आदि से जुड़े लोग, जुझारू संघर्षों में शामिल मजदूर, किसान, दलित और आदिवासी, साम्प्रादायिक मंशा से फर्जी मामलों में फंसाकर कैद किये गये मुसलमान और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, अपने जनवादी अधिकारों के लिए लड़ने वाले विभिन्न सामाजिक तबकों के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, जनवादी, पत्रकार, वकील, बुद्धिजीवी तथा सरकार की नीतियों का विरोध करनेवाले अन्य पेशेवर लोग इनमें शामिल हैं.

इस फासीवादी दमन का एक ताजा उदाहरण है, इस साल के जून महीने में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा भीमा–कोरेगांव घटना तथा नरेंद्र मोदी की हत्या की तथाकथित 'साजिश' से जोड़कर फर्जी मामलों में फंसाये गये पांच जाने–माने सामाजिक कार्यकर्ताओं – रोना विल्सन (राजनीतिक बंदियों की रिहाई कमेटी के कार्यकर्ता), प्रोफेसर शोमा सेन (नागपुर विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर), सुधीर ढावले (संपादक, 'विद्रोही' पत्रिका, मुम्बई), सुरेंद्र गडलिंग (वकील, नागपुर) और महेश राउत (विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन का नेता, गडचिरोली) की गिरफ्तारी. देश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ताओं का दमन अभी थमा नहीं, बल्कि और जोर पकड़ रहा है. हाल ही में वरवर राव (हैदराबाद के क्रांतिकारी कवि), वर्नन गोंजलवेज (मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता), अरुण फरेरा (मुंबई के वकील), सुधा भरद्वाज (बिलासपुर हाईकोर्ट की वकील) और गौतम नवलखा (दिल्ली के नागरिक अधिकार संगठनों की समन्वय समिति के नेता) को गिरफ्तार किया गया. इसी तरह, फरवरी महीने में आदिवासियों के विस्थापन के खिलाफ लड़नेवाले झारखंड के सामाजिक कार्यकर्ता दामोदर तुरी को फर्जी मामलों में गिरफ्तार किया गया.

अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करने पर पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़े सैकड़ों लोगों को – जिनमें ज्यादातर झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी जनता है – जेलों में बंद किया गया है. कश्मीरी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज और फोटो–पत्रकार युसूफ कामरान को भारतीय राज्य की खिलाफत करने के कारण बंदी बनाया गया. प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा, चांदमुनी हांसदा जैसे सैकड़ों लोग अभी भी जेलों में कैद हैं. इन सभी लोगों को तानाशाही भारतीय राज्य का विरोध करने या जनांदोलनों के पक्ष लेने के 'अपराध' में सजा दिया जा रहा है. कुल मिलाकर, राजनीतिक बंदियों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया में ही अव्वल देशों में शामिल है और यह संख्या हर साल चिंताजनक रूप से बढ़ती जा रही है. यह भारतीय राज्य की तानाशाही चरित्र को ही दर्शाता है. अतीत के कई जुझारू संघर्षों के बावजूद सरकारें इन बंदियों को राजनीतिक बंदी का दर्जा देने या इससे जुड़े अन्य अधिकार मुहैया कराने से इंकार करती आ रही हैं. दरअसल, पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य किसी राज्य ने इस अधिकार को मान्यता देने के लिए अभी तक कोई कानून पारित नहीं किया है और उस राज्य में भी बाद में मनमाने ढंग से इसे रद्द कर दिया गया. इस परिस्थिति में, जेल के अंदर और बाहर से राजनीतिक बंदियों की मान्यता, उनके अन्य कानूनी अधिकार तथा बिना शर्त रिहाई की मांग उठाने के लिए राजनीतिक बंदी अधिकार दिवस एक उचित अवसर है.

देश के जेलों में बंद कैदियों की व्यापक बहुसंख्या उन 'साधारण' बंदियों की है जिनकी स्थिति राजनीतिक बंदियों से अलग नहीं है. दरअसल, राजनीतिक बंदियों के दर्जे का कोई कानूनी प्रावधन नहीं होने के कारण उत्पीड़ित जनता से संबंधित सभी बंदियों को अदालतों और जेलों में एक ही तरह के दुर्व्यवहार व अन्याय का सामना करना पड़ता है. वे मुख्य रूप से मेहनतकश जनता से ही होते हैं जिनमें शामिल हैं – दलित, आदिवासी और मुसलमान, उत्पीड़ित जातियों, समूहों और वर्गों के लोग. शिक्षा और नौकरी के मामले में उनका प्रतिनिधित्व भले ही न हों या न के बराबर हों, लेकिन जेलों में उनका 'प्रतिनिधित्व' जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में बहुत ही ज्यादा है. यह मौजूदा शोषणमूलक सामाजिक व्यवस्था का ही एक प्रतिबिम्ब है जहां शासक वर्गों के मुट्ठीभर लोग अपने तानाशाही शासन को बनाये रखने के लिए उत्पीड़ित वर्गों के लोगों को ही बड़े पैमाने पर जेलों में कैद रखते हैं. इन बंदियों को छोटे–मोटे 'अपराधों' के लिए, उनके द्वारा कभी नहीं किये गये 'अपराधों' के लिए, केवल शासक वर्गों के नजरिये से ही 'अपराध' कहलाए जानेवाले कामों के लिए या वर्तमान व्यवस्था ही जिन बुराइयों व अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसे 'अपराधों' के लिए कैद रखा जाता है. अपनी आजादी हासिल करने के लिए पुलिस–प्रशासनिक अधिकारियों, राजनेताओं व बड़े वकीलों को पर्याप्त धन मुहैया नहीं कराने के कारण ही उन्हें कई सालों का यातनापूर्ण बंदी जीवन बिताना पड़ता है. न्याय के अधिकार, न्यायिक प्रतिकार के अधिकार, जमानत के अधिकार और एक आत्मसम्मान की जिंदगी जीने के अधिकार से उन्हें वंचित रखा जाता है. उन्हें अक्सर सजा की मियाद से कहीं अधिक समय जेल में बिताने को मजबूर किया जाता है जैसा कि उन आजीवन कारावास की सजा पाये सैकड़ों बंदियों के साथ हो रहा है जो अपनी सजा पूरी करने के बाद भी कई सालों से अपनी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं. इन 'साधारण' बंदियों की दशा जेल में बंद मुट्ठीभर शासक वर्ग के तत्वों – जैसे राजनेताओं, उच्चस्तर के नौकरशाहों, बड़े व्यापारियों व ठेकेदारों, आध्यात्मिक गुरूओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व अन्य हिन्दुत्व संगठनों से जुड़े अपराधियों आदि – के बिल्कुल विपरीत है. ये 'साधारण' बंदी इस व्यवस्था के शिकार हैं. इसीलिए राजनीतिक बंदियों – खासकर माओवादी बंदियों – का यह एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वे इन्हें राजनीतिक रूप से चेतनाबद्ध करें और वर्गदिशा लागू करते हुए उन्हें संघर्षों में संगठित कर क्रांतिकारी आंदोलन के पक्ष में लायें.

भारतीय शासक वर्ग और उनकी सरकारें हमारी पार्टी और आंदोलन के खिलाफ नक्सलबाड़ी के समय से ही फासीवादी दमन चला रही हैं. इसके तहत वे हर साल बड़ी संख्या में माओवादी क्रांतिकारियों और जनता को झुकाने और वर्ग संघर्ष से अलग करने के मकसद से जेलों में डाल रहे हैं. दूसरी तरफ, माओवादी बंदी भी अपनी विचारधारा पर अडिग रहने और दुश्मन के कारागारों को वर्ग संघर्ष व राजनीतिक शिक्षा के मैदान के रूप में तब्दील करने की भरपूर कोशिश करते हैं. इस तरह माओवादी बंदियों का जेल संघर्ष भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है. एकीकृत पार्टी भाकपा(माओवादी) के गठन के बाद पिछले 14 सालों में क्रांतिकारी आंदोलन पर राज्य दमन और भी ज्यादा तेज हो जाने के परिप्रेक्ष्य में इन संघर्षों का महत्व आज और भी बढ़ गया है. माओवाद को ''देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा'' के रूप में चिह्नित कर शासक वर्ग इसके खिलाफ एक के बाद एक प्रतिक्रांतिकारी अभियान और हमले चला रहे हैं. सलवा जुडूम, सेंद्रा, ग्रीन हंट अभियान, 'मिशन 2016' और 'मिशन 2017', 'समाधान' आदि के तहत संघर्ष इलाकों में बड़ी संख्या में हमारी पार्टी, पीएलजीए व क्रांतिकारी जन संगठनों के सदस्यों और जनता की वे हत्या और गिरफ्तारी करते आए हैं. वे अपने हमले की धार को केन्द्रीय कमेटी से लेकर ग्राम पार्टी

कमेटी तक हर स्तर के पार्टी नेतृत्व पर केन्द्रित कर रहे हैं. खास तौर पर ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी संघ परिवार की भाजपा के केन्द्र में सत्ता में आने के बाद के पिछले चार सालों में इस हमले की तीव्रता अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गयी है. खासकर माओवादी आंदोलन सहित देश के सभी जनांदोलन हिन्दुत्व शक्तियों का निशाना बन गये हैं. उनकी प्रतिक्रियावादी विचारधारा को राज्यसत्ता के साथ जोड़कर वे पूरे देश में भगवा आतंक का माहौल कायम कर रहे हैं. पिछले साल मई महीने में प्रतिक्रांतिकारी 'समाधान' योजना शुरू कर मोदी सरकार ने 2022 तक भाकपा(माओवादी) व क्रांतिकारी आंदोलन का सफाया करने का लक्ष्य रखा है. 'नया भारत' की आड़ में एक 'हिंदू राष्ट्र' स्थापित करने की उनकी व्यापक योजना का ही यह एक अहम हिस्सा है. अगले साल होनेवाले संसदीय चुनाव में फिर एक बार सत्ता हासिल करने की मंशा से उनके हाथों में मौजुद राज्यतंत्र का दुरुपयोग कर हिंदुत्व शक्तियां फासीवादी हमलों में और भी ज्यादा आक्रामकता ला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक बंदियों से देश के जेलों को भर रहे हैं और असीमानंद, माया कोदनानी, कर्नल पुरोहित जैसे हिंदू–फासीवादी अपराधियों/आतंकियों को जेल से रिहा करवा रहे हैं.

'समाधान' योजना के तहत माओवादी आंदोलन पर वर्तमान में चल रहे हमलों का परिणाम सिलसिलेवार जनसंहारों की घटनाओं में देखा जा सकता है, जैसे दण्डकारण्य के कल्लेड़ा, तड़पाल, आयपेटा व कसनूर–तुमीरगुंडा के जनसंहार, सुकमा जिले के नुल्कातोंग में 6 अगस्ट को सात नाबालिग सहित 15 आदिवासी ग्रामीणों की नृशंस हत्या, झारखंड के बड़गांव तथा अन्य संघर्ष इलाकों के जनसंहार, आदि. इसके अलावा गिरफ्तारी और कारावास सहित अन्य सभी तरह का राज्य आतंक जारी है. हाल के दिनों में नरसंहार और फर्जी मामलों में फंसाने की घटनाओं में काफी बढ़ोत्तरी हुई है. उदाहरण के लिए, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केवल बस्तर इलाके से ही 1,010 तथाकथित 'माओवादियों' को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था. इससे भी बड़ी तादाद् में लोगों को पुलिस थानों और अर्धसैनिक बलों के शिविरों में गैर–कानूनी तरीके से हिरासत में रखा जाता है, यातनाएं दी जाती है. खास तौर पर क्रांतिकारी समाहारों में शामिल होने से रोकने के लिए हर साल सैकड़ों ग्रामीणों को कई दिनों तक पुलिस थानों व शिविरों में जबरन बंद रखा जाता है. जिन ''माओवाद प्रभावित'' जिलों में कारागार मौजूद नहीं हैं वहां युद्धस्तर पर कारागारों का निर्माण किया जा रहा है और पहले से मौजूद कारागारों की क्षमता बढ़ायी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा माओवादी राजनीतिक बंदियों को इनमें कैद रखा जा सके.

वर्तमान में 9 केन्द्रीय कमेटी सदस्य, लगभग 30 एसएसी/एसजेडसी/एससी सदस्य और 50 जेडसी/डीसी/डीवीसी सदस्य, सैकड़ों की तादाद में एसी सदस्य व पेशेवर क्रांतिकारी तथा पार्टी सदस्य, क्रांतिकारी जनसंगठनों व क्रांतिकारी जन कमेटियों के हजारों कार्यकर्ता व सदस्य तथा हमारे आंदोलन के इलाकों की जनता कई राज्यों के जेलों में झूठे मुकादमों में बंद हैं. इनके खिलाफ 19 राज्यों में माओवाद–संबंधित मामलें दर्ज हैं. इनमें से एक बड़ा हिस्सा सुनवायी के चलते या सजा काटते हुए पिछले 5–10 सालों से भी ज्यादा समय से जेलों में बंद है. इन सभी को अमानवीय परिस्थितियों, अंतहीन कठिनाइयों, शारीरिक व मानसिक यातनाओं के दौर से गुजरना पड़ता है. खास तौर पर महिला और विकलांग राजनीतिक बंदियों को अत्यधिक दिक्कतों का और सरकार–जेल प्रशासन के बहुत ही बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ता है. पिछले सालों में सही समय पर स्वास्थ्य सेवा मुहैया न किये जाने के कारण कई कामरेडों की जेल में ही मौत हो गई. बाइज्जत बरी किए जाने के बावजूद राजनीतिक बंदियों की जेल गेट से ही फिर–गिरफ्तारी एक आम बात हो गयी है. माओवादी आरोपियों को सश्रम कारावास, आजीवन कारावास, मृत्युदंड जैसी कठिन सजाएं देना भी नियम जैसा ही बन गया है. हिंदू–फासीवाद के खिलाफ देश में बढ़ रहे जनांदोलनों के साथ–साथ सभी राजनीतिक विरोधियों और तथाकथित 'दुश्मनों' के खिलाफ मुहिम चलाकर एक बार फिर सत्ता में आने की कोशिश कर रही भाजपा इस उत्पीड़न को आनेवाले दिनों में और भी तेज करेगी. जेलों में बंद भाकपा(माओवादी) के ज्यादातर साथी मालेमा और पार्टी के प्रति दृढ़ता से समर्पित रहते हुए इस परिस्थिति का दृढ़ता से सामना कर रहे हैं और जेल के अंदर संघर्ष व राजनीतिक–सांगठनिक काम कर रहे हैं. उनके साहसिक संघर्ष के जरिए वे पूरे क्रांतिकारी शिविर और शोषित जनता को प्रेरित व उत्साहित कर रहे हैं. उनके जेल संघर्ष और जनता और जनसंगठनों द्वारा बाहर से किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले एक साल में कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल हुई हैं, जिनमें शामिल हैं, जगदलपुर जेल से कामरेड पद्मा और चंद्रशेखर की रिहाई, छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार आंध्रप्रदेश–तेलंगाना के जनसंगठनों के सात नेताओं की रिहाई, आदि. उसी तरह, माओवादी संघर्ष इलाकों की जनता – खासकर महिलाएं – अर्धसैनिक और पुलिस बलों से बहादुराना तरीके से लड़कर हिरासत में लिये गये ग्रामिणों को कई बार रिहा करवाकर प्रतिरोध की एक आदर्श मिसाल स्थापित कर रही हैं. ये जीत राजनीतिक बंदियों के अधिकार आंदोलन को मजबूत कर रही हैं.

राजनीतिक बंदियों के अधिकार दिवस के इस अवसर

छद्म पत्रकार शुभ्रांशु एवं अन्य द्वारा प्रस्तावित शांतियात्रा का बहिष्कार करें!

(20 सितंबर 2018 को भाकपा(माओवादी), डीके एसजेडसी प्रवक्ता विकल्प द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य)

देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के विश्वसनीय सेवक बने छद्म पत्रकार शुभ्रांशु चौधरी एवं अन्य गैर–सरकारी संगठनों द्वारा सरकार के साथ माओवादियों की शांति वार्ता कराने के नाम पर आगामी 2 अक्टूबर से छत्तीसगढ़–आंध्रप्रदेश की सरहदी शेट्टी से शुरु कर बस्तर संभाग के चार जिलों से होते हुए 12 अक्टूबर को जगदलपुर में समापन करने के प्रस्तावित पदयात्रा का बहिष्कार करने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी छत्तीसगढ सहित देश भर के खासकर बस्तर के आदिवासी, दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक व अन्य पिछड़े तबकों की जनता, जनवादी–प्रगतिशील बुद्धिजीवियों, जनपक्षधर मीडियाकर्मियों, आदिवासी व गैर–आदिवासी सामाजिक संगठनों, मानवाधिकार संगठनों, छात्रों, नवजवानों का आह्वान करती है.

दरअसल उक्त पदयात्रा, शांति वार्ता की आड़ में बस्तर की जनता को विस्थापन विरोधी जन आंदोलनों व जनयुद्ध से भटकाने, यहां के जल–जंगल–जमीन व संसाधनों को देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने की सरकारी साजिश को सफल बनाने के तहत आयोजित की जा रही है. इस शांति वार्ता/पदयात्रा के साथ और इसके पीछे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रायोजित गैर–सरकारी संगठनों का हाथ है. हमारी पार्टी द्वारा दिए गए आगामी विधान सभा एवं 2019 में आयोजित होनेवाले लोकसभा चुनावों के बहिष्कार के आह्वान को विफल बनाकर 'शांतिपूर्वक' चुनाव संपन्न कराने का मकसद भी उक्त शांति वार्ता/पदयात्रा के पीछे छुपा है.

हमारी पार्टी बस्तर की संघर्षरत जनता से अपील करती है कि वो उक्त पदयात्रा में शामिल लोगों व संगठनों से ये सवाल व जवाब–तलब करें कि जन दमन और जनता के शोषण के जरिए बस्तर में शांति भंग करने वाला कौन है? विगत में सलवा जुडुम के तहत सैकड़ों गांवों को तबाह किसने किया? हजारों बेकसूर आदिवासियों को मौत के घाट उतारा कौन? जनयुद्ध, जन संघर्ष व जनवादी–प्रगतिशील बुद्धिजीवियों के जबर्दस्त विरोध के जरिए उसे हराने के बाद ग्रीनहंट के नाम पर विदेशी आक्रमणकारियों की तरह उत्पीड़ित जनता पर नाजायज युद्ध किसने संचालित किया? जनयूद्ध के जरिए उसे हराने के बाद अब प्रतिक्रांतिकारी रणनीतिक दमन योजना 'समाधान' पर अमल कौन कर रहा है? बस्तर की जनता का आए दिन फर्जी मुठभेड़ों और मुठभेड़ों में कत्लेआम करने वाला कौन है? आदिवासी जनता की हरी–भरी जिंदगियों पर कहर बरपाने वाला कौन है? बच्चियों, नव युवतियों से लेकर बूढ़ी माओं के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार व उनकी हत्या तक करने वाले सरकारी सशस्त्र बलों को इसके लिए खुली छूट देने वाले कौन है? विकास के नाम पर जनता के विनाश का सबब बनने वाली एवं दसियों हजार लोगों को उनके जल–जंगल–जमीन से जबरन बेदखल करने वाली बड़ी खनन, बहुउद्देश्यीय बड़ी बांध व वृहद औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए देशी, विदेशी

पर देश के राजनीतिक बंदियों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते हुए दंडकारण्य में जगह–जगह रैलियां व सभाओं का आयोजन हुआ, जिनमें हजारों लोगों ने शिरकत की. इन कार्यक्रमों के जरिए राजनीतिक बंदियों का दर्जा, उनके कानूनी अधिकारों व बिना शर्त रिहाई के लिए आवाज उठाई गई. जेलबंदियों के परिजनों को मिलकर उनके सुख–दुख बांटा गया. उनकी यथासंभव मदद देन का आश्वासन दिया गया. बंदियों में से वरिष्ठ, बीमार, विकलांग, महिला और आदिवासी बंदियों की विशेष जरूरतों को रेखांकित किए जाने का प्रयास किया गया. फिर–गिरफ्तारी, समानांतर सुनवायी की बजाय एक के बाद एक सुनवायी, समानांतर चलने वाली सजाओं के बदले में एक के बाद एक सजा भुगतने मजबूर करना आदि सभी अन्यायपूर्ण कदमों का पुरजोर विरोध किया गया. इस मौके पर देश में बढ़ते राज्य–आतंक व हिंदुत्व–आतंक, मोदी सरकार के 'नया भारत' जैसी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ, जनांदोलनों पर हो रहे प्रतिक्रांतिकारी 'समाधान' जैसे फासीवादी हमलों के खिलाफ, देश के राजनीतिक बंदियों को मिल रहे अंतरराष्ट्रीय समर्थन को दबाने की भारत सरकार की कोशिशों के खिलाफ भी इस अवसर पर आवाज उठाई गई. राजनीतिक बंदियों के अधिकार दिवस को दुनिया के अलग–अलग हिस्सों में साम्राज्यवाद, सामंतवाद और अन्य सभी तरह के प्रतिक्रियावाद के खिलाफ चल रहे क्रांतिकारी व जनवादी आंदोलनों के साथ एकजुटता दिखाने और भारत में भाकपा(माओवादी) के नेतृत्व में चल रहे दीर्घकालीन जनयुद्ध तथा अन्य जनांदोलनों के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने के दिवस के रूप में भी मनाया गया.

❍

कॉरपोरेट कंपनियों के साथ सैकड़ों एमओयू करने वाला कौन है? लाखों की संख्या में पुलिस, अर्ध–सैनिक व कमांडो बलों को तैनात करते हुए साल–दर–साल नए कैंप व थाने बैठाकर लौह बुटों तले जन विरोध को रौंदते हुए इन परियोजनाओं को शुरू कराने के लिए आतुर कौन है? जनता की जनवादी राज्यसत्ता के संगठन जनताना सरकारों, विभिन्न जन संगठनों के नेताओं व कार्यकर्ताओं को चुन–चुनकर मारने वाला कौन है? शोषक–शासक वर्गों के ही संविधान में आदिवासियों को प्रदत्त पेसा–ग्राम सभाओं के अधिकारों की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? यह जगजाहिर है कि इन तमाम सवालों का जवाब है, सरकार. इसके विपरीत हमारी पार्टी जनता के असली व सर्वांगीण विकास के लिए, असली शांति के लिए, असली आजादी के लिए संघर्षरत है.

यदि शांति के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जनता के प्रति वफादार हैं, तो शांति वार्ता के वकालतदारों एवं पदयात्रा के आयोजकों को सबसे पहले सरकार से ये मांगें करनी चाहिए कि वह विस्थापन की सभी परियोजनाओं को तुरंत बंद करें, कॉरपोरेट घरानों के साथ किए गए तमाम एमओयु को रद्द करें, दंडकारण्य से पुलिस, अर्ध–सैनिक बलों को वापस भेज दें, बस्तर सहित तमाम संघर्ष इलाकों से जनवादी, प्रगतिशील, मानवाधिकार, सामाजिक, महिला संगठनों व जनपक्षधर मीडियाकर्मियों एवं वकीलों को डरा–धमकाकर खदेड़ना बंद करें, उन्हें संघर्षरत इलाकों में स्वेच्छा से काम करने का शांतिपूर्ण माहौल उपलब्ध कराएं, पुलिस–प्रशासन के संरक्षण, संवर्धन में 'सामाजिक एकता मंच', 'अग्नि' जैसे प्रतिक्रियावादी गुंडा गिरोहों का गठन व उनके द्वारा सरकार के खिलाफ सवाल करने वालों पर हमलें करवाना बंद करें, माओवादी मामलों में जबरन जेलों में बंद लोगों को तुरंत व निशर्त रिहा करें, मुठभेड़ों, फर्जी मुठभेड़ों व नरसंहारों को तुरंत बंद करें, माओवादियों के साथ शांति वार्ता पर अपना रुख साफ करें. संघर्ष इलाकों में असली शांति की स्थापना के लिए शांति वार्ता के वकालतदारों व 2 अक्टूबर से प्रस्तावित पदयात्रा के आयोजकों को चाहिए कि वे उपरोक्त मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ पहले पदयात्रा शुरु करें. अन्यथा संघर्षशील जनता इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि शांति वार्ता/पदयात्रा बहुत बड़ा ढोंग है और उन्हें दिशाहीन बनाने की साजिश भर है.

देश व छत्तीसगढ़ की जनता से यह बात छुपी नहीं है कि पिछले चार सालों के दौरान देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह यही कहते आ रहे हैं कि हथियार छोड़े बगैर माओवादियों के साथ वार्ता का कोई सवाल ही नहीं है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमण सिंह माओवादियों को यह चुनौती दे रहे हैं कि वे आत्मसमर्पण करें या मरने के लिए तैयार रहें. ऐसे हालात में शांति वार्ता हास्यास्पद ही नहीं संघर्षरत जनता के प्रति अपमानजनक बात है. केंद्र, राज्य सरकारों द्वारा अमल में लाए जा रहे नित नए दमनात्मक हथकंडों का मुकाबला करते हुए ही क्रांतिकारी जनता हमारी पार्टी के नेतृत्व में क्रांतिकारी आंदोलन का निर्माण करने में लगी है. अब भी रमण सिंह की चुनौती को संघर्षशील जनता और उसका नेतृत्व करने वाली हमारी पार्टी न केवल स्वीकार करती है बल्कि जन संघर्षों, जन प्रतिरोध व जनयुद्ध को तेज करके उसका माकूल जवाब देगी.

उक्त पदयात्रा का मुख्य चेहरा बने शुभ्रांशु चौधरी जो अब तक अपने लेखन के जरिए ही क्रांतिकारी आंदोलन पर कीचड़ उछालने में, उसकी निंदा करने में, उसकी हार की वकालत करने में लगे थे अब सीधे सड़क पर भी उतर रहे हैं. पत्रकारिता की आड़ में देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों की सेवा में लगे ऐसे छद्म पत्रकारों व तथाकथित बुद्धिजीवियों का सामाजिक बहिष्कार करने एवं उनके द्वारा आयोजित होने वाली पदयात्रा में शामिल न होने हमारी पार्टी जनपक्षधर पत्रकार बिरादरी, विभिन्न पत्रकार संगठनों खासकर 'जर्नलिस्ट्स विदाउट बॉर्डर्स' से अपील करती है.

यह सर्वविदित है कि आज ब्राह्मणीय हिंदुत्व कट्टरपंथी, धर्मोन्मादी व फासीवादी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं उसके दर्जनों अनुषांगिक संगठन खासकर भारतीय जनता पार्टी एवं केंद्र तथा विभिन्न राज्यों में कार्यरत उसकी सरकारें देश के तमाम उत्पीड़ित वर्गों व तबकों की जनता खासकर दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, अन्य पिछड़े तबकों की जनता व महिलाओं की अस्मिता, आत्मसम्मान, पहनावा–ओढ़ावा, खान–पान, रहन–सहन एक शब्द में कहा जाए तो उनके स्वतंत्र अस्तित्व व उनकी जीवनशैली के लिए ही सबसे बड़ा खतरा बनी हुई हैं.

देश की सार्वजनिक संपत्ति एवं संसाधनों की बेरोकटोक व निरंतर कॉरपोरेट लूट की जनविरोधी व देशद्रोही आर्थिक, औद्योगिक व खनन नीतियों पर अमल के खिलाफ, आजादी की 75वीं वर्षगांठ 2022 तक प्रस्तावित ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी 'नए भारत' के निर्माण के विरोध में, प्रतिक्रांतिकारी रणनीतिक दमन योजना–'समाधान' के खिलाफ देशव्यापी एवं सभी स्तरों पर मजबूत, संगठित व जुझारु संयुक्त मोर्चा व आंदोलन के निर्माण के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने की दिशा में कदम बढ़ाने की बजाए शांति वार्ता की बात करना जनता को भटकाने, दिग्भ्रमित करने की कोशिश के सिवाय और कुछ नहीं है. ❍

इस अंक में छपीं कुछ तस्वीरें कई दैनिक अखबारों और इंटरनेट से साभार

वार्ता के बहाने उत्तर कोरिया पर शिकंजा कसने की अमेरिकी साजिश

मीडिया के मुताबिक इस वर्ष, 1 जनवरी को उत्तर कोरिया के अध्यक्ष किम जोंग उन ने चेताया कि उनकी मेज पर मौजूद बटन दबाने पर अमेरिका का विनाश होगा. इसके बदले में अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी मेज पर जो बटन है वह और बेहतर काम करेगा. इसके पहले ट्रंप ने किम का मजाक उड़ाते हुए उन्हें रॉकेट मैन कहा, तो किम ने ट्रंप को पागल बुड्ढा कह दिया. इस तरह अमेरिका और उत्तर कोरिया के अध्यक्षों के बीच जुबानी जंग उस समय जोरों पर थी जब दोनों देशों के बीच में युद्ध के बादल छाये रहे थे. ऐसे में किसी का ऐसा कोई अनुमान नहीं था कि अगले छह महीनों के भीतर ही दोनों नेता मुस्कराते हुए हाथ मिला कर एक ही मेज पर वार्तालाप कर सकते हैं.

लेकिन ऐसा हुआ. उसे एक ऐतिहासिक व अद्‌भुत घटना के तौर पर सारी दुनिया के मीडिया ने प्रस्तुत किया.

हाल ही में सीरिया पर अमेरिका ने हमला किया. अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ रहा है. अमेरिकी चुनाव में रूस का कथित हस्तक्षेप का मामला लंबे समय तक सुर्खियां बटोरता रहा. अब अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए.

अमेरिका और चीन के बीच में व्यापार युद्ध चल रहा है. अन्य देशों से अमेरिका में आयात होने वाले एल्यूमीनियम और स्टील पर अमेरिका द्वारा कर बढ़ाने को लेकर यूरेपियन यूनियन नाराज है. अमेरिका के मित्र देश भारत भी इस विषय पर नाराज है. हाल ही में भारत द्वारा रूस से बड़े पैमाने पर युद्ध सामाग्री खरीदने पर अमेरिका ने आक्रोश व्यक्त किया. उग्रवादियों को पनाह देने के मुद्‌दे को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान पर क्रोध प्रकट किया. दरअसल अमेरिका या किसी भी साम्राज्यवादी देश की अन्य देशों से शत्रुता स्वाभाविक बात है. लेकिन इस बार एक ही समय में कई देशों से अमेरिका के मनमुटाव से संबंधित तरह–तरह की खबरें सामने आयीं. ऐसे समय में अमेरिका व उत्तर कोरिया के बीच शिखर वार्ता, जो आमतौर पर मित्रता की ओर इशारा करती है, होना जरूर एक विशेष बात है.

फिर ऐसे में क्या किम और ट्रंप के बीच इस वर्ष के 12 जून को सिंगपुर में आयोजित चिर प्रतीक्षित शिखर सम्मेलन कोरियाई प्रायद्वीप में शांति की स्थापना कर सकता है?

कतई नहीं. क्योंकि दोनों पक्षों में से एक है, पूरी दुनिया पर अपनी प्रभुता कायम करने की महत्वाकांक्षा रखने वाला, दुनिया की जनता का प्रथम दुश्मन, साम्राज्यवादी दुरहंकारी अमेरिका. दरअसल जिस तनाव की स्थिति के समाधान के लिए उक्त वार्तालाप हुआ उस तनावपूर्ण स्थिति को अमेरिका ने ही पैदा किया. दोनों देशों के बीच अगर उस तरह की तनावपूर्ण स्थिति पैदा नहीं होती, तो आज बातचीत की आवश्यकता ही नहीं पड़ती. साम्राज्यवादी देश पिछड़े हुए देशों के ऊपर दबाव डाल कर, प्रतिबंध लगा कर उन्हें बातचीत की मेज पर आने को मजबूर करते हैं. समझौतों के नाम पर उन देशों पर नियंत्रण हासिल करते हैं.

उत्तर कोरिया पर अपना कब्जा जमाने के लिए अमेरिका लंबे समय से कोशिश कर रहा है. कोरियाई प्रायद्वीप पर 1910 में जापान ने कब्जा किया था. दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हारने के बाद कोरिया के उत्तर प्रांत कामरेड स्तालिन के नेतृत्व वाली लाल सेना और दक्षिण प्रांत अमेरिकी सेना के काबू में गया. संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में 1948 में आयोजित चुनाव के बाद ये दोनों प्रांत दो अलग–अलग देशों के रूप में अस्तित्व में आए थे. तब से उत्तर कोरिया को अपने नियंत्रण में लाने के अमेरिकी प्रयास जारी हैं. इन प्रयासों का एक हिस्सा था, दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच में तीन वर्ष (1950–53) तक संचालित युद्ध. चीन के सहयोग से उत्तर कोरिया ने इस युद्ध में जीत हासिल की. लेकिन बाद में भी अमेरिका ने अपने प्रयासों को जारी रखा. इसी क्रम में दक्षिण कोरिया को अपना सैनिक अड्डा बना दिया. हर साल दक्षिण

कोरिया के साथ मिल कर कोरियाई प्रायद्वीप में युद्धाभ्यास कर रहा है. वार्तालाप के बाद सिंगापुर में मीडिया के सामने ट्रंप के खुलासे के मुताबिक फिलहाल दक्षिण कोरिया में 32 हजार की तादाद में अमेरिकी सेना तैनात है. अमेरिका की इन गतिविधियों से उत्तर कोरिया में असुरक्षा की भावना पैदा हुई, जो स्वाभाविक है. इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर कोरिया अपनी सुरक्षा हेतु परमाणु कार्यक्रम को शुरू किया. हजारों परमाणु हथियारों को अपने कब्जे में रखने वाले अमेरिका और अन्य साम्राज्यवादी देशों को उत्तर कोरिया का यह परमाणु कार्यक्रम गले नहीं उतर रहा है. इसलिए उसे रोकने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं. उत्तर कोरिया पर अनगिनत पाबंदियां लगाई गईं. उस पर सैनिक हमला करने की धमकियां भी कई बार अमेरिका द्वारा दी गईं. इसके बावजूद उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम पर अडिग रहा.

इस तरह का गरमागरम माहौल कुछ ही महीनों में तेज गति से बातचीत का रूप ले लिया. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है. अमेरिका ने जंग की भाषा का इस्तेमाल जरूर किया हो, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति जंग के लिए तैयार नहीं है. लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे अमेरिका में उतनी ताकत नहीं है. सात सालों से सीरिया युद्ध में हस्तक्षेप करते हुए, कुछ वक्त से प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हुए अमेरिका ने अभी तक कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं की. लेकिन उसका आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है. ईराक, आफ्गनिस्तान आदि देशों में उसकी सेना की तैनाती भी उसके लिए खर्चीली बात है. अमेरिका की इस युद्ध कांक्षा का अमेरिका की जनता विरोध कर रही है. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल अमेरिका में 12.7 प्रतिशत गरीब और 18.5 प्रतिशत अति गरीब लोग हैं. दुनिया के सभी औद्योगिक देशों की तुलना में अमेरिका में ही गरीब युवा अधिक हैं. ट्रंप के सत्तारूढ़ होने के बाद बंद की गयी कई कल्याणकारी योजनाओं की वजह से गरीब जनता की जिंदगी बद से बदतर हो गई. ऐसे में उत्तर कोरिया के साथ युद्ध करना उसके लिए उतनी आसान बात नहीं है. चीन जिसे अमेरिका अपना आर्थिक प्रतिद्वंदी मानता है, उत्तर कोरिया का मित्र देश है. एक पिछड़ा देश और एक साम्राज्यवादी देश के बीच मित्रता का अर्थ है, पिछड़ा देश द्वारा साम्राज्यवादी देश की हितपूर्ति करना. चीन के फायदों को धक्का देते हुए अपने फाइदों को उत्तर कोरिया द्वारा पूरे कराने के मकसद से अमेरिका उत्तर कोरिया की ओर मित्रता हाथ बढ़ा रहा है.

उत्तर कोरिया की आर्थिक स्थिति भी युद्ध के लिए बिलकुल अनुकूल नहीं है. असल में उत्तर कोरिया का ऐसा इरादा भी नहीं था. अमेरिका के सामने वह दब कर रहने को तैयार नहीं था. इसलिए मजबूरी में वह प्रतिरोध के लिए तैयार हो गया. लंबे समय से प्रतिबंधों का सामना करने की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हो गई. एक अनुमान के मुताबिक उत्तर कोरिया की तुलना में दक्षिण कोरिया का जीडीपी 88 गुना अधिक है. इस हालात को सुधारने के मकसद से बातचीत के लिए किम तैयार हो गए.

इस बातचीत के पीछे दक्षिण कोरिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही. साम्राज्यवादियों और दोनों कोरिया देशों के दलाल नौकरशाही पूंजिपतियों को उत्तर कोरिया से सस्ते में कच्चा माल, प्राकृतिक संसाधन और मानव श्रम आदि उपलब्ध कराने और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की माल बिक्री के लिए उत्तर कोरिया के बाजार को खोल रखने के मकसद से इस बातचीत को संपन्न कराने में दक्षिण कोरिया के अध्यक्ष मून जे ने मुख्य भूमिका निभाई.

बातचीत तय होने के बाद भी अमेरिका की तरफ से बातचीत के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दिखाई गयी. इसलिए आखिरी तक यह शक जारी रहा कि बातचीत होगी या नहीं. अपने वादों के अनुसार उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु केंद्र को ध्वस्त कर दिया. इसके पहले ही अपने जेल में बंद अमेरिकी कैदियों को छोड़ दिया. लेकिन परमाणु केंद्र को ध्वस्त करने के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप की तरफ से यह बयान आया कि वह किम से वार्ता नहीं करेंगे. इसके एक महीने पहले अमेरिका के उपाध्यक्ष माइक पेन्स ने धमकी दी कि अगर उत्तर कोरिया ट्रंप के साथ खिलवाड़ करेगा, तो उत्तर कोरिया का हश्र वही होगा जो लिबिया का हुआ. ज्ञात है कि अमेरिका ने लिबिया देश के अध्यक्ष गड्डाफी की हत्या की थी. इस धमकी के प्रति उत्तर कोरिया ने जो क्रोध व्यक्त किया उसे अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाया. इसीलिए बातचीत को रद्द करते हुए ट्रंप ने बयान जारी कर दिया. लेकिन बाद में ट्रंप वार्ता के लिए तैयार हो गए. शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने के पहले भी ट्रंप ने कहा कि अगर उन्हें पसंद नहीं आता, तो किसी भी पल वह वार्ता से बाहर होंगे. ट्रंप के इस डगमगाहट व चंचल रवैये को पूरी दुनिया ने देखा.

आखिरकार सिंगापूर में बातचीत संपन्न हुई. इस दौरान एक समझौते पर दोनों नेताओं ने हस्ताक्षर किए. इस समझौते में चार मुख्यबिंदु हैं. 1. 27 अप्रैल को उत्तर–दक्षिण कोरिया अधिनायकों के बीच में हुए समझौते के अनुसार कोरिया प्रायद्वीप में परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए उत्तर कोरिया का सहमत होना. 2. कोरिया प्रायद्वीप में स्थायी शांति की स्थापना के लिए अमेरिका–उत्तर कोरिया मिल कर काम करेंगे. 3. उत्तर कोरिया के जेलों में बंद युद्ध कैदियों को रिहा करके उन्हें स्वदेश भेजने पर सहमति. 4. उत्तर कोरिया और अमेरिका की जनता की आकांक्षाओं के अनुसार दोनों देशों के बीच के संबंधों को

मित्रतापूर्वक बना दिया जाएं.

कोरियाई प्रायद्वीप में कब तक निरस्त्रीकरण किया जाएगा, शांति स्थापना के लिए किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, समझौते में ऐसा कोई खास निर्णय नहीं है. पहले से अमेरिका ने सीवीआईडी–कंप्लीट वेरिफायबुल इर्रिवर्सिबुल डीन्यूक्लियराइजेशन (संपूर्ण, सत्यापनीय और अनुत्क्रमणीय परमाणु निरस्त्रीकरण) के लिए जिद की थी. इस शिखर सम्मेलन के 24 घंटे पहले भी अमेरिकी विदेशी मंत्री माइक पांपियो ने इस पर जोर दिया था. लेकिन इस समझौते में सीवीआईडी का शब्द भी नहीं है. इससे समझ में आता है कि किम इस विषय पर सहमत नहीं हुए. अगर उत्तर कोरिया सीवीआईडी पर सहमत होता है, तो वह भविष्य में कभी परमाणु हथियार नहीं बना सकेगा. किम पहले से संपूर्ण कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण के पक्ष में हैं. इसका मतलब है कि दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी सेना और उसके मिसाइलों को वहां से हटा दिया जाए. लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है. सिर्फ उत्तर कोरिया का निरस्त्रीकरण करने के लिए किम द्वारा सहमति नहीं जताने की वजह से सीवीआईडी पर समझौता नहीं हो पाया. दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका द्वारा हर वर्ष करने वाले युद्धाभ्यास को रोकने की घोषणा अमेरिका ने किया. लेकिन दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी सेना को हटाने के लिए अमेरिका तैयार नहीं है.

सीवीआईडी के लिए किम के सहमत नहीं होने और दक्षिण कोरिया में युद्धाभ्यास को रोकने के लिए ट्रंप के सहमत होने को अमेरिकी मीडिया ने किम की जीत व ट्रंप की हार के तौर पर प्रस्तुत किया. भारतीय मीडिया ने भी कुछ ऐसा ही पेश किया.

लेकिन इस समझौते में उत्तर कोरिया को राहत देने वाला विषय अगर कुछ है, तो वह है, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच के युद्धाभ्यास को रोकने की घोषणा. लेकिन बातचीत के लिए उत्तर कोरिया इसलिए तैयार हो गया ताकि उस पर लगाई गई पाबंदियां हट जाएं. लेकिन इस समझौते में इस पर कोई खास निर्णय नहीं हुआ. अमेरिकी विदेश सचिव जेंस मेटिस ने अपने बयान में स्पष्ट कर दिया था कि उत्तर कोरिया को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से राहत तभी मिल पाएगी जब वह स्पष्ट रूप से विश्वास दिला देगा कि उनका देश परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए वचनबद्ध होने की दिशा में निर्णायक कदम उठा रहा है. अमेरिकी विदेशी मंत्री ने बताया कि जब तक वे संतुष्ट नहीं होते तब तक उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लागू रहेंगे.

दरअसल समझौते में क्या हैं, क्या नहीं हैं इसका लेखाजोखा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है. क्योंकि अगर इस समझौते में उत्तर कोरिया के पक्ष में सब कुछ होने से भी अमेरिका उनका पालन करेगा, ऐसा कोई भरोसा नहीं है. किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रति अमेरिका कितनी प्रतिबद्धता दिखाता है, इसके ताजा सबूत हैं, पेरिस समझौता और ईरान परमाणु समझौता. शिखर बैठक संपन्न होने के बाद ट्रंप ने कहा, 'मुझे विश्वास है कि किम ने जो वादे किये उन पर खरा उतरेंगे'. उन्होंने आगे कहा 'छह महीने के बाद शायद मुझे लगेगा कि मुझसे गलती हो गयी'. ऐसे में इस तरह की शिखर वार्ता और समझौता निरर्थक ही साबित होंगे.

अमेरिकी अध्यक्ष के इन बातों से समझ में आता है कि इस शिखर वार्ता के जरिए उत्तर कोरिया को झुकाने की अमेरिका ने जो कोशिश की वह अभी तक नाकाम ही रही.

दरअसल कोरिया प्रायद्वीप में अशांति, अविश्वास, तनाव का माहौल साम्राज्यवाद ने ही पैदा किया. साम्राज्यवाद जब तक अस्तित्व में रहेगा तब तक देशों के बीच तनाव की स्थिति, शत्रुता और युद्ध जारी रहेंगे. साम्राज्यवाद के खात्मे से ही दुनिया में स्थायी शांति संभव है. इसलिए साम्राज्यवाद को खतम करने के कार्यभार को अपने कंधों पर लिए दुनिया की उत्पीड़ित जनता को आगे बढ़ना चाहिए.

3 जुलाई को 54 सरकारी विभागों के तमाम दैनिक वेतनभोगी, संविदा एवं अनियमित कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा गठित करके राजधानी रायपुर में आंदोलन किया था जोकि उल्लेखनीय है. प्रदेश भर से आए कर्मचारी विधानसभा का घेराव करने निकल पड़े. लेकिन सप्रे शाला मैदान के सामने इन्हें रोक लिया गया. ऐसे संयुक्त मोर्चे को और संगठित व जुझारु बनाना चाहिए.

जानें बचाई, जनता के प्रतिरोध ने

1 सितंबर की रात को लगभग 10 बजे के आसपास डीआरजी गुंडों की एक छोटी टुकड़ी जिसमें हिरदु कुमेटी, सोमनाथ कुमेटी, ओंकार कुमेटी एवं सुखधर कुमेटी शामिल थे, कोंडागांव जिले के बेच्चा गांव पहुंचे थे. वहां उन्होंने खालेपारा बेच्चा निवासी जयसिंह नाग (25), ऊपरपारा बेच्चा निवासी चंदर कोर्राम (19), गणेश कोर्राम (22) तथा रुपधर कोर्राम (30) को सोए हुए हालत में घर से उठाकर अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, तो इन चारों के अलावा जनता ने भी जोरदार प्रतिरोध करने लगे. इस प्रतिरोध को कुचलने के लिए हिरदु कुमेटी ने बंदूक के कुंदे से रुपधर कोर्राम के सिर पर मारा. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. डीआरजी गुंडों के इस जुल्म ने जनता के आक्रोश को और बढ़ा दिया. बंदूकधारी गुंडों के खिलाफ जनता ने कुल्हाड़ियां उठायी. इसके बाद खुन से लथपथ रुपधर को छोड़ कर बाकी तीनों को अपने साथ में लेकर डीआरजी गुंडे तेजी से गांव से निकले थे. ग्रामीणों ने भी गुंडों के हाथों से बाकी तीन लोगों को बचाने के लिए प्रतिरोध करते हुए गुंडों का पीछा किया. उन्हें रोकने के लिए गुंडों ने अमानवीय रूप से गोलियां चला कर उन्हें पीछे हटा दिया. उसके बाद वे बंदियों को लेकर तेजी से निकल पड़े. गणेश कोर्राम की आंख की समस्या है जिसके चलते रात में उसे दिखाई नहीं देता है. इसके कारण वह तेजी से नहीं चल पाया, तो हितुलवाड के जंगल में उसे छोड़ दिया गया. अगले दिन 2 सितंबर को जब बेच्चा के ग्रामीण व परिजनों ने जिला नारायणपुर के पुलिस थाना छोटेडोंगर में पहुंचकर जयसिंह नाग और चंदर कोर्राम के बारे में पता किया. पुलिस वालों ने उक्त नाम के दोनों ग्रामीणों के उस थाने में नहीं होने की बात कहकर कोण्डागांव जाने की सलाह दी. उसके तुरंत बाद ग्रामीणों व परिजनों ने जिला मुख्यालय कोण्डागांव में पहुंचकर जयसिंह व चंदर का पता लगाने का प्रयास किया, तो कहीं भी उनका पता नहीं चला. उसी दिन उन्होंने पत्रकारों से मुलाकात की. ग्रामीणों ने प्रेस को बताया कि जयसिंह नाग और चंदर कोर्राम नक्सली नहीं हैं, केवल ग्रामीण हैं और खेतीबाड़ी करके अपना और अपने पर आश्रित परिजनों का पेट पालते हैं. जयसिंह नाग शादीशुदा है और पत्नी के अलावा उसके दो मासूम बच्चें भी हैं. इसलिए पुलिस बल द्वारा जबरन पकड़कर लाए गए दोनों ग्रामीणों को सुरक्षित छोड़ देना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस बात का भय अधिक है कि कहीं इन दोनों को भी पुलिस के द्वारा पूर्व की तरह नक्सली बताकर फर्जी मुठभेड़ में मार न दे. उन्होंने यह भी बताया कि ग्राम पंचायत बेच्चा के पूर्व निवासी हिरदु कुमेटी, सोमनाथ कुमेटी, ओंकार कुमेटी एवं सुखधर कुमेटी डीआरजी में भर्ती होकर अवार्ड/रिवार्ड/प्रमोशन के लिए साधारण ग्रामीणों की, नक्सली बताकर पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से हत्या कर रहे हैं. उनके द्वारा उक्त तरह के कार्य बदले की भावना से ही किया जा रहा है, क्योंकि जन विरोधी बनने के बाद वे गांव छोड़कर पुलिस के पास भागे थे.

इस घटना के बारे में सब कुछ अखबारों में छपने के बाद भी कई दिनों तक जयसिंह नाग और चंदर कोर्राम का पता नहीं चल पाया. इसके बावजूद ग्रामीणों ने अपनी तलाश नहीं छोड़ी. उन्होंने कोंडागांव जिले के कलेक्टर एंव पुलिस अधीक्षक से भी मिल कर गुहार लगायी थी. इस तरह ग्रामीणों और परिजनों द्वारा लगातार की गई कोशिशों के फलस्वरूप 20 दिनों के बाद चंदर कोर्राम और जयसिंह नाग का पता चला. दोनों का तब ही पता चला जब वे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए. दोनों को पुलिस द्वारा इतनी अमानवीय यातनाएं दी गई कि जब अस्पताल में उन्हें मिलने के लिए परिजन गए थे, दोनों ही बात करने की हालत में भी नहीं थे. यह रिपोर्ट लिखे जाने तक जनता के दबाव में चंदर कोर्राम को छोड़ दिया गया था, जबकि जयसिंह नाग को फर्जी मामले में नारायणपुर जेल भेज दिया गया.

पुलिस की गिरफ्त से उन्हें बचाने के लिए ग्रामीणों द्वारा घटनास्थल में किए गए साहसिक प्रतिरोध, बाद में भी लगातार की गई कोशिशों के चलते ही न सिर्फ चंदर व जियसिंह बल्कि रुपधर, गणेश की जानें बच गईं. नहीं तो हमेशा की तरह पुलिस–नक्सली मुठभेड़ की और एक कहानी अखबारों की सुर्खी बन जाती. ❍

कृपया प्रभात के लिए डिविजनों से सही समय पर निम्नांकित रिपोर्ट्स जरूर भेजें!

★ *अमर शहीदों की जीवनियां जिनके साथ तस्वीरें जरूर संलग्न करें.*
★ *पीएलजीए प्रतिरोध*
★ *जन प्रतिरोध विशेषकर महिला प्रतिरोध*
★ *जन संघर्ष की रपटें*
★ *सभा सम्मेलनों की रपटें*

– संपादक मंडल

(आखिरी पेज से...)

कर दुश्मन के बलों को नुकसान पहुंचाया गया. जनयुद्ध–गुरिल्ला युद्ध में जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए आंदोलन के सभी इलाकों में जनता को जागरूक करने का अभियान संचालित किया गया. इन सभी गुरिल्ला कार्रवाइयों में दुश्मन पर चोट पहुंचाते हुए, 'समाधान' हमले की आक्रामकता को रोका गया है. इससे क्रांतिकारी आंदोलन और गुरिल्ला बेसों में क्रांतिकारी जनता की राजनीतिक सत्ता को कायम रखने में कामयाबी मिली.

पार्टी को सैद्धांतिक और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ करने का प्रयास किया गयाः दुश्मन के भीषण हमले के बीच ही पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने तीन दस्तावेज – 1. इंटरनेशनल के गठन पर पार्टी का दृष्टिकोण 2. भारत देश में जाति समस्या–हमारा दृष्टिकोण 3. चीन एक नयी सामाजिक साम्राज्यवादी शक्ति है–वह विश्व पूंजीवादी–साम्राज्यवादी व्यवस्था का हिस्सा है – को तैयार कर, अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए निचले स्तर की पार्टी कमेटियों तक ले जाकर शिक्षा दिलायी. कुछ इलाकों में संचालित लीडरशिप ट्रैनिंग प्रोग्राम और मिलिटिरी लीडरशिप ट्रैनिंग प्रोग्राम नयी नेतृत्वकारी शक्तियों को शिक्षित–प्रशिक्षित करने में अच्छे अनुभव दिला रहे हैं. पार्टी में पितृसत्तात्मक रुझानों के खिलाफ कुछ राज्यों में शुद्धीकरण अभियान का आयोजन हुआ.

रूसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ और महान मार्क्सवादी सिद्धांतकर्ता एवं सर्वहारा के सर्वोत्तम शिक्षक कामरेड कार्ल मार्क्स की 200वीं वर्षगांठ को जंगल, ग्रामीण और शहरी इलाकों में क्रांतिकारी राजनीतिक अभियान के रूप में संचालित किया गया.

जनांदोलनों को विकसित करते हुए जननिर्माणों को संगठित, पुनःसंगठित और सक्रिय किया गयाः विभिन्न स्पेशल एरिया/स्पेशल जोन/राज्यों में क्रांतिकारी जनसंगठन और क्रांतिकारी जनकमेटियों का कार्य नियमित रूप से संचालित करते हुए, उनकी सदस्यता को बढ़ाने का प्रयास किया गया. जनसंगठनों और आरपीसियों ने जनता को विभिन्न आंदोलनों में गोलबंद करने का प्रयास किया. इनमें शामिल सक्रिय शक्तियों को संगठित करने का प्रयास किया. ग्राम स्तर से लेकर डिविजन स्तर तक जनसंगठनों और आरपीसीयों के अधिवेशनों को आयोजित कर नयी नेतृत्वकारी कमेटियों को चुना गया.

आंदोलन के इलाकों में जनता की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरण, विस्थापन और दैनंदिन समस्याओं पर हजारों जनता को गोलबंद कर कई आंदलनों को संचालित किया गया.

कृषि क्रांति के कार्यक्रम को केंद्र में रखकर ग्रामीण इलाके में वर्गसंघर्ष को तेज किया गयाः ग्रामीण इलाकों में जमीन की समस्या को केंद्र में रखकर जमींदारों, कबिलाई दबंगों के कब्जे वाली जमीन के लिए, वन विकास कार्पोरेशन के कब्जे वाले कॉफी प्लांटेशन के लिए खेतिहर मजदूर और गरीब किसानों को संगठित कर वर्ग संघर्ष को तेज किया. खेतिहर मजदूर और गरीब किसानों के बीच जमीन को वितरित कर क्रांतिकारी भूमि सुधार लागू करते हुए, उस जमीन पर कृषि कार्य संचालित करने में पीएलजीए बल और जनमिलिशिया ने मिलकर सुरक्षा और सहयोग प्रदान किया.

देश के जाने–माने पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं रोना विल्सन, प्रोफेसर शोमा सेन, सुधीर ढावले, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राउत की गिरफ्तारी के खिलाफ 3 अगस्त को दिल्ली में हुआ प्रदर्शन.

ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवाद के खिलाफ संगठित जनांदोलन के निर्माण के लिए प्रयास किया गया : देश में 'हिंदू–राष्ट्र' स्थापित करने के लक्ष्य से धार्मिक अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं पर और क्रांतिकारी, जनवादी, प्रगतिशील और देशभक्त शक्तियों पर विभिन्न रूपों में बढ़ते ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी शक्तियों के हमलों के खिलाफ आवाज उठाई गई.

हालांकि शोषक–शासक वर्गों द्वारा जारी प्रतिक्रांतिकारी रणनीतिक दमन योजना 'समाधान'(2017–22) का मुकाबला करते हुए इन महत्वपूर्ण सफलताओं को हासिल किया गया हो, लेकिन पार्टी में कुछ कमी–कमजोरियां जारी हैं. इन कमजोरियों से बाहर निकल कर देश–दुनिया में बढ़ती अनुकूलताओं का इस्तेमाल करते हुए भारतीय क्रांति को सफल करने के लिए आगे बढ़ने की पार्टी, पीएलजीए, जनसंगठन व क्रांतिकारी जनताना सरकार की साभी कतारों द्वारा पार्टी की वर्षगांठ के इस मौके पर और एक बार शपथ ली गई.

❍

क्रांतिकारी उत्साह और संकल्प के साथ मनी, पार्टी की 14वीं वर्षगांठ!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी) की कतारों और क्रांतिकारी जनता के लिए 21 सितंबर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है. 21 सितंबर 2004 को देश की दो मुख्य क्रांतिकारी धाराओं का विलय होकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी) का गठन हुआ. इस वर्ष के 21 सितंबर से 27 सितंबर तक पार्टी की 14वीं वर्षगांठ मनायी गई. इस अवसर पर, पार्टी की केन्द्रीय कमेटी ने विभिन्न स्तरों की पार्टी कमेटियों व सदस्यों, जनमुक्ति छापामार सेना के कमांडरों व योद्धाओं, क्रांतिकारी जन कमेटियों के नेतृत्व व सदस्यों, क्रांतिकारी जनसंगठनों, क्रांति के समर्थकों, व क्रांतिकारी जनता को क्रांतिकारी अभिनंदन पेश किया. साथ ही दुश्मन के 'समाधान' हमले के जवाब के रूप में जनाधार को बढ़ाते हुए, जनयुद्ध को तेज–विस्तारित करने के लक्ष्य से वर्षगांठ समारोह को क्रांतिकारी जोशों–खरोश और दृढ़ संकल्प के साथ मनाने पार्टी कतारों, क्रांति के समर्थकों व क्रांतिकारी जनता का आह्वान किया था. इस अवसर पर सालभर में क्रांतिकारी आंदोलन द्वारा हासिल सफलताओं को ग्राम स्तर से लेकर समूचे देश में पर्चा, पोस्टर, बैनर, पुस्तिकाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए प्रचार करने, रैलियां, जनसभाएं, फोटो और कला प्रदर्शन आदि को बड़े पैमाने पर संचालित करने और साम्यवाद की अपराजेयता को ऊंचा उठाने की अपील की थी.

केंद्रीय कमेटी के आह्वान के मुताबिक दंडकारण्य के गांव–गांव में पार्टी की 14वीं वर्षगांठ को जोश–खरोश के साथ मनाया गया. इस अवसर पर पर्चा, पोस्टरों व बैनरों के साथ विस्तृत प्रचार किया गया. जोन भर में जगह–जगह बड़े पैमाने पर रैलियों व सभाओं का आयोजन हुआ. इन सभाओं के दौरान पार्टी के संस्थापक द्वय कामरेड चारू मजुमदार और कामरेड कन्हाई चटर्जी के अलावा भारत की नव जनवादी क्रांति में अपनी अनमोल जानों को कुरबान करने वाले सभी कामरेडों को श्रद्धांजली अर्पित की गई. इस साल भर में क्रांतिकारी आंदोलन द्वारा हासिल सफलताओं और क्रांति के सामने मौजूद समस्याओं के बारे में समारोहों में शिरकत करने वाले लोगों को अवगत कराया गया.

भारत में नवजनवादी क्रांति को सफल बनाने के लिए हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी दीर्घकालीन लोकयुद्ध में शोषक–शासक वर्गों की सरकार के भाड़े के बलों से लड़ते हुए इस साल 233 हमारे प्रिय कामरेड और क्रांतिकारी जनता शहीद हुए. भारतीय क्रांति के नेता और हमारी पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड देवकुमार सिंह (अरविंद, सुजित, निशांत) ने लंबी अस्वस्थाता के बाद आखिर दिल का दौरा पड़ने से शहादत प्राप्त की. इनके अलावा रीजनल, जोनल/जिला/डिविजनल, सबजोनल और एरिया/प्लाटून पार्टी कमेटियों के कामरेड, पार्टी/पीएलजीए के सदस्य, स्थानीय पार्टी, आरीपीसी के कामरेड और जनता शहीद हुई. शहीदों में 77 महिला कामरेड और 11 नाबालिग शामिल हैं. इनमें पी.बी. सदस्य के साथ–साथ, सीआरबी के मातहत कार्यरत 10 कामरेडों सहित, दण्डकारण्य के 177, बिहार–झारखण्ड के 18, एओबी के 6, तेलंगाना के 4, ओड़िशा के 11, महाराष्ट्र–मध्यप्रदेश–छत्तीसगढ़ के 9 कामरेड शामिल हैं.

इस वर्ष हासिल सफलताएं

गुरिल्ला युद्ध को तेज व व्यापक किया गया: भीषण रूप से जारी 'समाधान' हमले–दमन और उन्मूलन अभियानों के बीच ही, गुरिल्ला युद्ध के संचालन के लिए जरूरी मिलिटरी आपूर्ति से वंचित कर दुश्मन के बलों द्वारा हमारे आंदोलन के इलाकों की नाकेबंदी करने के बावजूद, व्यापक जनाधार पर निर्भर होकर हमारी पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए, क्रांतिकारी जननिर्माणों और क्रांतिकारी जनता ने मिलकर कार्यनीतिक जवाबी अभियानों को संचालित कर गुरिल्ला युद्ध को तेज व व्यापक किया है. पिछले एक साल में दण्डकारण्य में इरपानार, तूलाड़मेट्टा, कासारम, एलाड़मड्डुगु, मसपुर–कोटकोड, तुमला, महदेवघाट, चोलनार और बिहार–झारखण्ड में बुढ़ापहाड़ जैसे गुरिल्ला कार्रवाइयों को अंजाम दिया. इनमें 92 पुलिस जवानों को मार कर, 228 को घायल कर उनसे लगभग 30 हथियार और एक हजार से ज्यादा कारतूस जब्त किया गया. क्रांतिकारी आंदोलन के सामने रोड़ा बनने वाले प्रतिक्रियावादी और जनविरोधी राजनेताओं और दलालों का उल्लेखनीय संख्या में सफाया किया गया. अन्य गुरिल्ला जोनों और लालप्रतिरोध इलाकों में भी कई छोटे किस्म की गुरिल्ला कार्रवाइयों को संचालित

(शेष पेज 35 में...)